₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

सितम्बर 2026

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PS-35

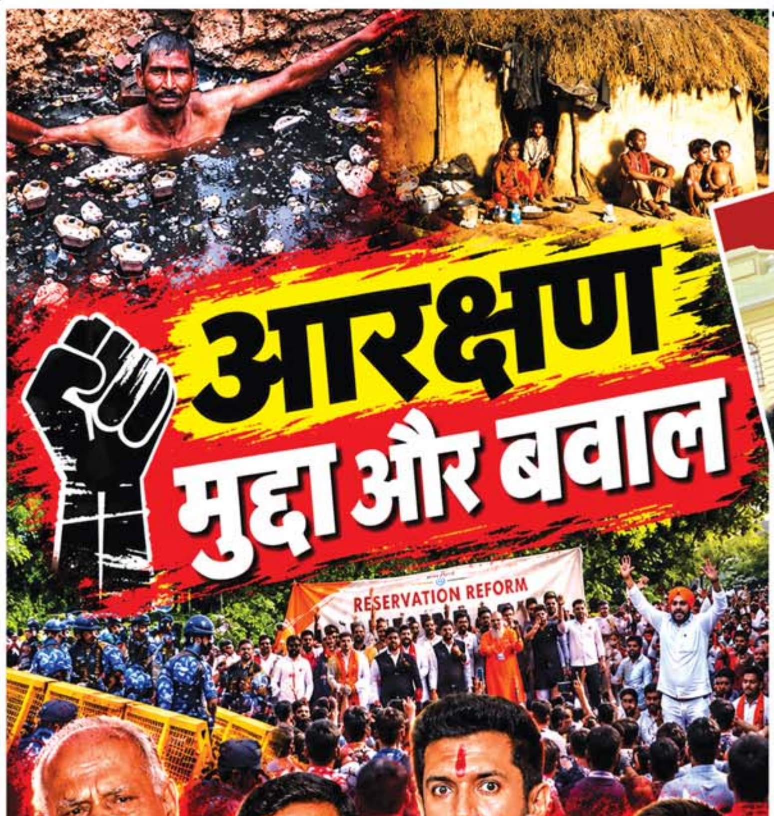

JHARKHAND RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY

(State Govt Agency under Department of Energy)

शत–प्रतिशत राज्य अनुदान से सम्पोशित सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

झारखण्ड राज्य के वैसे सुदुरवर्ती ग्रामों/टोलों जहाँ ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण किया जाना अब तक संभव नही हो पाया है या वैसे ग्राम जिसको ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाना भौगोलिक एवं वित्तीय दृष्टीकोण से उपयुक्त नही होने के कारण विद्युतीकरण कार्य से वंचित रह गये हैं को ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट के माध्यम से शत् प्रतिशत राज्य अनुदान पर विद्युतीकृत किये जाने की योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित है।

उक्त योजना के अन्तर्गत जिला उपायुक्त / झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 से प्राप्त सूची पर ग्रामों का सर्वेक्षण कराने के उपरान्त गाँव के प्रत्येक घर के 500 वाट क्षमता के हिसाब से गाँव के लिये सोलर पावर प्लांट की कुल क्षमता का निर्धारण किया जाता है। चिन्हित ग्रामों में मिनी/माईक्रो ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर उत्पादित बिजली को डेडिकेटड पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार कर प्रत्येक घरों में वायरिंग करा कर विद्युत आपूर्ति बहाल की जाती है। साथ ही हर घर को 3 अदद एल.ई.डी. लाईट का वितरण भी किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त गॉव में अवस्थित विद्यालय, चौपाल इत्यादि, ग्रामीण सड़कों एवं गलियों में स्ट्रीट लाईट के माध्यम से विद्युतीकरण का कार्य किया जाता है। प्रत्येक ग्राम में एक भिलेज लेवल समिति का गठन किया जाता है, जो अधिष्ठापित कराये गये सोलर प्लांट की सुरक्षा देखने के साथ–साथ किसी प्रकार की त्रुटी होने पर ज्रेडा / एजेंसी से सम्पर्क कर मरम्मति कराने में सहयोग प्रदान करती है। इस योजना के अन्तर्गत शत् प्रतिशत राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

ज्रेडा द्वारा विगत 6 वर्षों में मिनी/माईक्रो ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट के माध्यम से किये गये विद्यतीकरण कार्य की निम्वत है:–

S.N.	Administrative Division	District	Total No. of Solar Mini-Grid villages	Total HHs	Total Capacity (kWp)
1	Palamu	Gumla	71	3478	1379
2	Palamu	Garhwa	37	2021	1004
3	Palamu	Latehar	136	3373	1705
4	North Chotanagpur	Chatra	242	9206	3725
5	North Chotanagpur	Giridih	1	100	50
6	North Chotanagpur	Hazaribagh	30	1011	339
7	Santhal Pargana	Pakur	17	526	139
8	Santhal Pargana	Dumka	3	173	85
9	Santhal Pargana	Sahibganj	75	4329	1547.5
10	Santhal Pargana	Godda	140	3683	1840
11	South Chotanagpur	Ranchi	6	180	90
12	South Chotanagpur	Khunti	19	440	220
13	South Chotanagpur	Simdega	29	1237	473
14	South Chotanagpur	Lohardaga	14	280	140
15	Kolhan	West Singhbhum	39	2897	742
		Grand Total	859	32934	13478.5

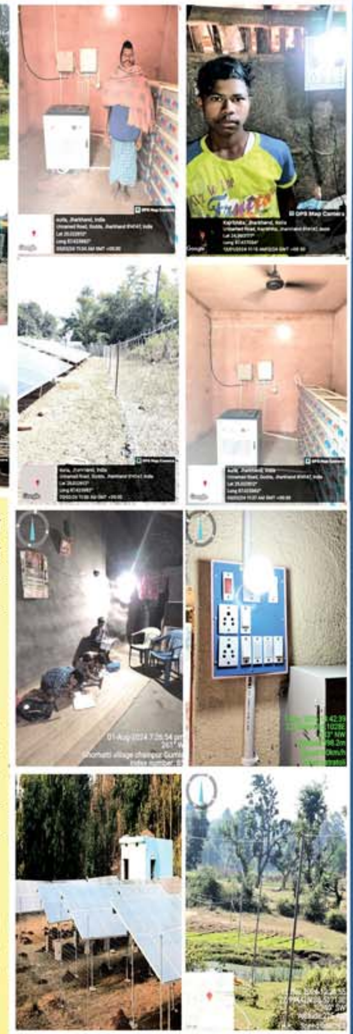

ग्रामों में अधिष्ठापित मिनी/माईक्रो ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन के उपरान्त आगामी 5 वर्ष का रख–रखाव भी एजेंसी के माध्यम से कराया जाता है। साथ ही किसी भी ग्राम में सोलर पावर प्लांट में कोई त्रुटि/अकार्यरत होने की स्थिति में ज्रेडा वेसाईट www.jreda.com के Grievance Section में अथवा हेल्पलाईन न0– 0651–3502645/3502644 अथवा ज्रेडा के ई–मेल info@jreda.com पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।

योजना का प्रभाव

सुदूरवर्ती ग्रामों में मिनी/माईक्रो ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन से ग्रामीणों के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। बच्चों का पठन–पाठन, जो प्रकाश के अभाव में नही हो पाता था, सोलर के माध्यम से बिजली आने के बाद बच्चों में पढायी के प्रति रूची आई है, महिलायें अपना काम देर रात तक कर पाती हैं। पुरूष ग्रामीण गॉव की चौपाल एवं मंदिरों में बैठ कर आपसी विचार–विमर्श कर पाते हैं। ग्रामीण रोजगार जैसे छोट स्तर के राशन दुकान, नाई, हलवाई, दर्जी इत्यादि भी अपना काम देर तक कर पाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक उन्नती भी संभव हो पायी है।

डीजल, किरोसिन पर निर्भरता समाप्त होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। विद्युत उपकरणों यथा मोबाईल फोन, टी0भी0, रेडियो, की उपयोगिता में वृद्धि हुई है, जिससे लोग डिजीटल इंडिया के लक्ष्य से न सिर्फ जुड़ पाये हैं, अपितू जागरूक भी हो पाये हैं, जिससे सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी अब दूरस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच पाना संभव हो पाया है।

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

विवेक ओबेरॉय
03 सितम्बर 1976

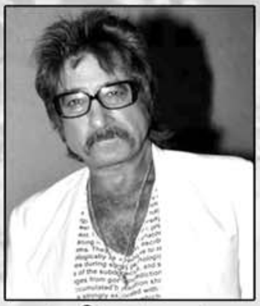

शक्ति कपूर
03 सितम्बर 1952

ऋषि कपूर
04 सितम्बर 1952

यशवंत सिन्हा
06 सितम्बर 1937

स्व० आशा भोसले
08 सितम्बर 1933

अक्षय कुमार
09 सितम्बर 1967

रामजेठ मलानी
10 सितम्बर 1923

महिमा चौधरी
13 सितम्बर 1973

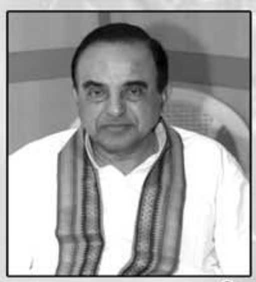

सुब्रमणयम स्वामी
15 सितम्बर 1939

भूपिंदर सिंह हुड्डा
15 सितम्बर 1947

पी. चिदम्बरम
16 सितम्बर 1945

नरेन्द्र मोदी
17 सितम्बर 1950

महेश भट्ट
20 सितम्बर 1948

करीना कपूर
21 सितम्बर 1980

प्रेम चोपड़ा
23 सितम्बर 1935

कुमार सानू
23 सितम्बर 1957

स्व० मनमोहन सिंह
26 सितम्बर 1932

यश चोपड़ा
27 सितम्बर 1932

स्व० लता मंगेसकर
28 सितम्बर 1929

रणवीर कपूर
28 सितम्बर 1982

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House
No.-28/14, Road No.-14,
kankarbagh, Patna- 8000 20
(Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave,
Second Floor, Flat No. 2B,
Near-firing range,
Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha,
A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla
Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991,
09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue,
Near- md. Ali Park,
Kolkata- 700073
(West Bengal)
Mob.- 09433567880
09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

गुजराज के मुख्यमंत्री रहते हुए कट्टर हिन्दूवादी छवि रखने वाले नरेन्द्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के 10 साल बाद ही 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब नहीं होने की वजह से हिन्दू को ही कई भागों में बांटने की कूटनीति पर काम करना प्रारंभ कर चुके हैं। देश का पीएम मंच से ताल ठोककर एससी/एसटी एक्ट में 27 प्रकार की ध ारा को बढ़ाकर 47 कर चुके हैं कहते नहीं थक रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री गौ मांस के व्यापार पर कांग्रेस का कोसते नहीं थकने वाले मोदी, विदेश में जाकर गर्व से बयान देते हैं कि गौ मांस के व्यापार में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। कश्मीर के लाल किला पर झंडा फहराने वाले मोदी सत्ता के लालच में इस कदर कमजोर हो जायेंगे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मोदी के बाद पीएम योगी या शाह के कूटनीति में भारत के हिन्दू फंसते दिख रहे हैं और देश के भीतर खासकर युवा वर्ग के बीच जातिय संघर्ष की राजनीति हो सकती है। महंगाई, बरोजगारी, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा को उत्कृष्ट बनाने के संकल्प के बीच भारत इन्ही समस्याओं के समाध ान में अटका हुआ नजर आ रहा है। मोदी एक दशक में ही पीएम की कुर्सी को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जाकर कार्य को अंजाम दे सकते हैं। जेएनजी एवं दिमागी नक्सल के बीच यूजीसी को लेकर मोदी का स्टैण्ड संदेहात्मक प्रतीत होता है।

— — — — — —

ब्रजेश मिश्र, संपादक

8340360961, 9431073769

एक दशक में बदल गये मोदी

27 फरवरी 2002 का गोधरा कांड सबको याद होगा कि किस प्रकार साबरमती एक्सप्रेस में 5 से 6 बोगी में 59 तीर्थयात्री को जिंदा चला दिया गया था, इसके बाद गुजरात प्रदेश में दंगे भड़क उठे थे और नरेन्द्र मोदी को हिन्दू का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। उस वक्त भाजपा के वरिष्ठ राजनेता अटल बिहार बाजपेयी ने इस घटना पर चिंता राष्ट्रहित में व्यक्त की थी। नरेन्द्र दामोदर दास मोदी लगभग 13 (07 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक) वर्षों तक गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रहे और 22 मई 2014 से अभी तक प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हैं। 25 वर्षों से अधिक समय तक शासन करने वाले मोदी पिछले एक दशक में हिन्दूवादी छवि से हटकर दलितप्रेमी बनकर उभरते नजर आ रहे हैं। सत्ता पर काबिज होने के लिए चुनाव के वक्त अपनी रणनीति बदलते रहते हैं और यही प्रमुख कारण है कि देश की जनता अब सबका साथ– सबका विकास के नारे से अलग दलित का विकास – सवर्णो का विनाश की पटकथा यूजीसी 2026 कानून बनाकर लिख चुके हैं। आरक्षण एवं एससी/एसटी की राजनीति करके 2027 का विधानसभा चुनाव जितना चाहते हैं लेकिन जिस प्रकार देश के भीतर सवर्ण एकजुट होकर इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं ऐसे में मोदी का हिन्दूवादी चेहरा दागदार बनता जा रहा है। 10 वर्षो तक जिस पीएम मोदी को भगवान का दर्जा दिया जाता है आज उनके उपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ राजनेता सुब्रहण्यम स्वामी एवं फिल्म कलाकर राखी सांवत ने जिस प्रकार की टिप्पणी की है वह मोदी की छवि को शर्मसार करती है। देश के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कालाधन के विरूद्ध मोर्चा खोलने वाले नरेन्द्र मोदी अमित शाह, नितिन गडकरी सहित दर्जनों नेताओं की काली करतूत पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। साथ हीं किसान की कर्जमाफी पर राजनीति हो रहा है वही उद्योगपति का कर्ज माफ किया जा रहा है जैसा दोहरा चरित्र की वजह से मोदी की साख पर सवाल उठना लाजमी है। जहां छोटे एवं मंझोले अखबार/पत्रिका का विज्ञापन से वंचित किया जा रहा है और दूरी तरफ मीडिया का बड़ा घराना सुभाष चन्द्रा को हजारों करोड़ रूपये माफ कर दिये जाते हैं लेकिन मंचों से सबका साथ–सबका विकास दिखाया जा रहा है। उरी आंतकी हमले के बाद 28 सितंबर 2016 को दुनिया का आध ा हिस्सा सो रहा था और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया। दूसरी बार भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। देश की राजनीति ने दुश्मनो के मंसूबे पर पानी फेरना शुरू कर दिया है और यह साबित किया है कि 2014 के बाद का शासक सही समय पर वार करने में सक्षम है। साथ हीं सेना ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन के मुगालते भी दूर कर दिए है। डोकलाम विवाद, पैंगोंग झील विवाद और गलवान घाटी में चीन को मुंह की खाना पड़ी है। बेलगाम होती जा रही शासन व्यवस्था पर बात करना आज अंधभक्तों को बेमानी लगता है। जिस प्रकार देश में स्कूल बंद हो रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति की जा रही है उससे देश का गौरवशाली इतिहास पर ग्रहण लगता जा रहा है। नीतियों एवं सिद्धांत का गला सत्ता पर बने रहने के लिए घोटा जा रहा है जबकि इसी भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने एक (01) वोट से अपनी सरकार गिरती देखी पर अपने राष्ट्रहित के विचारों से समझौता नहीं किया लेकिन आज सरकार के घटक दल जिस प्रकार देश को गृहयुद्ध में झोकने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जेएनजी एवं दिमागी नक्सल संगठनों ने 12 वर्षो के मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल की पूरी जानकारी जनता के बीच लाकर मोदी के हिन्दूवादी छवि एवं राष्ट्र सर्वप्रथम की सोचपर ग्रहण लगाना शुरू कर दिया है। आरक्षण एवं एससी/एसटी के कारण देश के भीतर अपने ही लोगों के दुश्मन बनाने की कूटनीति कामयाब होती दिख रही है। आंख–मुंदकर मोदी पर विश्वास करने वाली जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगी है। पाकिस्तान पर हमला, धारा–370, राम मंदिर जैसे गंभीर मुद्दे को प्राथमिकता से दूर करने वाले मोदी अचानक तुम मुझे पानी नहीं पीने देते थे! तुम मंदिर में प्रवेश करने से रोकते थे! की बात कहकर मौका मिलने पर बदला लेगा की नहीं का उद्‌बोधन कहीं न कहीं मोदी को कटघरे में खड़ा करता है। देश की युवा पीढ़ी अब कई भागों में बंट चुकी है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी को ही जाता है चाहे वह दिमागी नक्सल हों, जेनएनजी हो या फिर सवर्ण और दलित। क्या सच में मोदी सवर्णो से बदला लेना चाहते हैं? क्या सच में सवर्णो ने मोदी को पानी नहीं पीने देते थे? मंदिर में नहीं जाने देते थे। जिस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा हो, राष्ट्रपति आदिवासी हो उस समाज को आज भी आरक्षण की आवश्यकता है? लोग ऐसा मानते हैं कि एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी ऐसे बदले जैसे गिरगिट अपना रंग बदलती है। देश संक्रमण काल की दौर से गुजर रहा है और खंडित होने के लिए विवश हो रहा है।

अगस्त 2026

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आप अपने संदेश हमारे ई-मेल पर एवं पत्र के जरीय भेज सकते हैं। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

द्वारा:- ब्रजेश मिश्र

पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28

कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल

kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

अन्दर के पन्नों में

26

36

87

94

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, **DAVP No.- 129888**

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 21	अंक:- 244	माह:- सितम्बर 2026	मूल्य:- 20/- रू.

फाउंडर

श्रद्धेय गोपाल मिश्र
श्रद्धेय सुषमा मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका	7782053204
सुरजीत तिवारी	9431222619
निलेन्दु कुमार झा	9431810505, 8210878854
सच्चिदानन्द मिश्र	9934899917
डॉ० शशि कुमार	9507773579
चंद्र शेखर कुमार	9931965035

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र	9430888060, 8873004350
अमोद कुमार	9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल	9430000482, 9798874154
मनीष कुमार कमलिया	9934964551, 8809888819
गीतांजलि	9279599313, 8294636307

उप-संपादक

प्रसुन्न पुष्कर	9430826922, 7004808186
ब्रजेश सहाय	7488696914
ललन कुमार	7979909054, 9334813587

राजनीतिक संपादक

सुमित रंजन पाण्डेय 7992210078

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू'	9905244479, 7979075212
राजीव कुमार शुक्ला	9430049782, 7488290565
काशीनाथ गिरी	9905048751, 9431644829
कुमार अनिकेत	9431914317
शंकरानंद ठाकुर	9971103281

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह	8210772610, 9431253179
मिथिलेश कुमार	9934021022, 9431410833
नवेन्दु कुमार मिश्र	9570029800, 9199732994

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

सोनू यादव	8002647553, 9060359115
संकेत कुमार झा	9386901616, 7762089203

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

चीफ क्राइम ब्यूरो

सैयद मो० अकील 9905101976, 8521711976

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

श्रुति मिश्रा 8340360961

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०) :-	श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०) :-		
(ग्रा०) :-		
बाढ़ :-		
भोजपुर :-	गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर :-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर :-		
रोहतास :-		
:-		
गया (श०) :-		
(ग्रा०) :-	मो० सईद	6299169764
औरंगाबाद :-		
जहानाबाद :-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल :-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा :-		
:-		
नवादा :-	अमित कुमार	9162664468
:-		
मुंगेर :-		
लखीसराय :-		
शेखपुरा :-		
बेगूसराय :-		
:-		
खगड़िया :-		
समस्तीपुर :-	रमेश कुमार	8298588504
जमुई :-	अजय कुमार	9430030594
वैशाली :-		
:-		
छपरा :-		
सिवान :-		
:-		
गोपालगंज :-		
:-		
मुजफ्फरपुर :-	.	
:-		
सीतामढ़ी :-		
शिवहर :-		
बेतिया :-	रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा :-		
मोतिहारी :-	संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा :-		
:-		
मधुबनी :-		
:-	प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा :-		
मधेपुरा :-		
सुपौल :-		
किशनगंज :-		
:-		
अररिया :-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया :-		
कटिहार :-		
भागलपुर, :-		
(ग्रा०) :-	रवि पाण्डेय	7033040570
नवगछिया :-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर,
नई दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
..................................., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 7903856569, 6203723995

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

..................................., स्टेट हेड
सम्पर्क करें
8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या.- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☛ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☛ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☛ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☛ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ **सभी पद अवैतनिक हैं।**

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

☞ A/C No. :- 38003315950
BANK :- State Bank of India
IFSC Code :- SBIN0003564
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक

....
....

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

....

झारखण्ड सहायक संपादक

अभिजीत दीप	7004274675, 9430192929
ब्रजेश मिश्र	7654122344, 7979769647
अनंत मोहन यादव	9546624444, 7909076894

उप संपादक

अजय कुमार	6203723995, 8409103023

....

संयुक्त संपादक

....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा	8210023343, 8863893672

....
....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची	:- अभिषेक मिश्र	7903856569
	:- ओम प्रकाश	9708005900
साहेबगंज	:-	
खूँटी	:-	
जमशेदपुर	:-	
हजारीबाग	:-	
जामताड़ा	:-	
दुमका	:-	
देवघर	:-	
धनबाद	:-	
बोकारो	:-	
रामगढ़	:-	
चाईबासा	:-	
कोडरमा	:-	
गिरीडीह	:-	
चतरा	:- धीरज कुमार	9939149331
लातेहार	:-	
गोड्डा	:-	
गुमला	:-	
पलामू	:-	
गढ़वा	:-	
पाकुड़	:-	
सरायकेला	:-	
सिमडेगा	:-	
लोहरदगा	:-	

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक **''मगध इंटरनेशनल स्कूल''** टेकारी

'' केवल सच '' पत्रिका **एवं '' केवल सच टाइम्स ''**

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि	
आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सूमन सौरभ	9471492480, 7004952447
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
रजनीश कांत झा	9430962922, 7488204140
मुकेश कुमार	9473038020

छायाकार	
त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	7766081555

झारखंड राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
राँची	गुड्डी साव	6299470142
हजारीबाग		
पलामू		
दुमका		
चाईबासा		

● अमित कुमार

रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन दुनिया का एक मात्र ऐसा आंदोलन बन चुका है जिसमें न ही कोई सत्ता पक्ष और न ही कोई विपक्ष उनके साथ खड़ा है। इस आंदोलन से एक चीज तो साफ हो गयी। सत्य हमेशा अकेला खड़ा होता है और आखिरकार में सत्य की ही जीत होती है। 56 लाख का डिजिटल सैलाब, रामलीला और जंतर मंतर पर लाठियां, तो क्या सवर्णों के सत्याग्रह से कांप गयी सरकार? प्रतिभा का गला घोटा, यूजीसी के नाम पर लूटा। अब सवाल पूछने पर हमला क्यों? यही है सबका साथ, सबका विकास! दूसरों के लिए महीनों तक तंबू लंगर की छूट और सवर्णों को चंद घंटों में खाकी का डंडा। क्या जनरल होना ही सबसे बड़ा गुनाह है? सदन में गूंगे कैमरों पर बहरे अपने ही कोर वोट बैंक की पीठ पर खंजर भोक कर किसकी चौखट पर नतमस्तक है। सियासत लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत और खोखली तस्वीर देखनी हो तो दिल्ली के जंतर मंतर चले आए, जहाँ महीनों तक सड़कों पर घेर कर बैठने वालों के लिए पुलिस सुरक्षा के तंबू तानती है, लेकिन जब देश का सामान्य वर्ग अपने हक, अपनी मेरिट और जातिगत बेड़ियों के खिलाफ शांति की आवाज उठाने पहुँचता है तो खाकी की लाठियाँ सबसे पहले उनकी पीठ पर टूटती है। 21 अगस्त को दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ उसने सत्ता के तुष्टिकरण के चश्मे को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। सवाल सीधा है-क्या सवर्णो के सड़कों पर उतरते ही सत्ता के सिंहासन हिलने लगे। यहाँ पर सुबह से पानी और खाना तक नहीं आया और इन्हें मारकर बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस की दलील भी गजब का मजाक बनकर रह गई। मध्य जिला पुलिस ने रामलीला मैदान में आरक्षण हटाओ आंदोलन को शाम 4 बजे तक 500 लोगों के धरने

को एनओसी तो थमा दी, लेकिन जैसे ही युवाओं का काफिला जंतर मंतर पहुंचा, दिल्ली पुलिस ने छावनी बना कर उन्हें अपराधियों की तरह घेर लिया। इंस्टाग्राम पर 56 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स वाले 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' और 'अखिल भारतीय क्षत्रीय महासभा' के आह्वाहन पर पहुंचे छात्रों, युवाओं और महिलाओं को चंद घंटे भी अपनी बात नहीं रखने दी गई। पंकज धरैया समेत प्रमुख प्रदर्शनकारियों को जबरन घसीट कर बाहर कर दिया गया। आंदोलनकारियों के तीन बेहद साफ और जायज सवाल है। पहला, आर्थिक आधार पर न्याय, मदद और अवसर का पैमाना जात नहीं, बल्कि गरीब का आर्थिक स्तर पर होना चाहिए। यूजीसी क्विटी नियमों पर रोक, सामान्य वर्ग के छात्रों और सुधारों के लिए हक पर डाका डालने वाले नियमों को वापस लिया जाए। एससी/एसटी एक्ट में सुधार, फर्जी मुकदमे और कानूनी दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा कवच दिया जाए। लेकिन विडम्बना देखिये, जिस मेरिट का गला घोटा जा रहा है, उस पर संसद में बैठे सवर्ण सांसद और मंत्री ऐसे जुबान सिल कर बैठे हैं, मानो फेविकोल पी लिया। सत्ता पक्ष या विपक्ष सबको सिर्फ वोट बैंक का गणित साधना है और सवर्णों को बंधुआ वोटर समझना। जंतर मंतर पर लगे नारे और महिलाओं का दिखता आक्रोश इस बात का सबूत है की सामान्य वर्ग अब सियासी दोहरे पन को बर्दाशत करने के मूड में नहीं है। जब तक आप चुपचाप वोट देते रहे तब तक आप राष्ट्रवादी। लेकिन जैसे ही अपने बच्चों के भविष्य और मेरिट के लिए सड़क पर आये तो सीधे डिटेंशन और लाठी चार्ज। दिल्ली पुलिस ने लाठियों के जोर पर जंतर

मंतर तो खाली करा दिया, लेकिन 56 लाख डिजिटल समर्थकों और लाखों परिवारों के सीने में सुलगती इस चिंगारी को कैसे बुझाएगी सरकार। जंतर मंतर की सड़कों पर पुलिसिया पहरा बैठाकर सरकार ने तो साफ कर दिया की सामान्य वर्ग की आवाज उनके कानों में चुभ रही है, लेकिन इतिहास गवाह है जब जब मेरिट और प्रतिभा को दबाने की कोशिश हुई है तब तक सियासी तख्ते पलटे हैं।

गौरतलब है कि देश में जारी जाति-आधारित आरक्षण के विरोध में 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बड़ा धरना दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपना विरोध जताने पहुंचे। हालांकि रात को वहां भारी भीड़ पहुंचने के साथ ही दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स भी पहुंच गई और लोगों को वापस भेजने लगी। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मिलकर जंतर-मंतर पर जमा हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें बसों में भरकर ले गई। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि, 'हम यूजीसी और एससी-एसटी को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी पुलिस ने हमें पकड़ लिया।' सुबह से जारी इस प्रदर्शन में पहुंचे लोगों में ज्यादातर पुरुष ही नजर आए, जिनमें से कुछ ने अपने हाथ में तिरंगा ले रखा था। वहीं कुछ अन्य अपने हाथ में बैनर, पोस्टर और भगवा झंडे लेकर पहुंचे थे। ये प्रदर्शनकारी जातिगत आरक्षण और यूजीसी नियमों के खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आए। दरअसल इस प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस ने शाम 4 बज तक की ही अनुमति दी थी। इसलिए वक्त खत्म होने के कई घंटों बाद वहां पुलिस पहुंची और लोगों को हटाना शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन का आयोजन 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' नाम के एक इंस्टाग्राम पेज पर की गई अपील के बाद किया गया। बाद में इस पेज ने लोगों से 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर प्रत्यक्ष प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा था। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि लोगों के भारी जमावड़े को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख स्थानों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं तथा प्रदर्शन स्थल के आसपास अवरोधक लगाए गए हैं। वही प्रदर्शन में आए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से जुड़े एक प्रदर्शनकारी ने कहा, 'हमारी मांग है कि यह तय करते समय कि किसे सरकारी सहायता की जरूरत है, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। साथ ही जाति की परवाह किए बिना गरीब व्यक्ति को शिक्षा, कोचिंग और अन्य जरूरतों के लिए सहायता दी जानी चाहिए'। साथ ही एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि वे मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा चाहते हैं। उनका तर्क था कि आरक्षण का लाभ हमेशा समाज के सबसे वंचित वर्गों तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने कहा, 'हम कई वर्षो से यह मुद्दा उठाते रहे हैं। हमारा कहना है कि सरकार को यह समीक्षा करनी चाहिए कि मौजूदा व्यवस्था अपने निधारित उद्देश्य को पूरा कर रही है या नहीं और क्या इसका लाभ जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंच रहा

है'। वही कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था में 'क्रीमी लेयर' का प्रावधान लागू करने की भी मांग की। उन्होंने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित नीतियों में बदलाव की मांग भी की। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, "हम यह नहीं कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बिना सहायता के छोड़ दिया जाना चाहिए। हमारा कहना है कि सहायता उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। इसमें छात्रवृत्ति, फीस में सहायता और कोचिंग जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।" इस विरोध प्रदर्शन में आए एक युवक ने अपनी मांगे बताते हुए कहा, 'हमारी सबसे बड़ी मांग है कि सरकार एक श्वेत पत्र लाए जिसमें यह बताया जाए कि 80 साल से दिए जा रहे इस आरक्षण से किस जाति को अबतक कितना फायदा हुआ है। क्योंकि इस आरक्षण का फायदा केवल कुछ ही जातियों को मिल रहा है, और एससी-एसटी में भी ऐसे कई जाति समूह हैं, जिन्हें अबतक कोई लाभ नहीं मिला है। रिसर्च करके देखिए कि उनकी हालत कितनी खराब है। उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्योंकि उन जाति समूहों के पास नेता ही नहीं हैं। वहीं दूसरी मांग बताते हुए युवक ने कहा हमारी दूसरी मांग 'कोटे के अंदर कोटा' की है, जिस पर सरकार ने यह भी कहा है कि हम इसमें 'क्रीमी लेयर'

लागू नहीं करेंगे।

विदित हो कि नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर सुबह से प्रदर्शनकारी जुटे हुए थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों पर अड़े हैं और धरना स्थल खाली नहीं करेंगे।

वहीं, दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों से जंतर-मंतर खाली करने की अपील कर रही थी। नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि उन्हें रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति दी जाएगी और वे वहां जाकर अपना प्रदर्शन करें। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 20 अगस्त को कहा था कि उसने 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर आरक्षण सुधार के संबंध में किसी भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे ऐसे वीडियो को 'झूठा और भ्रामक' बताया था। पुलिस के बयान के मुताबिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत नई दिल्ली जिले में पहले से ही निषेधाज्ञा लागू है। इसके तहत विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर प्रसारित असत्यापित सामग्री साझा नहीं करने की अपील

नरेन्द्र मोदी

मायावती

अखिलेश यादव

भी की थी। पुलिस के मुताबिक, फर्जी सूचना गढ़ने या उसे प्रसारित करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ज्ञात हो कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन' के प्रदर्शनकारियों ने 21 अगस्त को जमकर धरना प्रदर्शन किया। हजारों लोगों की भीड़ दिल्ली के इस वीआईपी इलाके में पहुंचे और आरक्षण के खिलाफ नारे लगाए। इस बीच कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जंतर-मंतर से हिरासत में लिया। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच विरोध स्थल और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सामने आए दृश्यों में पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेते दिखाई दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग बैनर, पोस्टर और भगवा झंडे लेकर मौके पर जमा हुए और जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि जंतर-मंतर पर किसी भी विरोध, जुलूस, प्रदर्शन या सभा के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि, मध्य जिला पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) कार्यालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 21 अगस्त को एक अलग स्थल रामलीला मैदान पर 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' के बैनर तले शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए एक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया गया था। एनओसी के तहत शाम 4 बजे तक रामलीला मैदान में अधिकतम 500 लोगों को एकत्र होने की अनुमति दी गई थी। पुलिस ने कहा कि कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन पर उसे कोई आपत्ति नहीं थी।

बहरहाल, देश में आरक्षण पर ऐसा संग्राम छिड़ा है की अब इसकी तपिश सिर्फ सड़कों तक नहीं बल्कि सियासी दलों के अंदर तक पहुँच गयी है। जिस आरक्षण के मुद्दे पर अब तक ठाकुर और सामान्य वर्ग के लोग सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे थे, अब उसी मुद्दे पर दलित राजनीति भी दो खेमों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ आरक्षण में किसी भी तरह के बदलाव के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं तो दूसरी तरफ दलित और पिछड़े समाज के ही कई बड़े नेता आरक्षण में वर्गीकरण और बदलाव की खुलकर अब मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में दलित संगठनों के सड़क पर उतरने के बाद अब बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, मायावती चंद्रशेखर आजाद रावण और अखिलेश यादव जैसे नेताओं के बयानों को आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के विरोध के संदर्भ में देखा जा रहा है तो दूसरी तरफ जीतनराम मांझी, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और रोहिणी घावरी जैसे चेहरे आरक्षण के भीतर उन जातियों तक लाभ पहुंचाने की बात कर रहे हैं, जिन्हें अब तक इसका पर्याप्त फायदा नहीं मिला है। दलील सीधी है आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका लाभ उन्हीं तक क्यों सीमित रहे जो पीढ़ियों से इसका फायदा उठा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि दलित और ओबीसी समाज की कई जातियाँ आज भी आरक्षण के लाभ से काफी हद तक दूर है। वही समान वर्ग के आंदोलनकारी भी आरक्षण खत्म करने की बजाय इसके लाभ को जरूरतमंद और आर्थिक रूप से

ओम प्रकाश राजभर

चंद्रशेखर आजाद रावण

संजय निषाद

कमजोर लोगों तक पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। अब इस मुद्दे ने बिहार में नया सियासी विस्फोट कर दिया है। जीतनराम मांझी और चिराग पासवान के बीच आरक्षण को लेकर बयानबाजी इतनी तेज हो गयी है कि दोनों नेता एक-दूसरे के इस्तीफे तक की मांग कर दिए है। यानी सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं बल्कि दलित वोट बैंक के भीतर नेतृत्व और हिस्सेदारी की लड़ाई का भी बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या 2027 के यूपी चुनाव से पहले आरक्षण पर सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या आरक्षण में वर्गीकरण का रास्ता खुलेगा? और अगर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो क्या इसका सियासी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है? मामला अब सिर्फ आंदोलन तक नहीं रहा। आरक्षण की यह आग धीरे-धीरे सियासत की सबसे बड़ी लड़ाई बनती जा रही है। वजह साफ है ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के लोग लगातार सड़कों पर हुंकार भर रहे हैं। चाहे वो यूजीसी हो या एससी-एसटी एक्ट हो या फिर आरक्षण में बदलाव या वर्गीकरण को लेकर बातें हो। उनका साफ तौर पर कहना है कि 70 साल से ज्यादा का समय हो गया। देश में आरक्षण घोषित किए हुए लोग आरक्षण का लाभ भी ले रहे है। लेकिन कुछ गिनी चुनी जातियां ही इस आरक्षण का लाभ पा रही है और सैकड़ों ऐसी जातियां हैं जो आज तक आरक्षण का लाभ भी नहीं पाई और इसीलिए देश में आज भी गरीबी है और जो पिछड़े समाज यानि की ओबीसी समाज और दलित समाज के लोग हैं वो आरक्षण से दूर है। असली हकदार वही हैं। उनको आरक्षण मिलना चाहिए और जो लोग आरक्षण का मलाई खाकर मजबूत हो गए हैं, नेता सांसद बन गए हैं, उनको आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए।

विदित हो कि बिहार में पटना एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। जंतर-मंतर पर आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर उन्होंने साफ कहा कि आरक्षण किसी के कहने से खत्म नहीं किया जा सकता। चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण किसी को दी जाने वाली खैरात नहीं है। यह संविधान से मिला अधिकार है। चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण का मकसद समाज के उन वर्गों को आगे लाना है, जिनके साथ लंबे समय तक भेदभाव हुआ। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का भी जिक्र किया। संविधान में इन वर्गों को चिन्हित किया गया। उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने और आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। आज भी समाज में भेदभाव की घटनाएं सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में आरक्षण की जरूरत और सामाजिक न्याय पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। चिराग ने हल्दवानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई घटना का भी जिक्र किया। चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। उनका कहना है कि आरक्षण को किसी की मांग पर खत्म नहीं किया जा सकता। यह संविधान से मिला अधिकार है। साथ ही उन्होंने आरक्षण से जुड़े विवादों का समाधान बातचीत और संवाद के जरिए निकालने की बात कही। वही आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि वे अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से निकाला जा सकता है। प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। बातचीत के दौरान उन्हें आरक्षण की जरूरत और इसके पीछे के उद्देश्य को समझने का मौका मिलेगा। वही रामदास अठावले के बयान से जुड़े सवाल पर भी चिराग ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने वालों की बात सुनी जानी चाहिए। लोकतंत्र में संवाद जरूरी है।

रामदास अठावले

गौरतलब है कि आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के दो सहयोगी दलों के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने ही सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के इस्तीफे की मांग कर दी है। मांझी की पार्टी 'हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा' ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की थी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। चिराग पासवान ने कहा कि एससी-एसटी आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि सदियों से चला आ रहा सामाजिक भेदभाव है। ऐसे में आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव को लेकर कोई भी फैसला बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर जैसे मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी के बजाय संसद में चर्चा होनी चाहिए। चिराग पासवान का कहना है कि आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए नहीं बनाई गई थी। इसका मूल उद्देश्य सामाजिक भेदभाव और छुआछूत का सामना करने वाले समुदायों को प्रतिनिधित्व और समान अवसर उपलब्ध कराना था। उनके मुताबिक आरक्षण को केवल आर्थिक स्थिति के आधार पर देखने से इसकी मूल भावना प्रभावित हो सकती है। चिराग ने संकेत दिया कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी बदलाव से पहले व्यापक संवैधानिक और संसदीय बहस जरूरी है। आरक्षण के मुद्दे पर चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के लिए कांग्रेस की लंबे समय तक रही सत्ता की भूमिका पर सवाल उठाया। चिराग ने कहा कि अगर आज भी समाज में भेदभाव की

चिराग पासवान

संतोष कुमार सुमन

जीतन राम मांझी

स्थिति बनी हुई है तो लंबे समय तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस को भी इसका जवाब देना चाहिए। इस बयान के जरिए उन्होंने आरक्षण की बहस को एनडीए के भीतर के मतभेदों से आगे बढ़ाकर विपक्ष पर भी निशाना साधने की कोशिश की। दूसरी ओर चिराग पासवान ने कहा कि अगर जीतनराम मांझी आरक्षण में क्रीमी लेयर और उप-कोटा की बात करते हैं तो उन्हें पहले खुद इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे की भी मांग की। दरअसल, दोनों दल बिहार और केंद्र में एनडीए के सहयोगी हैं। ऐसे में दो केंद्रीय मंत्रियों के बीच इस तरह का विवाद गठबंधन में खींचतान की चर्चा बढ़ा रहा है।

दरअसल, विवाद की शुरुआत 'हम' की ओर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उप-कोटा देने की मांग से हुई। मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा जरूरी है। आरक्षण का फायदा सबसे कमजोर और लंबे समय से पिछड़ी जातियों तक भी पहुंचना चाहिए। सुमन ने साफ किया कि उनकी पार्टी आरक्षण खत्म करने की मांग नहीं कर रही है। बस आरक्षण को ज्यादा न्यायपूर्ण और प्रभावी बनाने की जरूरत है। उनका दावा है कि अभी आरक्षण का फायदा कुछ ही समुदायों तक ज्यादा पहुंच रहा है। जीतनराम मांझी बिहार के मुशहर समाज से आते हैं। यह दलित समाज के सबसे पिछड़े समूहों में माना जाता है। 'हम' का कहना है कि दलित आरक्षण का फायदा पासवान और रविदास जैसे कुछ समुदायों को ज्यादा मिला है। दूसरी ओर कई अन्य दलित समुदाय अभी भी पीछे हैं। संतोष कुमार सुमन ने दावा किया कि उनके मुशहर समुदाय से अब तक एक भी व्यक्ति आईएएस अधिकारी नहीं बन पाया है। इसी आधार पर 'हम' आरक्षण के अंदर ज्यादा कमजोर समुदायों के लिए अलग व्यवस्था की मांग कर रही है। गौरतलब है, आरक्षण को लेकर मौजूदा विवाद की जड़ 2024 के सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले में है। कोर्ट ने राज्यों को एससी और एसटी वर्ग के अंदर उप- वर्गीकरण यानी सब-क्लासिफिकेशन की इजाजत दी थी। इसका उद्देश्य इन वर्गों में सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का फायदा पहुंचाना था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है। इसमें एससी और एसटी वर्ग के सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके लोगों को आरक्षण के फायदे से बाहर करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि संपन्न परिवार आरक्षण के फायदे पर ज्यादा कब्जा कर रहे हैं। याचिका में 2024 के फैसले का भी हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया कि

संविधान पीठ के सात में से चार जजों ने एससी और एसटी वर्ग में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करने की बात कही थी। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में कहा है कि एससी और एसटी पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। अभी यह व्यवस्था ओबीसी वर्ग में लागू है।

बहरहाल, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 'हम' की मांग का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, उन्हें पहले आरक्षण का फायदा छोड़ना चाहिए। अगर जीतनराम मांझी क्रीमी लेयर की व्यवस्था के पक्ष में हैं तो उन्हें पहले केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को भी इस्तीफा देना चाहिए। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास लंबे समय से एससी आरक्षण में उप-कोटे का विरोध करती रही है। चिराग ने कहा कि एससी समाज के सभी समुदाय एकजुट रहे हैं। संविधान में एससी आरक्षण को आर्थिक आधार पर तय करने की व्यवस्था नहीं है। चिराग ने चेतावनी दी कि आरक्षण में उप-कोटा या क्रीमी लेयर लागू करने से सामाजिक न्याय का मकसद कमजोर हो सकता है। इससे समाज में बंटवारा बढ़ेगा। इसका असर दलितों की एकता पर भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है। गया में उन्होंने कहा कि चिराग के रुख से गरीब और जरूरतमंद लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। मांझी ने कहा कि व्यापक जनहित में आरक्षण के अंदर यह बंटवारा जरूरी है। उन्होंने चिराग पर गरीबों की चिंता नहीं करने का आरोप लगाया। मांझी ने कहा कि अगर चिराग को गरीब लोगों की चिंता नहीं है तो उन्हें पहले अपने

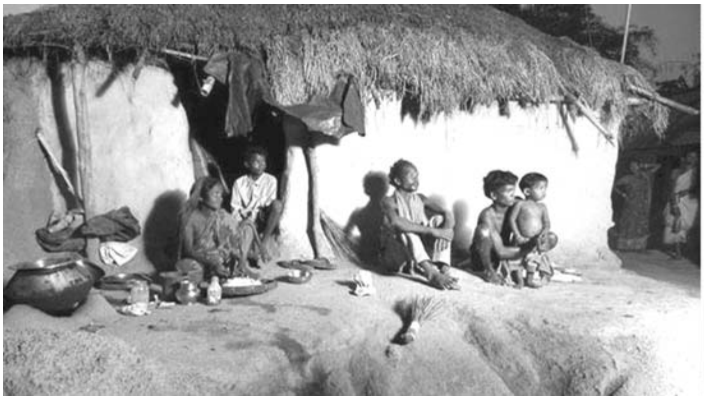

पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वही जीतनराम मांझी और संतोष सुमन एससी-एसटी आरक्षण के भीतर वर्गीकरण और कोटे में कोटा जैसे मुद्दों की वकालत करते रहे हैं। उनका तर्क है कि आरक्षण का लाभ सभी समुदायों तक समान रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। संतोष सुमन का कहना है कि उनकी मांग आरक्षण खत्म करने की नहीं, बल्कि उन समुदायों तक उसका लाभ पहुंचाने की है जो अब भी सबसे ज्यादा वंचित हैं। उनका सवाल है कि अगर अन्य वर्गों में अलग-अलग श्रेणियां बनाई जा सकती हैं तो एससी वर्ग के भीतर भी जरूरत के आधार पर व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती। संतोष कुमार सुमन ने आरक्षण की समीक्षा की वकालत करते हुए कहा कि आरक्षण पर सवाल उठाना उसका विरोध नहीं है। यह सवाल सामाजिक न्याय की मांग है कि जिसके लिए आरक्षण बना था, उसे उसका लाभ वास्तव में कितना मिला? उन्होंने कहा कि बिहार में अनुसूचित जाति के भीतर कई ऐसे समुदाय आज भी हैं, जो शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व के मामले में बेहद पीछे हैं। बकौल संतोष सुमन बांतर, बौरी, भुइयां, मुसहर, मांझी, रजवार,

संतोष कुमार सुमन

भोक्ता, चौपाल, डाबगर, डोम, घासी, हलालखोर, हरि, मेहतर, भंगी, कनजार, कुररियार, लालबेगी, नट, पान/सवासी, तुरी सहित अन्य समुदायों का सरकार समुदायवार आंकड़ा सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा कि हर कोई जानना चाहता है कि इनमें से प्रत्येक समुदाय के कितने लोग आईएएस-आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सचिव, जिलाधिकारी जैसे उच्च प्रशासनिक पदों तक पहुंचे हैं?

सरकारी नौकरियों में इनकी वास्तविक हिस्सेदारी कितनी है? उच्च शिक्षा में कितने विद्यार्थी पहुंचे? कितने परिवार आरक्षण के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक रूप से ऊपर उठे और कितने अभी भी उसी पिछड़ेपन में जी रहे हैं? उन्होंने कहा कि सिर्फ यह बताना पर्याप्त नहीं है कि आरक्षण दिया जा रहा है। सवाल यह है कि उसका लाभ किस तक पहुंच रहा है। यहां आरक्षण खत्म करने की बात नहीं हो रही है; आरक्षण को उसके मूल उद्देश्य तक पहुंचाने की बात हो रही है।

विदित हो कि बिहार की सियासत में एससी-एसटी आरक्षण को लेकर एनडीए के दो दलों के भीतर घमासान बढ़ गया है। एनडीए में शामिल लोजपा (रामविलास) और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। चिराग पासवान ने क्रिमी लेयर और आरक्षण के मुद्दे पर जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन पर निशाना साधा और दोनों से इस्तीफे की मांग की। अब 'हम' चीफ संतोष कुमार सुमन ने चिराग पासवान को जवाब दिया है। बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने एक्स पर लंबा पोस्ट कर चिराग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा वह इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले चिराग को इस्तीफा देना होगा। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि आरक्षण विरोधी कौन-सबसे पीछे खड़े लोगों का हक मांगने वाला या उनका हक रोकने वाला? उन्होंने आगे लिखा कि जहां तक इस्तीफे का सवाल है, हम तैयार हैं। मेरे छोटे भाई की पार्टी बड़ी है, उनके पास हमसे अधिक संख्याबल है और राजनीतिक रूप से तीसरी पीढ़ी भी है, तो शुरुआत वही करें। वे इस्तीफा देकर सामने आएं, हम भी उनके साथ इस्तीफा देने को तैयार हैं। लेकिन मेरे छोटे भाई, पहले मेरी बात को ठीक से समझिए। मैंने अपने एक्स पोस्ट और बयान में कहीं भी क्रीमी लेयर की बात नहीं की है। मैंने न एससी-एसटी आरक्षण समाप्त करने की बात कही है और न ही क्रीमी लेयर के आधार पर किसी को आरक्षण से बाहर करने की बात कही है। कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर दोनों पूरब और पश्चिम हैं। दोनों को एक साथ मिलाकर जनता को भ्रमित करना उचित नहीं है। यदि क्रीमी लेयर की बात आएगी तो उसके अपने अलग परिणाम होंगे, लेकिन हम जिस विषय की बात कर रहे हैं, वह एससी-एसटी के भीतर वर्गीकरण और कोटे में कोटा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि मेरे ट्वीट को शब्दशः पढ़िए, सच्चाई और हकीकत को आत्मसात करिए और फिर अपनी बात रखिए। हमारा सवाल किसी जाति या समुदाय का हक छीनने का नहीं है। सवाल उन लोगों का है जो आज भी उसी आरक्षित वर्ग की कतार में सबसे पीछे खड़े हैं। मुसहर, भुइयाँ, हलखोर, नट, डोम और ऐसे अनेक समुदाय आज भी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से बेहद पिछड़े हैं। विडंबना यह है कि कई जगह उन्हें अपने ही वर्ग के भीतर

बापू सभागार, मोतीहारी के कार्यक्रम में जीतनराम मांझी

सामाजिक भेदभाव और छुआछूत जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगर एक ही वर्ग में कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते जाएं और कुछ लोग पिछले 80 वर्षों से भी कतार में पीछे खड़े रहें, तो उनकी सुध कौन लेगा? हम आगे बढ़ चुके लोगों का आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, उन्हें उनका हिस्सा मिलता रहे और जो पीछे हैं, उनके लिए भी थोड़ा हिस्सा सुनिश्चित किया जाए। दस भाइयों के घर में अगर चार बड़े भाई सारी थाली अपने सामने खींच लें और बाकी छह भाई मुंह ताकते रह जाएं, तो क्या पिता से यह पूछना गलत है कि बाकी भाइयों की बारी कब आएगी? मिल-बांटकर खाने और सबको साथ लेकर चलने में जो खुशी और न्याय है, वह अकेले-अकेले खाने में नहीं है। हम यह भी कहना चाहते हैं कि इस विषय पर डर, आशंका और भ्रम की भाषा के बजाय संवाद और तथ्यों की भाषा में बात होनी चाहिए। जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई थीं, तब भी तरह-तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई थीं और कहा गया था कि इससे समाज में बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। लेकिन समय के साथ सामाजिक न्याय की उस व्यवस्था ने भारतीय लोकतंत्र में अपनी जगह बनाई। इसलिए आज भी जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इस विषय पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। असहमति लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन किसी के अधिकार और हिस्सेदारी की मांग को ही गलत ठहरा देना उचित नहीं है। एससी-एसटी समाज के भीतर भी किसी को सामंती सोच के साथ बात नहीं करनी चाहिए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हर गरीब की लड़ाई हमारी लड़ाई है, हर वंचित की आवाज हमारी आवाज है। इसलिए ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि कभी राजनीतिक मंचों और बयानबाजी से बाहर निकलकर उन गरीबों की झोपड़ियों और मलीन बस्तियों में जाकर देखिए, जहां सूरज की किरण तो पहुंचती है, लेकिन सरकारी योजनाओं, शिक्षा, अवसर और आरक्षण के लाभ की किरण आज भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है। वहां जाकर उन परिवारों से पूछिए कि वे किस हाल में जी रहे हैं। तब शायद उस दर्द और संवेदना को समझ पाएंगे, जिसकी बात हम कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं; हम सबसे पीछे खड़े व्यक्ति के पक्ष में हैं। इसलिए राजनीतिक रोटी कौन सेंक रहा है, यह जनता बहुत अच्छी तरह समझती है। हम तो चाहते हैं कि आंकड़ों के आधार पर समीक्षा हो, वास्तविक स्थिति सामने आए और ऐसी व्यवस्था बने जिससे जो लोग दशकों से पीछे रह गए हैं, उन्हें भी आगे आने का अवसर मिले। मेरे छोटे भाई, मेरी बात का विरोध करने से पहले मेरी बात को पूरा पढ़िए, समझिए और फिर जवाब दीजिए। जनता को भ्रमित मत करिए। सामाजिक न्याय का अर्थ यह नहीं कि व्यवस्था जैसी है, वैसी ही हमेशा बनी रहे; सामाजिक न्याय का अर्थ है-जो सबसे पीछे है, उसे भी आगे आने का रास्ता मिले, सम्मान मिले और उसका उचित हिस्सा मिले।

गौरतलब है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' और उप-वर्गीकरण को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपना पक्ष पूरी तरह साफ कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वंचित व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है, इसलिए क्रीमी लेयर और श्रेणियों के भीतर वर्गीकरण की समीक्षा बेहद जरूरी है। जीतन राम मांझी ने जोर देकर कहा कि आजादी के 78 वर्षों बाद भी दलित समुदाय की कई ऐसी जातियां हैं, जिन्हें शिक्षा, नौकरियों और सरकारी योजनाओं में उनकी आबादी और जरूरत के हिसाब से सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। वहीं विरोधी बयानों और इस्तीफे की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए जीतनराम मांझी ने कहा कि सामाजिक न्याय और सबसे गरीब दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग संपन्न हो चुके हैं, यदि वे क्रीमी लेयर का विरोध कर रहे हैं तो वे वास्तव में अति-पिछड़े और वंचित दलितों का हक मार रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि आरक्षण खत्म करने की बात कोई नहीं कर रहा है, बल्कि बात केवल इतनी है कि एक ही वर्ग के भीतर जो लोग लगातार आगे बढ़ते चले गए हैं, वे उन भाइयों की भी सुध लें जो दशकों से कतार में सबसे पीछे खड़े हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि उन्हें हमारे गरीब लोगों की परवाह नहीं है, वह गरीब लोगों को देखना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) द्वारा मोतिहारी के बापू सभागार में गरीब चौपाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन पार्टी संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दलित व महादलित समाज के लोग जुटे और अपनी समस्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी तथा बिहार सरकार के मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन को आवेदन सौंपा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वे हमेशा गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग संपन्न हैं, उन्हें ही आरक्षण में संशोधन को लेकर आपत्ति हो रही है। आरक्षण का लाभ वास्तविक रूप से समाज के गरीब तबके तक पहुंचना जरूरी है। मांझी ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने आरक्षण का पूरा लाभ उठा लिया है, उन्हें अब खुद आगे आकर हटने की जरूरत है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग दोहराते हुए कहा कि आरक्षण का उचित वर्गीकरण होना चाहिए ताकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, उसे उतना हक मिल सके। दोनों नेताओं ने आम लोगों को समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री

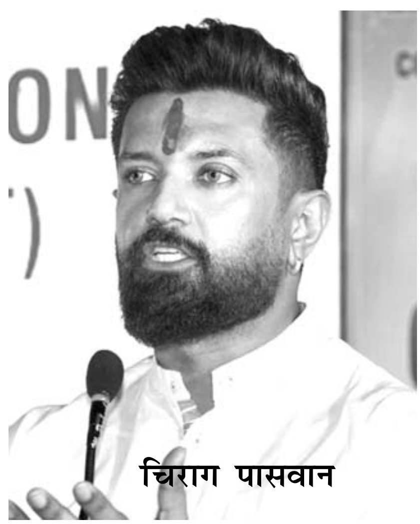

चिराग पासवान

तेजस्वी प्रसाद यादव

संतोष सुमन ने आरक्षण में बंटवारे की मांग दोहराई। उन्होंने कहा, चिराग पासवान को आखिर मेरी मांग पर परेशानी क्यों हो रही है? संविधान में भी लिखा है कि गरीब, दलित, वंचित को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ ले लिया है, अब गरीब लोगों को भी मिलने की आवश्यकता है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए और आरक्षण की समीक्षा भी होनी चाहिए। सुमन ने कहा राहुल गांधी को पता नहीं है कि अब कुल्हड़ में चाय मिलता है। उनका यह बयान समाज को बांटने वाला है। कांग्रेस को ऐसे लोगों से पार्टी की बागडोर छीनकर दूसरे के हाथ में दे देनी चाहिए।

बहरहाल, आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के दो प्रमुख नेताओं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच चल रही बयानबाजी के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरक्षण को खत्म करने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को चुनौती भी दे डाली कि सामान्य सीट से लड़कर दिखाएं। तेजस्वी ने दोनों नेताओं पर आरक्षित सीटों से चुनाव लड़कर आरक्षण के मुद्दे पर बयानबाजी करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने खुद कभी आरक्षण का कोई लाभ नहीं लिया, लेकिन चिराग पासवान हों या जीतनराम मांझी, दोनों लगातार आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ते रहे हैं और अब आरक्षण को लेकर बयान दे रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि जो लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, उनके साथ ही जीतनराम मांझी, चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा तक खड़े हैं। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को चुनौती देते हुए कहा कि दम है तो आरक्षित सीटों से इस्तीफा देकर जेनरल सीट से चुनाव लड़कर देखें। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता आरक्षण का लाभ भी लेते हैं और इसी मुद्दे पर बहस भी करते हैं। ऐसे नेताओं को समाज और विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं है और वे सत्ता में बने रहने के लिए अवसरवाद की राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि मंत्री पद, सुरक्षा और सरकारी सुविधाओं के लिए सत्ता से जुड़े रहना ही उनका उद्देश्य है। इन्हें समाज से कोई मतलब नहीं। तेजस्वी यादव ने बिहार में महागठबंधन सरकार के दौरान बढ़ाई गई 65 प्रतिशत आरक्षण सीमा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि यदि एनडीए के सहयोगी दल आरक्षण समर्थक हैं तो बिहार में बढ़ाई गई 65 प्रतिशत आरक्षण सीमा को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की दिशा में पहल क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टियों की आरक्षण को लेकर स्पष्ट विचारधारा क्या है, यह कोई नहीं जानता। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर एनडीए नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, 'गुड़ खाये, गुलगुले से परहेज!' उन्होंने आरोप लगाया कि दो केंद्रीय मंत्री अलग-अलग दिशाओं में बयान देकर भाजपा-आरएसएस के आरक्षण खत्म करने के कथित मूल उद्देश्य से ध्यान भटकाने और आरक्षण समर्थक जनभावना का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी ने आगे आरोप लगाया कि आरक्षित कोटे से जीतकर आए ये नेता संविधान और आरक्षण विरोधियों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। यदि दोनों नेताओं को आरक्षण से आपत्ति है तो गैर-आरक्षित सीटों से चुनाव लड़कर देखना चाहिए। तेजस्वी यादव ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के वर्ष 2015 के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें आरक्षण की समीक्षा की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि उस समय बिहार की जनता ने इसका जवाब दिया था। तेजस्वी ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि आरक्षण को लेकर फिर से ऐसा प्रयास किया गया तो बिहार की जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को आगामी राजनीतिक संघर्ष से जोड़ते हुए भाजपा और आरएसएस पर भी तीखा हमला किया। वही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन में बिहार सरकार और एनडीए के सहयोगी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से बिहार में बढ़े हुए 75 प्रतिशत आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की मांग की। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एनडीए के नेता आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पर गंभीर

संतोष कुमार सुमन

नहीं हैं और कहीं न कहीं आरक्षण की समीक्षा की बात करके भाजपा और आरएसएस के विचारों को मजबूती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार के दौरान जातीय गणना के आधार पर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और आदिवासी वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया था। ईडब्ल्यूएस के 10 प्रतिशत आरक्षण के साथ कुल आरक्षण 75 प्रतिशत किया गया था। तेजस्वी ने कहा कि बढ़े हुए 75 प्रतिशत आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। उनके मुताबिक एनडीए नेताओं ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर पर्याप्त दबाव नहीं बनाया, जिसके कारण बढ़ा हुआ आरक्षण लागू नहीं रह सका। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो आरक्षण की सीमा को 85 प्रतिशत तक बढ़ाकर इसे नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल करे। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस-वार्ता कर आरक्षण की वर्तमान सीमा से वृद्धि की मांग की। इसी के साथ एक बार फिर बताया कि आरक्षण के सबसे बड़े पहरुआ वही हैं। नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा तो भाजपा के साथ खड़े हैं और आरक्षण की समीक्षा की बात कर आरएसएस के विचारों को मजबूत कर रहे। उल्लेखनीय है कि तेजस्वी की इस राय से एक दिन पहले राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल कह चुके हैं कि समय-समय पर आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, इसलिए ताकि उपेक्षित-अपेक्षित वर्ग व व्यक्ति को उसका उचित लाभ मिल सके। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एनडीए के उपरोक्त नेता मात्र अपनी और स्वजनों की भलाई चाह रहे। यदि वे आरक्षण के पक्षधर हैं तो महागठबंधन सरकार द्वारा आरक्षण-सीमा में की गई वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित कराएं, ताकि उसकी वैधानिक बाध्यता हो। प्रश्न यह कि आज देश में 20 कुलपति, 10 जज भी अनुसूचित समाज से क्यों नहीं हैं। तेजस्वी ने चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, रामदास आठवले और ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया कि न्यायपालिका में दलित समाज के कितने न्यायाधीश हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों और केंद्र में सचिव स्तर के पदों पर दलित प्रतिनिधित्व को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि इन आंकड़ों से सामाजिक प्रतिनिधित्व की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

गौरतलब है कि चिराग पासवान ने बिहार की आर्थिक स्थिति को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तब विपक्ष को आंकड़ों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी केवल सरकार पर आरोप लगाना नहीं है। विपक्ष को सरकार के साथ मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने में भी भूमिका निभानी चाहिए। बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। राजस्व बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में निवेश और रोजगार पर भी जोर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में विकास को गति देने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य निवेश बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। उन्होंने डबल इंजन की सरकार का भी जिक्र किया। चिराग के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के मिलकर काम करने से बिहार को फायदा होगा। आने वाले समय में इसका असर विकास और आर्थिक मजबूती के रूप में दिखाई देगा। दूसरी तरफ हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लघु जल संसाधन मंत्री डॉ. संतोष

रोहिणी आचार्य

चिराग पासवान

कुमार सुमन ने आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि आरक्षण पर भाषण देने से पहले वह यह बताएं कि आज तक सामान्य सीटों पर उन्होंने कितने दलितों को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सामान्य सीटों पर दलितों को अवसर नहीं दिया गया, तो क्यों नहीं दिया गया? सामाजिक न्याय का मतलब दलितों को केवल आरक्षित सीटों तक सीमित रखना नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव 75 प्रतिशत आरक्षण और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जिस राज्यसभा और विधान परिषद में कितने दलित नेताओं को भेजा है? संतोष सुमन ने कहा कि केवल आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा देना ही सामाजिक न्याय नहीं है। असली सवाल यह है कि आरक्षण का लाभ किन लोगों तक पहुंच रहा है। अब ज्ञान बहुत हो गया, अब हिसाब चाहिए। वही बिहार में आरक्षण को लेकर इन दिनों जमकर बयानबाजी चल रही है। एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं जीतनराम मांझी, संतोष कुमार सुमन और चिराग पासवान के जुबानी जंग के बीच अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी शामिल हो गई हैं। रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट कर आरक्षण की समीक्षा करने की बात पर सवाल उठाए हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा कि जब तक सामाजिक-आर्थिक गैर बराबरी कायम है, तब तक आरक्षण की व्यवस्था की किसी प्रकार की समीक्षा उचित नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था केवल एक कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत में सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव और असमानता को दूर करने का एक संवैधानिक तथा संरचनात्मक माध्यम है। जब भी 'आरक्षण की समीक्षा' की बात उठती है, तो इसे केवल प्रशासनिक या आर्थिक नजरिए से देखने की बजाय इसके पीछे के सामाजिक न्याय के सिद्धांत

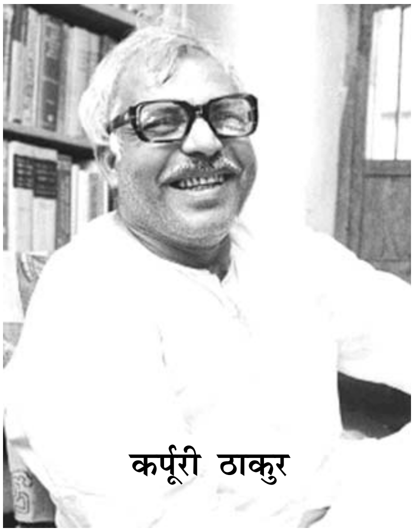
कर्पूरी ठाकुर

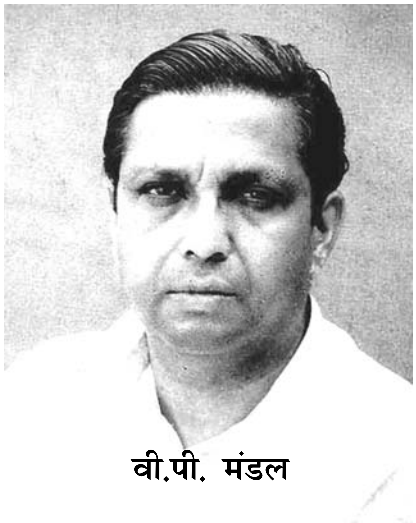
वी.पी. मंडल

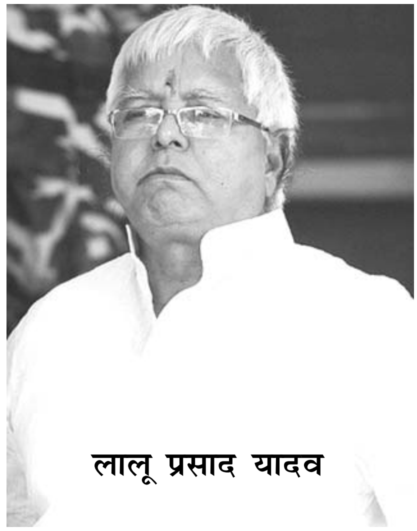
लालू प्रसाद यादव

को समझना आवश्यक है। आरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य सिर्फ गरीबी दूर करना नहीं, बल्कि उन समुदायों की शासन, प्रशासन, शिक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मुख्यधारा में भागीदारी (प्रतिनिधित्व) सुनिश्चित करना है, जिन्हें मुख्यधारा से रूप से दूर रखा गया। जब तक सभी वर्गों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व हासिल नहीं होता, सामाजिक व आर्थिक समरसता कायम नहीं होती, गैर बराबरी की खाई पाटी नहीं जाती , तब तक इसके स्वरूप को बदलना अनुचित होगा। कागजी प्रगति के बावजूद जमीनी स्तर पर जातिगत भेदभाव और सामाजिक- आर्थिक असमानता देश में आज भी मौजूद है। आरक्षण वंचित वर्गों को सुरक्षात्मक कवच प्रदान करता है, ताकि वे बिना किसी पक्षपात एवं अवरोध के आगे बढ़ सकें। देश का संविधान (विशेष रूप से अनुच्छेद 15 और 16) अवसरों की समता और सामाजिक न्याय की गारंटी देता है। वर्तमान आरक्षण व्यवस्था बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी और संविधान सभा के उस दृष्टिकोण का परिणाम है जो वंचितों के सशक्तिकरण को राष्ट्र निर्माण की पहली शर्त मानता है। आरक्षण की समीक्षा के किसी भी प्रयास से अक्सर वंचित वर्गों की सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों में कटौती किए जाने की संभावना बनी ही रहती है। अतः आरक्षण के वर्तमान प्रावधानों को बिना किसी उप-वर्गीकरण व समीक्षा के यथावत बनाए रखना सामाजिक संतुलन, न्याय और लोकतंत्र की समावेशी भावना को सुदृढ़ रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

बहरहाल, दिल्ली की सड़कों पर 'आरक्षण की समीक्षा' पर आंदोलन का सबसे ज्यादा असर मंडल की धरती बिहार में देखा जा रहा है। एक ओर जहां हम प्रमुख जीतनराम माझी आरक्षण में उप-वर्गीकरण की मांग कर रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर लोजपा मुखिया चिराग पासवान इसके खिलाफ हैं। आज भले ही इस मुद्दे पर बहस हो रही हो, लेकिन बिहार पहले ही आरक्षण का उप-वर्गीकरण हो चुका है। बिहार में आरक्षण के वर्गीकरण की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने की थी। इसके बाद लालू राज में यह खत्म कर दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार ने फिर कर्पूरी ठाकुर के विचार को अपनाने की पहल की। हालांकि मौजूदा स्थिति में यह प्रभावी रूप से लागू नहीं है। ज्ञात हो कि उत्तर भारत में ओबीसी के लिए आरक्षण सबसे पहले साल 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने किया था। उन्होंने मुंगेरीलाल कमीशन की रिपोर्ट लागू की, जिसमें 26 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था। इसमें 20 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग और 3 प्रतिशत महिलाओं के अलावा 3 प्रतिशत आरक्षण गरीब सवर्णों के लिए था। ओबीसी के आरक्षण को कर्पूरी सरकार ने 2 भागों में उप-वर्गीकृत किया था, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को 12 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 8% प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान था। वहीं, एससी-एसटी का 22.5% (15+7.5) आरक्षण पहले से लागू था। कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण लागू करने के बाद देशभर में ओबीसी आरक्षण की मांग तेज हो गई, जिसके बाद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता

मुंगेरीलाल कमीशन रिपोर्ट

नीतीश कुमार

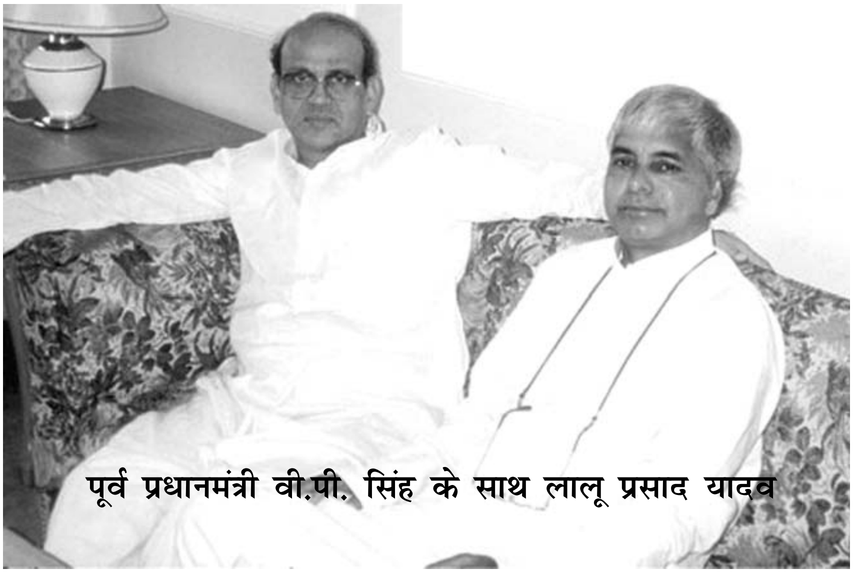
पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह के साथ लालू प्रसाद यादव

में 1 जनवरी 1979 को केंद्र सरकार ने मंडल आयोग बनाया, जिसकी शिफारशें 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने लागू कर दी, जिनमें ओबीसी के 27% आरक्षण देने की सिफारिश थी। मंडल कमीशन आने के बाद बिहार में कर्पूरी मॉडल समाप्त हुआ और लालू यादव ने मंडल कमीशन की शिफारशें लागू कीं। इस तरह बिहार में ओबीसी के लिए आरक्षण बिना बंटवारे के 27% लागू हुआ। एससी-एसटी का 22.5% भी यथावत रहा। साल 2007 में बिहार के तात्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से कर्पूरी मॉडल को लागू करने का प्रयास किया। इसके तहत ओबीसी वर्ग को ईबीसी और ओबीसी में बांटा। वहीं, दलित समुदाय को दलित और महादलित में बांटा गया। इसके पीछे सरकार का विचार था कि जिन समुदायो तक आरक्षण नहीं पहुंचा, उन्हें मिल सके। इसी के आधार पर एससी की कुल 22 जातियों में सबसे ज्यादा पिछड़ी 18 जातियों को महादलित का दर्जा दिया गया। इसी वर्गीकरण के आधार पर योजनाओं का लाभ भी दिया गया, लेकिन 2020 में बाकी की 4 जातियों (पासवान/ दुसाध, चमार, धोबी, पासी) को भी महादलित में शामिल कर दिया गया। इस तरह बिहार में अब सभी एससी जातियां महादलित हैं। साल 2023 में बिहार की नीतीश सरकार ने जाति जनगणना कराई और इसके आंकड़ों के आधार पर कुल 75 प्रतिशत का आरक्षण लागू किया। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को 25%, अनुसूचित जाति (एससी) को 20%, पिछड़ा वर्ग (बीसी/ओबीसी) को 18%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10% और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 2% को आरक्षण का प्रावधान किया गया। आरक्षण की सभी कटेगरी में 35 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी 2 प्रतिशत क्षैतिज कोटा है। वही बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले पर पटना हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी। कोर्ट का कहना था कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जहां मामला लंबित है। ऐसे में राज्य में पुराना आरक्षण ही लागू है, जो कि उप-वर्गीकृत है। पिछड़ा वर्ग को 30 प्रतिशत (अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) 18% और पिछड़ा वर्ग (बीसी) 12%), अनुसूचित जाति (एससी) को 16%, अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 1%, पिछड़े वर्ग की महिलाएं (डब्ल्यू बी सी) को 3% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10% आरक्षण लागू है। बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग जैसी संस्थाएं वर्तमान परीक्षाओं और नई भर्तियों के परिणाम पुरानी व्यवस्था (60% कुल आरक्षण) के नियमों के तहत ही निकाल रही हैं। राज्य सरकार कोर्ट में जल्द सुनवाई की कोशिश कर रही है, ताकि नई नियुक्तियों में बढ़े हुए कोटे का लाभ दिया जा सके।

गौरतलब है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर एनडीए के दो प्रमुख नेताओं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच चल रही बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इस विवाद में भाजपा विधायक एवं बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान की एंट्री हुई है। उन्होंने दोनों नेताओं को परिवार के दायरे से बाहर निकलकर अपने समाज के दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने की नसीहत दी है। लखेंद्र पासवान ने आरक्षण को लेकर भी स्पष्ट दावा किया। उन्होंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, आरक्षण की समीक्षा या इसे छूना तो दूर, कोई इससे छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता। उन्होंने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि इसे किसी की खैरात नहीं समझना चाहिए। लखेंद्र पासवान ने कहा कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों एनडीए के बड़े नेता हैं। ऐसे में उन्हें अपने परिवार के दायरे से बाहर निकलकर समाज के दूसरे लोगों को भी राजनीतिक अवसर देना चाहिए। लखेंद्र पासवान ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से सीधा सवाल किया कि उन्होंने अपने परिवार के अलावा कितने लोगों को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं को अपने-अपने समाज के दूसरे लोगों को भी राजनीतिक अवसर देना चाहिए। उन्होंने सवाल किया, मांझी जी या चिराग, अपने दल के अंदर कितने एससी समाज के लोगों को मौका दे रहे हैं? जीतन राम मांझी के परिवार का उदाहरण देते हुए मंत्री ने कहा कि उनके परिवार के कई सदस्य विधायक, विधान पार्षद या सांसद बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि परिवार के दायरे से बाहर निकलकर मुसहर समाज की वास्तविक स्थिति को भी देखना चाहिए। लखेंद्र पासवान ने सवाल किया कि अपने समाज के ही दूसरे लोगों को पार्टी में आगे बढ़ने का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच चल रही बयानबाजी पर मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर जरूरत से ज्यादा चर्चा हो रही है। केवल चर्चा करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने इस्तीफे की मांग को भी फिजूल बताया। उन्होंने कहा कि चिराग और मांझी दोनों एनडीए के महत्वपूर्ण नेता हैं। दोनों को आपसी विवाद बढ़ाने के बजाय सामाजिक बराबरी के लिए काम करना चाहिए। वही आरक्षण के मुद्दे पर लखेंद्र पासवान ने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तब तक आरक्षण की समीक्षा या उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की बात ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में बराबरी नहीं होगी, तब तक आरक्षण को कोई छू

लखेन्द्र पासवान

बाबा साहब की सोच से दलित समाज की दूरी का खतरा

● संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार)

बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर आजकल दलित राजनीति का संबल बने हुए हैं। बाबा साहब की फोटो लेकर उनके विचारों के नाम पर दलितों को खूब भड़काया और कथित तौर पर अगड़ों से लड़ाया जा रहा है। बाबा साहब के नाम के सहारे संविधान निर्माण को लेकर पिछले कुछ वर्षों में जो सार्वजनिक विमर्श तैयार किया जा रहा है, वह हकीकत से कितना दूर है या कितना पास, यह एक बड़ा सवाल है। जिसे समझने के लिए तथ्यों और राजनीति दोनों को अलग-अलग देखना जरूरी है। यह निर्विवाद है कि डॉ. अंबेडकर 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान सभा की सात सदस्यीय प्रारूप समिति (ड्राफ्टिंग कमेटी) के अध्यक्ष थे। इस हैसियत से उन्होंने न केवल संविधान के मसौदे को अंतिम रूप देने का नेतृत्व किया, बल्कि लगभग दो वर्ष ग्यारह महीने अठारह दिन तक चली संविधान सभा की बहसों में हर अनुच्छेद, हर संशोधन का बौद्धिक बचाव भी किया। कानून, तुलनात्मक संविधानों और प्रशासनिक व्यवस्था की उनकी गहरी समझ इस पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय रही, और मौलिक अधिकारों तथा सामाजिक न्याय की भावना को संवैधानिक भाषा देने में उनकी भूमिका को कोई गंभीर इतिहासकार नकारता नहीं है।

बहरहाल, इससे बड़ा सच यह है कि संविधान निर्माण कोई एक व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि संविधान सैकड़ों लोगों के सामूहिक श्रम का परिणाम था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने वह प्रारंभिक मसौदा (फर्स्ट ड्राफ्ट) तैयार किया था, जिसकी समीक्षा कर प्रारूप समिति ने उसे अंतिम रूप दिया। राव ने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन कर एक बुनियादी ढांचा खड़ा किया, जिस पर आगे का काम हुआ। इसी तरह प्रारूप समिति के अन्य सदस्य अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, एन. गोपालस्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान (जिनके निधन के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी शामिल हुए) और बी.एल. मित्तर भी अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर को कई विधि विशेषज्ञ संविधान का तकनीकी वास्तुकार तक कहते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने पूरी प्रक्रिया का संचालन किया, जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव (ऑब्जेक्टिव्स रिजॉल्यूशन) संविधान की मूल दिशा तय करने वाला दस्तावेज बना, और सरदार पटेल ने मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक संबंधी समितियों का नेतृत्व करते हुए रियासतों के एकीकरण जैसे जटिल कार्य को भी साथ-साथ संभाला। इस पृष्ठभूमि में यह कहना तथ्यात्मक रूप से सही होगा कि अंबेडकर संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे, न कि एकमात्र निर्माता। यह भेद बारीक है, लेकिन राजनीतिक विमर्श में अक्सर गायब हो जाता है। पिछले कुछ दशकों में, खासकर बहुजन राजनीति के उभार और फिर भाजपा जैसी पार्टियों द्वारा दलित-वंचित मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिशों के बाद, लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, भाजपा, बसपा, आरपीआई और वामपंथी दल भी अंबेडकर को अपनी विचारधारा से जोड़कर पेश करते रहे हैं। यह होड़ स्वाभाविक रूप से इतिहास के सरलीकरण की ओर ले जाती है, जहां जटिल सामूहिक प्रक्रिया को एक ही नायक की गाथा में बदल दिया जाता है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि हर पक्ष अंबेडकर के नाम, प्रतीक और विरासत का इस्तेमाल अपने राजनीतिक-सामाजिक आधार को मजबूत करने के लिए करता है। सवाल सिर्फ इतना है कि इसमें अंबेडकर के मूल वैचारिक अवदान (संवैधानिक नैतिकता, सामाजिक लोकतंत्र, शिक्षा और संगठन पर जोर) को कितनी गंभीरता से आगे बढ़ाया जा रहा है, और कितना उसे केवल प्रतीकात्मक राजनीति तक सीमित रखा जा रहा है। यह मूल्यांकन हर पर्यवेक्षक अपने राजनीतिक झुकाव के हिसाब से अलग-अलग तरीके से करता है।

बात आरक्षण की की जाए तो आरक्षण को लेकर अंबेडकर की सोच भी उतनी ही सूक्ष्म थी, जितनी आज के विमर्श में उसे दिखाया नहीं जाता। 1932 के पूना पैक्ट के बाद, जब गांधी के अनशन के दबाव में अंबेडकर को दलितों के लिए अलग निर्वाचिका (सेपरेट इलेक्टोरेट) की मांग छोड़नी पड़ी, तब आरक्षित सीटों को एक समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था। संविधान सभा में अंबेडकर ने विधायी निकायों में अनुसूचित जातियों-जनजातियों के लिए आरक्षण की पुरजोर वकालत की, लेकिन उन्होंने खुद इसे शुरुआत में दस वर्ष के लिए सीमित रखने का प्रस्ताव रखा था, इस उम्मीद के साथ कि सामाजिक समानता आने पर इसकी समीक्षा होगी। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को उन्होंने प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के औजार के रूप में देखा, आर्थिक कल्याण योजना के रूप में नहीं। आज की स्थिति देखें तो विधायी आरक्षण को बार-बार संवैधानिक संशोधनों से आगे बढ़ाया जाता रहा है, 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को इसमें जोड़ा गया, और 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए भी आरक्षण की नई श्रेणी बनाई गई। यानी आरक्षण की मूल संकल्पना, जो अंबेडकर के समय जाति आधारित ऐतिहासिक भेदभाव की भरपाई तक सीमित थी, आज कहीं व्यापक और स्थायी रूप ले चुकी है। इसे लेकर भी दो स्पष्ट खेमे हैं। एक पक्ष मानता है कि सामाजिक असमानता अब भी उतनी ही गहरी है, इसलिए आरक्षण की सतत आवश्यकता है; दूसरा पक्ष तर्क देता है कि अंबेडकर की मूल भावना समयबद्ध, लक्षित और समीक्षा योग्य व्यवस्था से आज की व्यवस्था कहीं दूर जा चुकी है। दोनों तर्कों के अपने आंकड़े और अपने समर्थक हैं, और यह विषय अकादमिक व राजनीतिक रूप से अब भी अनसुलझा है।

बात उन नामों की की जाए जो संविधान निर्माण में गहराई से जुड़े रहे, लेकिन आज के लोकप्रिय विमर्श में लगभग गुम हैं बी.एन. राव (जिन्होंने पहला मसौदा तैयार किया), अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर, के. एम. मुंशी, एन. गोपालस्वामी आयंगर, टी.टी. कृष्णमाचारी, डी.पी. खेतान, और स्वयं राजेंद्र प्रसाद व सरदार पटेल इन सबका योगदान दस्तावेजी रूप से दर्ज है, लेकिन पहचान की राजनीति और वोट-बैंक केंद्रित विमर्श में इन्हें वह जगह नहीं मिली जो शायद मिलनी चाहिए थी। यह प्रवृत्ति सिर्फ अंबेडकर के मामले में नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के व्यापक चलन का हिस्सा है, जहां इतिहास को अक्सर सामूहिक स्मृति के बजाय चुनावी लाभ के चश्मे से गढ़ा और परोसा जाता है।कुल मिलाकर अंबेडकर का योगदान वास्तविक, केंद्रीय और अपरिहार्य था। इसे कम आंकना अन्याय होगा। लेकिन इसे एकांगी नायकत्व में बदल देना भी संविधान निर्माण की सामूहिक, बहुलतावादी प्रक्रिया के साथ अन्याय है। आज जरूरत इस बात की है कि अंबेडकर के विचारों चाहे वे संवैधानिक नैतिकता पर हों या आरक्षण की मूल भावना का ईमानदार अध्ययन हो, न कि केवल उनकी छवि का राजनीतिक दोहन।

भी नहीं सकता। उन्होंने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि यह किसी को खैरात में नहीं मिला है। बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का सपना तभी पूरा होगा, जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से बराबरी मिलेगी। मंत्री ने कहा कि आज भी समाज में भेदभाव और छुआछूत पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में सामाजिक बराबरी हासिल करने के लिए संवैधानिक अधिकारों की रक्षा जरूरी है। लखेंद्र पासवान ने सवर्ण समाज के गरीब लोगों को भी आरक्षण दिए जाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के जरूरतमंद लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अवसर देना जरूरी है, लेकिन इसके साथ समाज में मौजूद भेदभाव और छुआछूत को भी समाप्त करना होगा। अपनी राजनीतिक स्थिति का उदाहरण देते हुए लखेंद्र पासवान ने कहा कि वह भाजपा के ईमानदार सिपाही हैं। पार्टी जहां से चुनाव लड़ने के लिए कहती है, वहीं से चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की ओर इशारा करते हुए कहा कि दोनों अपनी-अपनी पार्टियों के प्रमुख हैं। ऐसे में उन्हें भी ईमानदारी से तय करना चाहिए कि अपने समाज के कितने लोगों को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं। दिगर बात है कि आरक्षण की व्यवस्था पर प्रशांत किशोर से पूछा गया तो उन्होंने आरक्षण की समीक्षा से इनकार किया। मोतिहारी में प्रेस कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आरक्षण का प्रावधान जिन उद्देश्यों को लेकर किया गया उनकी पूर्ति अभी तक नहीं हुई है। अभी भी समाज में ऊंच-नीच की खाई बरकरार है। इसे खत्म होने तक आरक्षण के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था से भी इनकार

प्रशांत किशोर

किया।

बहरहाल, आरक्षण का मुद्दा ऐसे समय फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है, जब आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में एनडीए के भीतर सहयोगी दलों के बीच शुरू हुई यह बहस आने वाले दिनों में और तेज होने के आसार हैं। आरक्षण के मुद्दे पर चिराग पासवान और मांझी-सुमन खेमे के बीच सामने आया मतभेद बिहार की दलित राजनीति के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। दोनों पक्ष खुद को वंचित वर्गों के हितों की आवाज बता रहे हैं, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था को लेकर उनके रास्ते अलग नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या एनडीए के भीतर इस मुद्दे पर कोई साझा रुख बन पाएगा या आने वाले दिनों में आरक्षण को लेकर सहयोगी दलों के बीच टकराव और बढ़ेगा। इसी बीच हाल ही में दिल्ली में जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की चर्चा के साथ ही जय भीम के नारों की गूंज ने उस आंदोलन के कुछ दिनों बाद ही उसी जंतर-मंतर पर आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' के बैनर तले हो रहे इन प्रदर्शनों से आरक्षण की बहस एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गई है, लेकिन बीजेपी के लिए यह सिर्फ आरक्षण की नीति पर बहस नहीं है, यह उसके सामने खड़ी एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है। एक तरफ जनरल कैटेगरी के उस वर्ग की नाराजगी है जो लंबे समय से उसके समर्थन का मूल आधार रहा है तो दूसरी तरफ अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदाय हैं, जिनमें बीजेपी ने पिछले एक दशक में अपना सामाजिक आधार बढ़ाया है। इनके बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीने दूर है। ऐसे में सवाल यह भी है कि बीजेपी आरक्षण को लेकर उठ रही इन नई मांगों का जवाब कैसे देगी, वह भी बिना अपने एक समर्थक समूह को दूसरे से दूर किए हुए। यही बीजेपी की असली राजनीतिक दुविधा है। क्या बीजेपी अनारक्षित जातियों की चिंताओं को संबोधित करते हुए ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों के बीच अपने समर्थन को बनाए रख पाएगी? या आरक्षण की बहस एक बार फिर उसके लिए वही मुश्किल राजनीतिक संतुलन पैदा करेगी, जिसमें एक समर्थन समूह को आश्वस्त करने की कोशिश दूसरे समूह में असुरक्षा पैदा कर सकती है। बीजेपी ने जातियों का एक बुके तैयार किया और यह सिलसिला 2014 में मोदी युग के साथ शुरू हुआ। उससे पहले बीजेपी को लोकसभा में 22% के आसपास वोट मिलते थे, वह 37% तक पहुंच गए। बीजेपी अपने मूल वोटर, ऊंची जातियों से आगे बढ़ी। बीजेपी के मूल वोट बैंक, सवर्णों को लगता था कि उनकी हित रक्षक बीजेपी ही है, लेकिन बीजेपी ने जातियों का गुलदस्ता बना दिया तो इन्हें लगा कि बीजेपी इनसे पीछा छुड़ा रही है, इसलिए इसको सबक सिखाया जाना चाहिए। मोदी युग शुरू होने के बाद से इस आरक्षण विरोधी आंदोलन से पहली बार लग रहा है कि बीजेपी के मूल वोट बैंक में हलचल है और पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि वह इस मामले में क्या करे। इनकी (आरक्षण विरोधी आंदोलन के प्रतिनिधियों की) जेपी नड्डा से मुलाकात हुई लेकिन दिक्कत यह है कि बीजेपी इनकी इस मांग का समर्थन नहीं कर सकती कि आरक्षण मेरिट के आधार पर हो। क्योंकि बीजेपी अगर ऐसा करेगी तो वह ओबीसी के वोट बैंक की कीमत पर करेगी। यह तो पार्टी के पक्ष से बात हुई। अब जो लोग आंदोलनकारी हैं या सवर्ण हैं उनके पक्ष से बात देखें-अगर बीजेपी नहीं तो कौन? आखिर उन्हें भी कहीं न कहीं अपना राजनीतिक नेतृत्व देखना पड़ेगा। यहां ज्यादातर उदासीनता की ही स्थिति है। देश में

आरक्षण मुद्दे को लेकर जे.पी. नड्डा से मिले प्रतिनिधि

उपमुख्यमंत्री, उ०प्र० ब्रजेश पाठक के साथ प्रेसवार्ता में हर्ष दूबे (दायें)

सबसे ज्यादा युवा आबादी है लेकिन उस हिसाब से रोजगार नहीं है। अब अच्छी क्वालिटी की शिक्षा का सवाल उठ रहा है, रोजगार का सवाल उठ रहा है लेकिन विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं दिखता जो इसे कैच कर ले। सीजेपी आंदोलन में भी किसी युवा में विपक्ष के किसी नेता के प्रति कोई आकर्षण नहीं दिखा। कई युवाओं का कहना था कि एक वर्ग ने इस व्यवस्था में अपने लिए जो इंडिया बनाया है, उसमें भारत के लिए जगह नहीं है और चूंकि यह आभासी माध्यम से उठे हुए हैं-चाहे सीजेपी हो या आरक्षण विरोधी आंदोलन हो, इनका कोई चेहरा नहीं है। इसलिए यह असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। अगले साल की शुरुआत में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने दीजिए, तब पता चलेगा कि सोशल मीडिया के जरिए जो स्वत: स्फूर्त आंदोलन आया है या इससे उपजी राजनीति का ऊंट है, वह किस करवट बैठेगा?

विदित हो कि आरक्षण के खिलाफ मुहिम अब सोशल मीडिया की बहस से निकलकर सड़कों तक पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया से शुरू हुई मुहिम 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' से जुड़े लोगों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में इस मुहिम से जुड़े लोगों के अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों से सरकारी नौकरियों और शिक्षा में जाति के आधार पर आरक्षण का विरोध करने वाले लोग जुटे थे। इनमें कई हिंदुत्ववादी समूहों से जुड़े कार्यकर्ता भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी और शाम होते-होते प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती हटा दिया गया। प्रदर्शनकारी मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा, जाति के बजाय आर्थिक आधार को प्राथमिकता देने और मेरिट आधारित व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। यूं तो इस अभियान का नाम 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' है लेकिन प्रदर्शन में शामिल अधिकतर लोग सीधे आरक्षण को खत्म करने के बजाए आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे। यहां आने वाले अधिकतर प्रदर्शनकारियों का एक ही तर्क था, 'आरक्षण आर्थिक आधार पर हो'। भारत में आर्थिक आधार पर दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। इस आंदोलन ने एक पुरानी बहस को नए सिरे से सामने ला दिया है कि क्या भारत में आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए? या फिर जब तक जातिगत असमानता और भेदभाव पूरी तरह खत्म न हो जाए तब तक आरक्षण जरूरी है। यही इस आंदोलन की मूल वैचारिक लड़ाई है। आरक्षण हटाओ आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों के बीच सभी मांगों को लेकर पूरी तरह एकरूपता नहीं है, लेकिन मौजूदा प्रदर्शनों में जाति आधारित आरक्षण की समीक्षा, आर्थिक आधार को अधिक महत्व देने, मेरिट को चयन का प्रमुख आधार बनाने और आरक्षण के लाभों के लगातार एक ही वर्ग तक केंद्रित होने पर सवाल उठाए गए हैं। आंदोलन से जुड़े कुछ लोग सरकार से आरक्षण पर विस्तृत आंकड़ों के साथ एक श्वेतपत्र जारी करने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि, इस प्रोटेस्ट के अगले ही दिन आयोजकों में से एक हर्ष दुबे ने यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ लखनऊ में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मांग को व्यवस्थित तरीके से सरकार के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने वादा किया था कि प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल की केंद्र सरकार के मंत्री से मुलाकात दो दिन के भीतर करवाई जाएगी, हालांकि ये समय सीमा बीतने के बावजूद ऐसी किसी मुलाकात के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है। इस प्रेस वार्ता ने आंदोलन के भीतर भी मतभेद उजागर कर दिए। आंदोलन का नेतृत्व करने का दावा कर रहे लोगों में शामिल अनुराधा तिवारी ने सार्वजनिक रूप से हर्ष दुबे और सरकार के बीच हुई बातचीत तथा दुबे की ओर से रखी गई मांगों से खुद को अलग किया है। वहीं, सोशल मीडिया पर भी इस आंदोलन से जुड़े लोगों के अलग-अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। अनुराधा तिवारी ने कहा है कि वह जल्द ही इस मुहिम को दिशा देंगी। वहीं आयोजकों में से एक हर्ष दुबे ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कहा था, 'जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम पीछे नहीं हटेंगे और आंदोलन जारी रहेगा'। हालांकि, इसके अगले ही दिन वो लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ नजर आए थे।

गौरतलब है कि दिल्ली में प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का एक बयान बार-बार पोस्ट किया जा रहा है जिसमें वो कह रहे हैं, 'कान खोलकर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है, इतना ही नहीं, आप हटाना चाहोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी हटाने भी नहीं देगी, ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का है'। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने इस आंदोलन के समर्थन में अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। यही नहीं, इस आंदोलन को अभी किसी बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल का औपचारिक समर्थन हासिल नहीं है। फिलहाल, इस आंदोलन के समर्थक मुख्य रूप से सामान्य वर्ग के युवा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र, युवा पेशेवर और सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग हैं, जिनमें अधिकतर तथाकथित अगड़ी जातियों से आते हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर चर्चा में रहने वाले कुछ लोगों ने जरूर आरक्षण व्यवस्था की आलोचना की है। आनंद रंगनाथन और विवादित पत्रकार अजीत भारती जैसे नाम सार्वजनिक रूप से मेरिट और मौजूदा आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे हैं। आरक्षण हटाओ आंदोलन के इंस्टाग्राम पेज

अमित शाह

को अभी तक 56 लाख से अधिक लोगों ने फॉलो किया है, हालांकि जमीन पर इसका कोई खास समर्थन दिखाई नहीं देता। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल अधिकतर युवा भी जातिगत और हिंदुत्ववादी संगठनों से ही जुड़े थे।

बहरहाल, सवाल है कि आरक्षण क्यों आया था? इस बहस को समझने के लिए भारत के संविधान और स्वतंत्रता के बाद की सामाजिक स्थिति को समझना जरूरी है। आरक्षण केवल गरीबी दूर करने की योजना के रूप में नहीं लाया गया था। भारत में जाति के आधार पर लंबे समय तक कुछ समुदायों को शिक्षा, सत्ता, सार्वजनिक संस्थानों और रोजगार से दूर रखा गया। संविधान निर्माताओं के सामने सवाल था कि क्या केवल कानून के सामने समानता दे देना पर्याप्त होगा। इस सवाल के मूल में भारतीय समाज की असमान स्थितियां थीं जिनमें आबादी का एक बड़ा हिस्सा जाति की वजह से शोषण और उत्पीड़न का शिकार रहा था। आरक्षण का उद्देश्य ऐसे समुदायों को शिक्षा, सरकारी रोजगार और राजनीतिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व देना था, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से इन क्षेत्रों से बाहर रखा गया था। आरक्षण समर्थक विश्लेषकों के तर्क का आधार यह है कि अगर समस्या का मूल कारण जाति है तो उसके समाधान का आधार केवल आर्थिक स्थिति नहीं हो सकता। आरक्षण हटाओ आंदोलन का बड़ा तर्क है कि आज किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को उसकी जाति से ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन आरक्षण के समर्थक कहते हैं कि गरीबी और जातिगत भेदभाव अलग- अलग समस्याएं हैं। अगर किसी व्यक्ति की समस्या गरीबी है तो उसके लिए छात्रवृत्ति, फीस में छूट या आर्थिक सहायता जैसे उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन आरक्षण का उद्देश्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और वंचितों को बराबरी पर आने का मौका देना है। वही आरक्षण का विरोध कर रहे लोगों की मुख्य मांग है आरक्षण की समीक्षा और इस व्यवस्था में सुधार तो बिना ठोस डेटा के रिफॉर्म कैसे हो सकता है? जातिगत जनगणना से यह पता चलना चाहिए कि किस समुदाय की आबादी कितनी है, शिक्षा और रोजगार में उसकी स्थिति क्या है और संसाधनों तक उसकी पहुंच कितनी है। बिना इन आंकड़ों के यह कैसे तय किया जा सकता है कि कौन सा समुदाय आरक्षण से बाहर निकलने की स्थिति में पहुंच चुका है। वही आरक्षण विरोधी आंदोलन में 'मेरिट' सबसे प्रमुख शब्दों में से एक है। प्रदर्शन के दौरान अधिकतर लोग एक जैसा ही तर्क देते हुए कहते हैं, 'रिजर्वेशन की वजह से मेरिट वालों को नौकरी नहीं मिल पा रही है'। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि चयन का आधार व्यक्ति की क्षमता और प्रदर्शन होना चाहिए, न कि उसकी जाति।

लब्बोलुआब है कि यूजीसी, एससी/एसटी कानून और आरक्षण को लेकर सवर्ण समाज की नाराजगी से भारतीय जनता पार्टी को चुनावी और राजनीतिक मोर्चे पर बड़े नुकसान की आशंका है, क्योंकि यह

वर्ग पार्टी का पारंपरिक और मजबूत वोट बैंक माना जाता है। ठाकुर, ब्राह्मण और अन्य सवर्ण जातियां लंबे समय से बीजेपी की रीढ़ रही हैं। हाल के नीतिगत फैसलों, यूजीसी के नए नियमों, पेपर लीक और आरक्षण से जुड़े विवादों के कारण इस वर्ग में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रति असंतोष बढ़ा

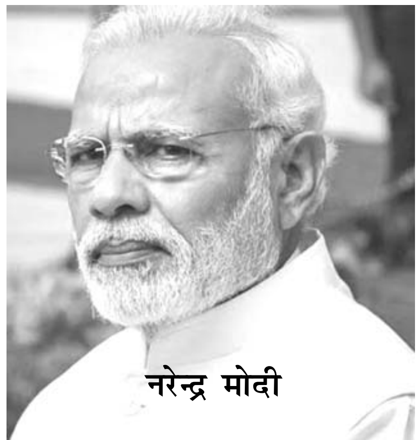
नरेन्द्र मोदी

है। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सवर्ण मतदाताओं की नाराजगी का असर बीजेपी को चुनावी हार या सीटों के अंतर के रूप में उठाना पड़ा है। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के आगामी चुनावों में यदि यह असंतोष कायम रहा, तो यह बीजेपी के विजय रथ को रोकने और पार्टी के समीकरण बिगाड़ने की क्षमता रखता है। हालांकि इस असंतोष को थामने के लिए पार्टी और सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं। बिहार और अन्य जगहों पर सवर्ण आयोग की सिफारिशों पर विचार, ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग और आवासीय विद्यालयों में दाखिले जैसी योजनाएं लाई जा रही हैं। बीजेपी नेतृत्व बुद्धिजीवी सम्मेलन और विशेष बैठकों के जरिए सवर्ण जातियों की नाराजगी दूर करने और विपक्षी दलों जैसे सपा या कांग्रेस की पैठ को रोकने के लिए लगातार सक्रिय है। हालांकि सवर्ण समाज की नाराजगी इससे खत्म होती नहीं दिख रही। ऐसे में समय रहते बीजेपी के इन कैडर वोटरों की मांग नहीं पूरी की गई तो बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों में बुरी हार देखने को मिल सकती है।●

मुस्लिम तुष्टिकरण के रास्ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

● संजय कुमार सिन्हा

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तीन देशों के 17 दिवसीय दौरे पर थे। उनकी यात्रा का पड़ाव अमेरिका, दूसरा कनाडा और तीसरा ब्रिटेन रहा है। यह संघ की शताब्दी वर्ष के अवसर पर उनका पहला बड़ा इंटरनेशनल दौरा माना जा रहा है। मोहन भागवत ने अमेरिका के न्यूयॉर्क (मैडिस्न स्क्वायर गार्डन) में यूनिवर्सल वननेस सम्मेलन को संबोधित किया। कनाडा के टोरंटो में हिंदु विश्व बंधु सम्मेलन में भी हिस्सा लिया हैं, उसके बाद लंदन। अब संघ की आलोचना करने वाले या ये भी कह सकते हैं कि संघ की विचारधारा को जानने वाले एवं संघ के पुराने स्वयंसेवक, संघ प्रमुख के हिन्दू स्पष्टीकरण एवं हिन्दू नहीं होने वाले बयान से थोड़ा ज्यादा खफा हैं। मोहन भागवत के अमेरिकी बयानों ने इस पुरानी बहस को फिर सामने ला दिया है कि भारत की पहचान धार्मिक बहुसंख्यक संस्कृति से तय होगी या उसकी बहुलतावादी और समतामूलक परंपराओं से। मोहन भागवत जहां भारत को विविधता में एकता और मानवता का संदेश देने वाला देश बता रहे हैं, वहीं उनके आलोचक पूछ रहे हैं कि यही संदेश भारत के भीतर जातिगत भेदभाव, धार्मिक तनाव और सामाजिक असमानता के सवालों पर भी उतनी ही स्पष्टता से क्यों नहीं दिखाई देता! यूजीसी कानून बेशक सुप्रीमकोर्ट में लंबित है, परन्तु ऐसे कानून कभी किसी भी सुरत मे समाज को स्वीकार नहीं हो सकता। क्या आज एससी एसटी कानून का दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है? सवाल है कि अगर एससी एसटी कानून का औसतन उपयोग से ज्यादा दूर उपयोग हो रहा है तो क्या समीक्षा नहीं होनी चाहिये? आज कई प्रदेशों में ऐसे कानून के अन्तर्गत झूठे बेबुनियाद आरोप लगाकर कर लोगों को फंसा कर पैसे लिये जा रहे हैं। कुछ जातियाँ की कमाई का एक जरिया बन चुकी है।

RSS
Rashtriya Swayamsevak Sangh
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि अमेरिका में मोहन भागवत के बयानों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, हिंदुत्व, बुद्ध की विरासत और भारतीय संविधान के बहुलतावादी मूल्यों के बीच संबंध को लेकर एक नई राजनीतिक बहस जरूर छिड़ गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 29 अगस्त, 2026 को न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन में कहा कि जो हिंदू यह मानता है कि मुसलमानों को भारत से ''बाहर निकाल देना चाहिए'', वह हिन्दू नहीं रह सकता। मतलब हिन्दू नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मानवता की एकता की हिन्दू अवधारणा में इस तरह किसी को बाहर करने की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, ''जब हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं तो एक शब्द की काफी चर्चा की जाती है और वो है बहुलता और जब हम भारत कहते हैं तो एक और शब्द की चर्चा की जाती है और वो है-यूनिटी इन डायवर्सिटी, ये यूनिटी और डायवर्सिटी दोनों भारत के डीएनए में है. '' उन्होंने कहा, 'अगर आप खुद को हिंदू कहलाना चाहते हैं, तो आपको यह मानना होगा कि सभी रास्ते एक ही ईश्वर तक पहुंचते हैं। और हर इंसान का सम्मान और गरिमा है. इंसानों में कोई भेद नहीं है'।

मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू परंपरा में यह माना जाता है कि सभी धर्म अंततः ईश्वर की खोज की ओर ले जाते हैं. उन्होंने कहा कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से उन अलग-अलग धर्मों के लोगों को शरण दी है, जिन्हें कहीं और सुरक्षा नहीं मिली।

हालांकि, उन्होंने कहा कि अतीत की 'विरासत' ने समुदायों के बीच तनाव पैदा करने में भूमिका निभाई है। लेकिन उन्होंने 16 बार पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्द गौरी को मांफी के उदाहरण नहीं दिये और अंत में उसी मोहम्द गौरी ने तराईन के युद्ध में छल से पृथ्वीराज चौहान को हलाक कर दिया। मोहन भागवत के विरोधी अनेकों मुस्लिम आक्रंताओं की आलोचना तो करते हैं। परंतु उनका मानना है कि भारत के मुसलमान भी मेरे तरह सनातनी हिन्दू ही हैं।

मोहन भागवत के विरोधी आज दो प्रकार के मानें रहे हैं। एक वो जो हमेशा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अच्छे कामों के लिए भी कोसते रहे हैं। और दूसरे वैसे स्वयंसेवक या कहें कि संघ विचारधारा को मानने वाले हैं जो न ऐसे बयान से वास्ता रखते और न ही मुस्लिम मंच बनाये जाने का स्वागत करते हैं। उनकी मानें तो उनका कहना है कि संघ की स्थापना मुस्लिम तुष्टिकरण के विरोध में एवं हिन्दू जातियों को गोलबंद करने की शर्तो पर ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना परमपूज्य डाक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार एवं परमपूज्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने बनाई थी और उसी रास्ते पर पांचवे संघचालक परम आदरणीय के. एस. सुदर्शन भी चलते रहे थे। परंतु अब मोहन भागवत सेक्युलर स्वभाव में आ चुके हैं। मोहन भागवत के विरोधी पिछले साल हरियाणा भवन में करीब 60 अलग-अलग मुस्लिम संगठन के मौलाना मौलवी के साथ मोहन भागवत की मिटिंग का विरोध करते हैं। और मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप भी लगाते हैं। कुछ उनके विरोधी तो संघ की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न खड़े करते हैं, और कहते हैं अब संघ की क्या जरूरत जब

अमेरिकी एड्रिएन थॉर्न ने आरएसएस के लिए अच्छा नहीं कहा

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 29 अगस्त न्यूयॉर्क में हुए कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि में से एक अमेरिकी रिवर साइड चर्च की बिशप एड्रिएन थॉर्न भी थी, जो बिलकुल मोहन भागवत के बगल में बैठीं थीं सिर्फ उन दोनों के बीच एक छोटी सी टीटेबल ही रही होगी। सबसे मजे की बात है कि आयोजकों ने कैसे इन्हें मोहन भागवत के बगल में जगह दे दिया। ये लेडी तो हमेशा से हिन्दू विरोधी रहीं हैं। इन्होंने कभी भी हिन्दूवादी संगठनों को एक पैसे के बराबर भी पसंद नहीं किया है। कार्यक्रम के तुरंत बाद एड्रिएन थॉर्न ने कहा है उन्हें धोखा देकर बुलाया गया उन्हें नहीं पता था यह आरएसएस का कार्यक्रम है और इसमें मोहन भागवत आने वाला हैं। उन्होंने साफ-साफ यह भी कहा कि वह किसी भी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का समर्थन नहीं करती हैं। एड्रिएन थॉर्न ने कहा-"रिवरसाइड चर्च न तो मोहन भागवत, न ही आरएसएस और न ही हिंदू राष्ट्रवाद का समर्थन करता है।" एड्रिएन थॉर्न न्यूयॉर्क के रिवरसाइड चर्च की वरिष्ठ मंत्री हैं ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत के साथ मंच साझा करने को "एक गलती" बताया। उन्होंने कहा कि आयोजकों ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी थी कि कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत केंद्रीय भूमिका में होंगे और आरएसएस से जुड़े संगठन इसमें शामिल थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरी जानकारी होती तो वे इस कार्यक्रम में कभी शामिल नहीं होतीं। उन्होंने हिंदू वर्चस्ववाद, ईसाई वर्चस्ववाद, मुस्लिम वर्चस्ववाद, यहूदी वर्चस्ववाद और नस्लवाद सहित हर उस विचारधारा को

खारिज किया जो एक समुदाय को दूसरे से श्रेष्ठ मानती है। उन्होंने भारत में धर्म, जाति या पहचान के कारण हिंसा और भेदभाव झेलने वाले सभी लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि "मुझे गुमराह किया गया था। मैं अपने चर्च के नाम का इस्तेमाल ऐसी किसी विचारधारा को वैधता देने के लिए नहीं होने दूँगी, जो हमारे मूल्यों का उल्लंघन करती है!" एड्रिएन थॉर्न न्यूयॉर्क के श्द रिवरसाइड चर्चश अपने उदार सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सक्रियतावाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस ऐतिहासिक चर्च की कमान संभालने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर उन्होंने अमेरिकी धार्मिक इतिहास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। एड्रिएन थार्न पादरी (मिनिस्टर) बनने से पहले वे एक पेशेवर डांसर थीं और उन्होंने मशहूर 'डांस थिएटर ऑफ हार्लेम' और 'रेडियो सिटी रॉकेट्सश जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। वे कला और आध्यात्मिकता को जोड़ने इम्बोंडिंग पास्टिक (Embodied Pastoring) के लिए जानी जाती है। भूखों को भोजन देने की पहल की सह-स्थापना किया जिसके लिए स्थानीय समुदाय ने उन्हें 'टॉप टेन मोस्ट इम्पैक्टफुल पीपल' (दस सबसे प्रभावशाली लोग) में चुना गया था। सामाजिक न्याय और एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठाती हैं। वे अमेरिका के कई बड़े पॉडकास्ट और राष्ट्रीय मंचों पर एक मार्गदर्शक के रूप में नजर आती हैं। एड्रिन थार्न एक प्रगतिशील धार्मिक नेता के रूप में अमेरिका में उनकी इज्जत बहुत उच्ची मानी जाती है।

मुस्लिम तुष्टिकरण की बातें होगी तो? उनका मानना है कि भारत में अल्पसंख्यक आयोग हैं इनके लिए भारत सरकार अलग से केन्द्रीय बजट में अच्छे खासे धन देने की व्यवस्था है। अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम पंथ के अनेकों संस्थान उनके लिए काम कर रहीं हैं। विदेशी फंड के अनेकों माध्यम से उनके लिए धन आ रहें हैं। वक्फ बोर्ड जैसी संस्थान के पास एक नेपाल से बड़े देश के बराबर जमीन एवं अरबों खरबो की संपत्ति है। मौव लिचिंग की घटनाएं अगर हिन्दू के तरफ से हो जाये तो विदेशी धरती वो चाहे अरब देश हो या युरोपीय देश सभी मुस्लिम के पक्ष में आते हैं। परंतु कन्हैया लाल की हत्या पर कोई नहीं आगे आते ऐसा क्यों!

आज आबादी के हिसाब से ज्यादा संख्या विदेशों और खासकर मुस्लिम देशों में भी मुस्लिम की संख्या ज्यादा हैं। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति हिन्दुओं की अपेक्षा ज्यादा अच्छी हैं। अगर मुस्लिमो की आर्थिक स्थिति खराब है तो उनके जीवन शैली जैसे अधिक बच्चे पैदा करना। हिन्दूओं के लिए एक संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो समानता एवं न्याय के साथ थीं, हिन्दुओं का पक्ष रखतीं थीं वो भी अब मुस्लिम तुष्टिकरण की राह पकड़ चूंकि हैं। मोहन भागवत के विरोधी उन पर यह भी आरोप लगाते हैं कि छोटे ब ड़े

हिन्दूवादी संगठनों को जैसे अखिल भारत हिन्दू महासभा को संघ ने खा गया उनके कद कभी बहुत बड़े थें, आज कोई बजूद नहीं है। मोहन भागवत के विरोधियों को उनसे चिढ़ इसलिए भी है कि वो साल में कई बार मुस्लिम संगठनों के लोगों से मिलते हैं। उनके लिए कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। यहाँ तक नागपुर संघ मुख्यालय में बुलाया जाता है वहाँ के अतिथिशाला में ठहराया जाता है और नमाज पढ़ने के लिए जगह मुहैया कराई जाती, यहाँ तक उनकों नमाज अदा के लिए दिशा भी बताया जाता है। इनके कुछ विरोधियों का तो मानना है कोई भी व्यक्ति या संगठन उपर उठता है, बहुत उपर उठता है। जो संघ बहुत उपर उठ चुका है। उसके बाद निचे गिरने की बारी होती है। ये अर्थशास्त्र एवं प्राकृतिक का भी नियम यही है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की जिम्मेदारी है कि वह यह विचार समाज तक पहुंचाए कि विविधता के बावजूद सभी के बीच एक मूलभूत एकता है. उन्होंने कहा, 'जिस तरह मैं अपनी विशिष्ट पहचान की रक्षा करता हूं, उसी तरह मुझे दूसरों की पहचान की भी रक्षा करनी चाहिए. विविधता प्रकृति का नियम है. एकता प्रकृति के पीछे का सत्य है।'

न्यूयॉर्क में आयोजित अहेड फोरम की ओर से आयोजित फेथ लीडर्स कॉन्फ्रेंस में भागवत ने कहा कि सामाजिक और धार्मिक संगठन सार्वजनिक नीतियों और राजनीति को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसकी शुरुआत समाज से करनी होगी, क्योंकि 'राजनीति अब स्वार्थ का खेल बन गई है'। लेकिन आज के केरलम् की एक घटना की बातें करना बहुत प्रासंगिक एवं जरूरी भी है। जिससे पता चलता है कि कैसे एक पंथ इस्लाम के मानने वाले अपनी ताकत दिखाते हैं और कैसे संख्या में ज्यादा होकर, सत्ता में होकर, शक्तिशाली होकर भी हिंदू हमेशा पीछे रहते हैं।

बात है केरलम् में एक टीवी चैनल है, बिग टीवी। उस पर एक कार्यक्रम चला। कार्यक्रम क्या चला, उसमें क्या कहा गया, केरल के ग्रैंड मुफ्ती। अभी ग्रैंड मुफ्ती को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी इस्लामी देश में रह रहे हों। लेकिन इसको छोड़ दीजिए। सुन्नी संप्रदाय से आते हैं। इनका नाम है शेख अबू बकर अहमद। इन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में एक बात कही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए, न कि सार्वजनिक जगहों पर, महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में नहीं आना चाहिए। ये बात कुरान में लिखी गई है और ये

हिन्दू संगठन के नेता भागवत, हिन्दुओं की बात करें

डॉक्टर मुन्ना कुमार शर्मा, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं उनके प्रमुख डाक्टर मोहन भागवत के विचारों एवं संघ की तुष्टिकरण पर वार्तालाप के अंश :-

❖ **अभी जो मोहन भागवत ने विदेश में अपना प्रोग्राम करा है, तीन देशों में सत्रह दिनों की यात्रा, उससे संबंधित मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि 29 अगस्त को अमेरिका के न्यूयॉर्क में मोहन भागवत का हिंदुओं के लिए दिए गए संदेश पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है?**

देखिए, ये इस वक्त अनेक देशों में घूम रहा है, ठीक है? और घूमकर अपना वो विचार लोगों के सामने दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन वहाँ पर भारत की जो सही मतलब स्थिति हो, उसको वहाँ पर ये बोलना चाहिए। जैसे हम स्वागत सबका करते हैं कि हमारी परंपरा भी रही है, अतिथि देवो भव:। लेकिन जो हमारे धर्म और संस्कृति पर आक्रमण कर रहा है, उसको तो हम अतिथि नहीं मान सकते हैं न? अब ये जो ये तो हिंदू राष्ट्र है भारत, और भागवत जी भी पहले कह चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र है, लेकिन अब वो अपना स्टैंड बदल रहें है और कह रहें है कि ये हिंदुओं और मुसलमानों सबका है। ठीक है, पूजा पद्धति अलग है और उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लोग जिसकी पूजा करते हैं, करें। लेकिन यहाँ रहने वाले तो सारे हिंदू ही हैं, तो उनको तो हिंदू ही माना जाएगा। फिर वो ये कहने की क्या जरूरत है कि यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों सबका है? यहाँ तो जो भी है, यहाँ पर सब हिंदू हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला सब हिंदू है, तो ये वहाँ पर खुलकर कहें कि हिंदुस्तान में रहने वाला सब हिंदू है। ये तो हिंदू संगठन के प्रवक्ता हैं, हिंदू संगठन के नेता हैं, तो हिंदुओं की बात बोलें जाकर। ये कहें कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो वहाँ रहने वाला सब हिंदू है। ऐसा कहने में क्या दिक्कत है क्या?

❖ **पिछले साल मोहन भागवत ने मस्जिदों में शिवलिंग ढूँढने से परहेज किया था हिंदुओं को। इस पर आपके विचार क्या हैं?**

देखिए, यही आरएसएस के लोग हैं, जो कि ये पहले कहते हैं कि ये हजारों मंदिरों को आक्रमणकारियों ने तोड़ा। यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कई हजार मंदिरों को तोड़ा। तीन लाख मंदिर बताए जा रहे हैं कि ये तोड़े गए। ये लोग भी कहते हैं। तो वो जो मंदिर तीन लाख तोड़े गए, तो मंदिर तो बहाल होना चाहिए। आक्रमणकारियों ने तोड़ा, तो अब तो वो हिंदू वहाँ फिर से मंदिर बहाल किए जाएँ और वो लड़ाई हिंदू लड़ भी रहा है। जैसे इन लड़कों ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, हिंदुओं ने। हिंदू महासभा ने आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लिया। उसके बाद मथुरा और काशी का भी चल रहा है। कई जगह जो है, ये मंदिर है, वहाँ पर हिंदू दावा कर रहा है। कोर्ट में भी मामला है और आंदोलन भी चल रहा है। तो ये कहना कि हिंदू शिवलिंग न ढूँढे मस्जिद में, तो ये तो हिंदुओं पर हमला है ये, हिंदुओं पर कुठाराघात है और हिंदुओं के साथ धोखा है ये। अगर वो मंदिर है, वहाँ शिवलिंग पहले था, तो हिंदू शिवलिंग जोड़ेगा। अब बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। अब जो जहाँ मूल स्थान पर जो मंदिर है बाबा का, वो तो वहाँ पर अतिक्रमण है। वहाँ पर तो मंदिर अभी बना हुआ है नहीं। अब चाहे वो गली आ रहा है, वो कितना भी अच्छा भव्य बन जाए, तो उससे वो क्या है, वो जो भोले बाबा का स्थान है, वो तो चेंज होगा नहीं। तो वो तो वहाँ पर उसको हटाया जाएगा अतिक्रमण को, वहाँ पर जो अवैध कब्जा है उसको हटाया जाएगा और फिर से उसी मूल स्थान पर, जहाँ पर बाबा का शिवलिंग था, वहाँ पर मंदिर बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से कहकर संघ प्रमुख अपने दायित्वों से भाग रहे है। जो उन्होंने संघ का पहले कार्य किया कि हम हिंदू मंदिरों को स्वतंत्र करेंगे, अतिक्रमण मुक्त करेंगे, वहाँ पर फिर भव्य मंदिर बनाएँगे, वहाँ पर तोड़े गए मंदिरों के स्थान पर। वहाँ से संघ पीछे हट रहा है। और ये सब मुझे लगता है कि ये वोट बैंक के लिए किया जा रहा है कि भाजपा को ज्यादा-से-ज्यादा वोट मिले, इसलिए ये संघ प्रमुख

कन्हैया लाल की हत्या

कन्हैया लाल की हत्या का आरोपी

तुष्टीकरण कर रहे है। तो ये इसको हिंदू पसंद नहीं करेगा और हिंदुओं को ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं तो कहूँगा कि हिंदू संगठन के नेता भागवत जी, तो हिंदुओं की बात करें। और जो पुराना स्टैंड है संघ का और संघ के नेताओं का, पुराने नेताओं का और जो संघ को बनाने वाले जो लोग थे, उनका जो विचार था, उसी विचार पर संघ को चलना चाहिए। और भागवत जी को भी उन्हीं विचारों को करना चाहिए।

❖ आज साधु-संतों से ज्यादा मौलाना-मौलवियों को मोहन भागवत पसंद कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है?

देखिए, जो संघ का पुराना स्टैंड था और अगर उस पुराने विचारों से संघ हटेगा और तुष्टीकरण की बात करेगा, तो मुल्ला और मौलवी तो पसंद करेंगे ही। तो बार-बार ये कहना कि ये तो हिंदू-मुसलमान सबका है, रहने में तो मनाए किसी को नहीं है, कभी नहीं रहा है। जो बाहर से लोग आए, आक्रमणकारी भी आया, चाहे वो क्रिश्चियन्स आए, चाहे मुस्लिम्स आए, उसको हिंदुओं ने अपनाया। लेकिन ये तो हिंदू राष्ट्र है। तो यहाँ पर जो यहाँ रहने वाला है, सब हिंदू है। ये बार-बार कहने की क्या जरूरत है कि यहाँ हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा? दूसरी बात है कि ये जो मंदिरों पर जो आरएसएस का स्टैंड है, उस पर भी भागवत जी पीछे हट रहे हैं। हमारा मानना है कि जो हजारों मंदिरों को तोड़ा गया और कम-से-कम वो तीन लाख न भी हों, तो कम-से-कम तीन हजार जो प्रमुख मंदिर हैं, उस पर तो अतिक्रमण हटे, वो फिर से बहाल हों, वहाँ पर फिर से भव्य मंदिर बने। तो ये बात तो करें। और ये बात नहीं करते, तो मुल्ला-मौलवी उसको पसंद करेंगे। तो स्वाभाविक बात है कि उनका तुष्टीकरण होगा, तो वो पसंद करेंगे।

❖ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आधिकारिक वेबसाइट पर मोहन भागवत ने सन 2025 के एक संबोधन को प्रकाशित करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बताया था, लेकिन अब विचार बदल रहे हैं। आपने इस पर बता ही दिया है कि हिंदू राष्ट्र से ये लोग अब पीछे हट रहे हैं।

हिंदू राष्ट्र भारत था, है और रहेगा।

❖ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 101 वर्ष पूरे होने पर अब संघ किस ओर जा रहा है, आपको क्या लगता है?

मुझे लगता है कि संघ वोट बैंक के नजरिए से देख रहा है और ज्यादा-से-ज्यादा बीजेपी को वोट मिले, इसके लिए प्रयास कर रहा है। तो ये वोट बैंक की राजनीति के लिए अब शोषण कर रही है संघ। और संघ के जो नेता हैं, भागवत जी सरसंघचालक हैं और जो वर्तमान पीढ़ी है, वो पुरानी पीढ़ी के नेताओं के विचारों से पीछे हट रही है और मैं समझता हूँ कि भारत के लिए और हिंदुओं के लिए ये उचित नहीं है, क्योंकि आरएसएस हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है और लोगों का बहुत भरोसा भी है संघ में। इसलिए ये पुराने नेताओं का, जो पुराने पूर्व के सरसंघचालकों का जो विचार था और संघ के नेताओं का जो विचार था, उससे संघ पीछे न हटे। मेरा सुझाव यही है संघ के नेताओं को।

❖ आपकी बातों से अब ये लग रहा है कि संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी भी अब कांग्रेस की तरह या भारत के अलग अलग राजनीति दलों की तरह मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चल दिए हैं?

बिल्कुल, ये एकदम स्पष्ट है। ये स्पष्ट है। आरएसएस हिंदुओं के हित के लिए बने थे। आखिर भारत हिंदू महासभा के नेताओं ने आरएसएस की स्थापना की थी और हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर हेडगेवार जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी कि हिंदुओं का सैनिक संघ था और हिंदुओं के लिए लड़ने वाला एक संगठन था। लेकिन मुझे लगता है कि वो पुराने विचारों और पूर्व विचारों से पीछे हटते, संघ अब वोट के लिए सोचती है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। संघ को वोट के लिए नहीं सोचना चाहिए, संघ को केवल हिंदुओं के लिए और हिंदू राष्ट्र भारत के लिए सोचना चाहिए।

❖ अंत में एक सवाल और आपसे क्या सनातन धर्म एवं हिंदुओं से कोई अपील आपकी है?

मैं यही अपील करूँगा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, है और हिंदू राष्ट्र रहेगा और पूरे विश्व के हिंदुओं का संरक्षक है भारत। भारत में और ऐसा कोई प्रभावशाली देश नहीं है, जो विश्व के हिंदुओं को संरक्षण दे सके, सुरक्षा दे सके। भारत एक बहुत ही विशाल देश है और हर तरह से संपन्न है, सशक्तिशाली है। हमारी शक्ति रूप से भी मजबूत है, हमारी सेना भी मजबूत है। तो मैं यही अपील करूँगा कि इस देश को आगे बढ़ाएँ, इसका विकास करें और हिंदू एकजुट हों। और यहाँ पर जाति व्यवस्था, क्षेत्रवाद, इससे ऊपर उठकर हिंदू एकजुट हों और हिंदू राष्ट्र भारत को मजबूत बनाकर रखें, ताकि सारे विश्व के हिंदू सुरक्षित रह सकें। तो मुझे लगता है कि भारत के हिंदुओं पर एक बहुत बड़ा दायित्व है हिंदू धर्म और संस्कृति का पूरे वैश्विक स्तर पर उसका संरक्षण करने का और पूरे विश्व के हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने का। तो ये जो दो हिंदुओं, भारत के हिंदुओं पर जो जिम्मेदारियाँ हैं, उसका वो पालन करें और एकजुट होकर के भारत को फिर से विश्वगुरु बनाएँ और ये हिंदू एक बनाएगा, हिंदुओं के अलावा और कोई भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने वाला नहीं है, क्योंकि चौतरफा हमारे ऊपर षड्यंत्र हो रहा है, चारों तरफ से भारत विरोधी कार्य हो रहे हैं, भारत को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भारत के हिंदू हैं, जो सनातन प्रेमी हैं, वो अपने दायित्वों को समझें और देश को मजबूत करें, सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति को मजबूत करें। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद, आपका।

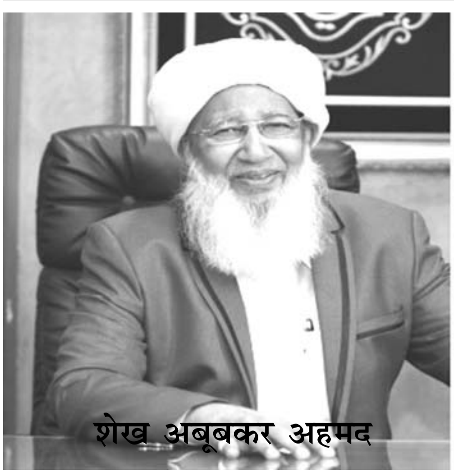
शेख अबूबकर अहमद

अपर्णा कुरुप

जोहरान ममदानी

डॉ० केशवराव बलिराम हेडगेवार

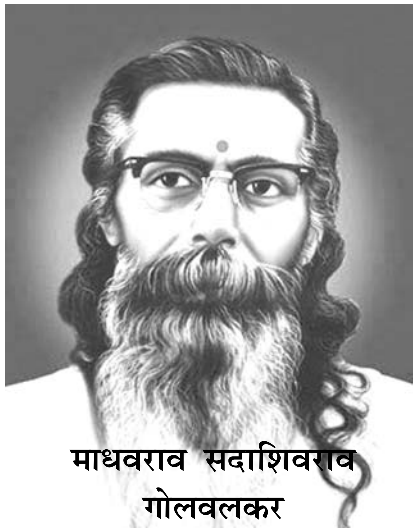

माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर

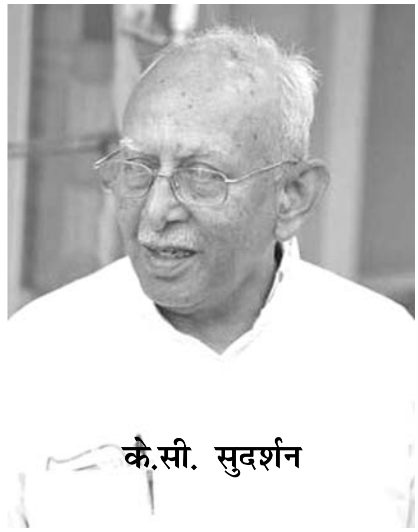

के.सी. सुदर्शन

बात इसलिए लिखी गई है, इससे महिलाएँ सुरक्षित रहेंगी और उन्होंने बड़ा अजीब सा उदाहरण दिया कि अगर सोने का नेकलेस है, तो वो अगर आप लेकर घूमेंगे तो लोग उसको छुएँगे, देखेंगे और पत्थर का पहनेंगे तो फेंक भी देंगे, तो कोई उठाएगा नहीं। सोने के नेकलेस की खूबसूरती बनी रहे और वो सुरक्षित रहे, इसलिए उसको डिब्बे में रखिए, ज्वेलरी बॉक्स में रखिए। तो महिला को वो ज्वेलरी ही समझते हैं। जो लोग बड़ा हल्ला मचाते हैं कि महिलाओं को प्रोडक्ट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, उनकी जबान पर आज ताला लगा हुआ है।

विग टीवी चैनल की सीनियर कोऑर्डिनेटिंग एडिटर हैं अपर्णा कुरुप। उनका एक डिस्कशन का कार्यक्रम होता है। उसमें उन्होंने इस बयान की आलोचना की कि महिलाओं को क्यों ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो सार्वजनिक जीवन में आएँ, क्यों घर में रहना चाहिए। तो जेंडर इक्वालिटी का सवाल उठा दिया। अब उसके बाद तूफान सा आ गया। मौलाना अबू बकर ने भी एतराज किया, उनकी संस्था ने भी एतराज किया, उनके समाज ने भी एतराज किया कि ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला है। अब जेंडर इक्वेलिटी की बात से उनकी भावना को कैसे ठेस पहुँची, ये कोई भला कैसे समझ सकते जैसे हिन्दू ईसाई या अन्य धर्म की महिलायें है उसी के बराबर मुस्लिम महिलाएं भी हैं। ऐसा ही मानना चाहिए। आज मक्का शहर की महिलाएं फर्राटे से कार चला रहीं हैं। उसके बाद क्या था। तुरंत समर्पण कर दिया चैनल के मालिकों ने। अपर्णा कुरुप से कहा गया कि आप माफी माँगिए, उनको माफी माँगनी पड़ी। उसके बाद चौनल से और चैनल के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, उन सब से वो वीडियो हटा दिया गया। उन्होंने बताया कि केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और मुस्लिम लीग के समर्थन से चल रही है। मुस्लिम लीग के पास 22 सीटें हैं, कांग्रेस का बहुमत नहीं है। तो मुस्लिम लीग के सहारे सरकार चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो इस मौलाना ने बात कही है, उसे क्या स्वीकार किया जाना चाहिए? क्या भारत का संविधान ऐसा बोलने की अनुमति देता है? अगर यही बात किसी हिंदू धार्मिक नेता ने कही होती, तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने स्वत: संज्ञान ले लिया होता। ये हेट स्पीच है, ये जेंडर इक्वेलिटी के

मोहन भागवत

खिलाफ है, ये संविधान की भावना दोनों के खिलाफ है और तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया जाता। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सब सरेंडर है। अदालत की हिम्मत नहीं हो रही है कि इस पर कुछ बोले। छोटी-छोटी बातों का स्वत: संज्ञान लेकर अदालतें अपने फैसले सुनाती रहती हैं। इतनी बड़ी घटना!

और याद कीजिए, अभी राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम मनुस्मृति को गाली दे रहे थे, क्यों? क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई। उनके मुताबिक मनुस्मृति में कहा गया है कि महिलाएँ जो हैं, शादी से पहले अपने पिता के संरक्षण में रहती हैं, फिर भाई के संरक्षण में रहती हैं, शादी के बाद पति के संरक्षण में रहती हैं। तो "डिस्मैंटल पैट्रिआर्की", ये नारा दिया राहुल गांधी और उनके साथियों ने। लेकिन क्या मौलाना अबू बकर के बयान के बाद राहुल गांधी में, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता में, यहाँ तक कि किसी महिला नेता में, सोनिया गांधी में, ये हिम्मत है कि बोल सके इसके खिलाफ?

एक उदाहरण तमिलनाडु से है। भारत के सबसे बड़े धर्माचार्य, शंकराचार्य कांची कामकोटी के शंकराचार्य, जिन्हें परमाचार्य की उपाधि मिली हुई थी, उनको झूठे हत्या के मामले में फँसाकर गिरफ्तार कर लिया। उस समय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थीं, जयललिता भी हिंदू थीं, उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस बात पर कांग्रेस पार्टी में एतराज सिर्फ एक व्यक्ति ने किया और वो थे प्रणब मुखर्जी। उन्होंने वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ये बात कही, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में, जो शंकराचार्य के साथ हुआ है, और क्या किसी और मजहब के नेता के बारे में या किसी और मजहब के साथ ऐसा हो सकता था। ऐसे मामलों पर भी मोहन भागवत को मुखर होकर बातें रखनी चाहिए। क्योंकि भारत की कोई भी महिला भले किसी पंथ की हो उसे सम्मान आदर मिलने चाहिए। नारी सम्मान जहाँ होगा वही राष्ट्र विश्वगुरु बन सकता है। मोहन भागवत का ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही विवादों से घिर गया था क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने सार्वजनिक तौर पर इस कार्यक्रम का विरोध किया था। उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को बहिष्कारवादी और न्यूयॉर्क शहर के बहुलतावादी विचारों के उलट बताया था। वैसे कार्यक्रम का विरोध प्रदर्शनों और धार्मिक स्वतंत्रता पर एक अमेरिकी आयोग के विरोध का भी सामना करना पड़ा है।●

● निशिकांत ठाकुर (वरिष्ठ पत्रकार)

संसद का मानसून सत्र बिना किसी ठोस मुद्दों पर बहस के बाद खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से अपने कार्यकाल की तेरहवीं बार झंडा रोहण भी कर लिया। उनके तेरह वर्ष के कार्यकाल की समीक्षा भी विशेषज्ञों ने करना शुरू कर दिया है। सत्तापक्ष उनके कार्यकाल की भूरि-भूरि प्रशंसा करेंगे और विपक्ष तरह-तरह की कमियों को गिनाते हुए आलोचना को आगे बढ़ाते रहेंगे। यह केवल आज की बात नहीं, प्रारंभिक दिनों से ऐसा होता आया है। यदि सत्तारूढ़ अपने किए का प्रचार नहीं करेंगे तो फिर अगले चुनाव में समाज के सामने किस मुंह से जाएंगे। अपनी बात को किस तरह महिमामंडित करते हुए पेश करेंगे, ताकि समाज आकर्षित हो। वहीं, विपक्ष भी कहेगा, लेकिन वह अपनी तरह से उस बात को रखेंगे, ताकि समाज को संदेश मिले कि जो कुछ सत्तारूढ़ द्वारा कहा जा रहा है, उसे केवल दिवास्वप्न ही मानना चाहिए, सच नहीं। इन्हीं सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच फंसकर समाज पिसता रहता है, उनका भला नहीं हो पाता। दरअसल, राजनीतिज्ञ चाहता भी नहीं है कि समाज जागरूक हो, पढ़-लिखकर और अपने तर्क से उनकी बातों पर तर्क करे, सवाल पूछ सके। कोई भी दल सत्तारूढ़ रहा हो, सबका हाल यही है क्योंकि नागरिक यदि पढ़-लिख गया, तो उन समझदार नेताओं की रैली में कौन जाएगा, उनके लिए झंडा कौन उठाएगा? इसलिए समाज का वह वर्ग, जिन्हें समाज को साथ लेकर आगे बढ़ाने का, हमारा संविधान अधिकार देता है, अपने सत्ता के रास्ते को इस तरह खुला और साफ छोड़ देंगे? लेकिन, हां! अब एक ऐसा युवा वर्ग देश को मिल गया है जो

ऐसे राजनीतिज्ञों से सवाल पूछने में अपने को सक्षम मानता है। वह पूछने लगा है, सवाल करने लगा है। और, इन युवाओं की हिम्मत तो देखिए, अपनी एकजुटता से सत्ता को झुकाने में सफल भी रहा है। पिछला उदाहरण देश के शिक्षामंत्री का ही लिया जा सकता है। जब युवा, जिन्हें श्जेन-जीश कहा जा रहा है, उन्होंने देश की राजधानी सहित कई राज्यों में एकजुटता दिखाते हुए लंबे संघर्ष के बाद सरकार से यह मनवाने के लिए बाध्य कर दिया कि शिक्षामंत्री अपने पद की गरिमा का पालन नहीं कर रहे हैं और जिसके चलते कई होनहार छात्रों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार यह समझती रही कि इस तरह के मामले आते-जाते रहते हैं, इसके लिए मंत्री से उनके नकारापन के कारण इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। सच तो यह है कि वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार इतनी मजबूत थी कि उसे कभी इसकी कोई परवाह नहीं रही कि युवा कितनी मेहनत से अपने जीवन को संवारने के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक पल में ही कुछ शिक्षा के दलालों द्वारा उनका सपना चूर-चूर कर देते हैं। यदि नींव मजबूत हो, तो ढांचागत निर्माण सुदृढ़ और टिकाऊ होता है, इस मामले में शिक्षामंत्री के बचाव के लिए यह कहा जाता रहा था कि कुछ शिक्षा माफियाओं ने पेपर लीक कराया, इसमें मंत्री का क्या दोष? फिर वही बात; यदि नींव मजबूत हो तो डाल और पत्ते भी मजबूत और हरेख़भरे होंगे। यहां यह भी कहा जा सकता है यदि सरकार दूरदर्शी होती तो जब पेपर लीक का मामला उठ रहा था, उसी समय शिक्षामंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए; क्योंकि तत्कालीन शिक्षामंत्री एक राष्ट्रीय समाचार पत्र को दिए अपने साक्षात्कार में माफी मांग ली थी।

सरकार को यह विश्वास ही नहीं था कि छात्रों का आंदोलन इतना उग्र हो जाएगा कि उसे झुकना पड़ जाएगा। यदि पीछे जाएं तो 1974 के बिहार में हुए छात्र आंदोलन को भुलाया नहीं जा सकता जिसने आगे चलकर सरकार का तख्ता पलट दिया था। उससे भी पीछे जाएं तो राजाराम मोहन राय को भी याद करना ही पड़ेगा, जिन्होंने अपनी 16 वर्ष की आयु में ही

ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ऐसा आंदोलन चलाया कि बिटिश सरकार को झुकना पड़ा। राय ने सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव और धार्मिक रूढ़िवादियों जैसी प्रथाओं का कड़ा विरोध किया। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि सती प्रथा के विरुद्ध चलाया गया अभियान था जिसमें अंततः गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बैंटिक के नेतृत्व में बंगाल में सती विनियमन 1829 को लागू करने में योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, जिनमें संपत्ति और शिक्षा का अधिकार शामिल है, की भी वकालत की। उन्हें भारतीय श्पुनर्जागरण का जनकश कहा जाता है। सरकार के प्रति युवाओं का आक्रोश यहां तक पहुंच गया है कि हैदराबाद की नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों ने एकजुटता दिखाते हुए देश के प्रधान न्यायाधीश के हाथों सर्टिफिकेट लेने से मना कर दिया। बात यहीं नहीं रुकी; क्योंकि उसे तूल देते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह उनके और छात्रों के बीच की बात है, बीसीआई दखल देने वाला कौन होता है! छात्रों को विरोध करने का अधिकार है। बता दें कि राज्य बार काउंसिलों को नालसर के छात्रों को वकील के तौर पर नामांकित करने के आदेश को लेकर इंटरनेट मीडिया पर हंगामा मच गया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद बीसीआई को यह आदेश वापस लेना पड़ा। विश्लेषक इसे युवा जागरूकता की ताकत कहते हैं। ज्ञात हो कि कॉकरोच जैसे व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग युवाओं के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया गया था।

अब सीजेपी ने अपनी कोर टीम की घोषणा करके कहा है कि वे अब देश के विभिन्न शहरों में आंदोलन को गति देंगे। पर यह क्या! जिस पेपर लीक के लिए देश भर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, केंद्रीय शिक्षामंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा, वह पेपर लीक तो अब भी हो रहा है। खबरों की मानें तो एनटीए फिर से सवालों के घेरे में है और यूजीसी और नेट में भी गड़बड़ी हुई है। इसके चलते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 16 अगस्त रविवार के देर शाम अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र जैसे तीन विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है। एनटीए ने इन तीनों विषयों की परीक्षा नौ और दस सितंबर को करने के ऐलान किया है। इन विषयों के उम्मीदवारों से कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। परीक्षा का शहर और केंद्र, एडमिट कार्ड आदि की जानकारी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। इन विषयों की परीक्षा को दुबारा कराए जाने का जो कारण बताया जा रहा है वह यह कि प्रश्न पत्रों में मिली ढेरों गलतियों व दोहराव है। अब प्रश्न यह भी उठता है कि इसमें छात्रों का क्या कसूर, जिनका भविष्य अंधकार से घिर गया है। यदि इस पर भी कोई आंदोलन देश भर में होता है, तो फिर दोषी किसे माना जाएगा? क्या ऐसे व्यक्तियों को सजा दिलाने का कोई कानूनी प्रावधान हमारे यहां नहीं है? यदि है तो सबसे पहले इसकी ही जांच हो कि किनकी गलती अथवा किन माफियाओं के कारण छात्रों के साथ बार-बार ऐसा किया जा रहा है। युवा तो उत्तेजित होंगे ही; क्योंकि आने वाले दिनों में किसी छात्र का भविष्य कितने संघर्षों से गुजरने वाला है, इसकी कल्पना से ही मन रोमांचित होने लगता है। अब तक तो यही माना जाता रहा है कि युवाओं के अधिकारों और उनका भरोसा जीतनेवाला कोई राजनीति दल आगे नहीं आता है।

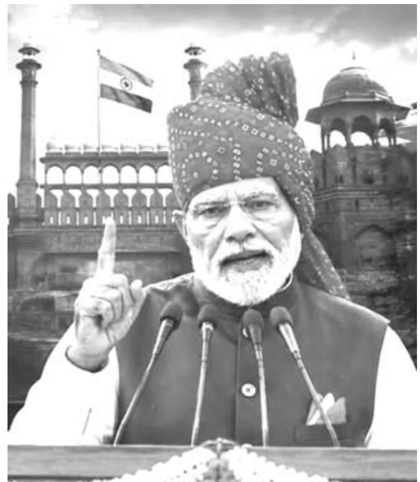

लेकिन, अब प्रधानमंत्री ने स्वयं इसका बीड़ा उठाते हुए लालकिले की प्राचीर से ऐलान किया है कि छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और एक करोड़ युवाओं को एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने अपने सवा घंटे के संबोधन में पचास बार से अधिक बार युवाओं का उल्लेख किया और कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के बच्चों पर से महंगे कोचिंग संस्थानों की भारी फीस का बोझ कम करना है। देश के बेहतरीन शिक्षकों के संसाधनों और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक श्विकसित भारतश के संकल्प को पूरा करने में देश के युवाओं और छात्रों की भूमिका को सबसे अहम बताया। प्रधानमंत्री की इन घोषणाओं के विश्लेषक कई तरह के कयास लगा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि युवा के आंदोलन से उनके अंदर डर बैठ गया है। यदि प्रधानमंत्री युवाओं के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं, तो इसकी घोषणा पहले क्यों नहीं की गई? यदि ऐसा पहले किया गया होता तो इतने छात्रों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। लेकिन हां, देर से ही सही, सरकार की समझ में यह बात तो आती जा रही है कि युवाओं की शक्ति क्या होती है और जब अपने भविष्य को अंधकारमय देखते हैं तो वे फिर किसी हद को पार करने से बाज नहीं आते। फिर भी प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और युवाओं को भरोसा दिलाया है कि उनके साथ न्याय होगा, अब युवाओं को उनके इस भरोसे पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा।●

● **अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार)**

उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी आया नहीं है, लेकिन राजनीति ने मतदाताओं की जातियां गिननी शुरू कर दी हैं। नेताओं के पास बेरोजगारी का आंकड़ा हो या न हो, महंगाई का हिसाब हो या न हो, स्कूलों और अस्पतालों की हालत पर जवाब हो या न हो, लेकिन किस जाति की कितनी आबादी है, किस सीट पर कौन-सा समीकरण बैठेगा और किस समाज को कौन-सा नारा सुनाना है इसका हिसाब खूब तैयार है। यही उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। पांच साल सरकार चलाने के बाद भी चुनाव आते-आते जनता नागरिक नहीं रहती, जातियों का जोड़ बन जाती है। 2027 के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों का मैदान है। 2022 में भाजपा ने 255 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत लिया था और समाजवादी पार्टी 111 सीटों के साथ मुख्य विपक्ष बनी थी। बसपा सिर्फ एक सीट पर सिमट गई, लेकिन उसके खाते में 12.88 प्रतिशत वोट फिर भी रहे। यानी हाथी हार गया था, लेकिन उसकी परछाई पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। यही परछाई अब हर राजनीतिक दल को डराती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर कुछ हजार वोट किसी की सरकार बना सकते हैं और किसी की राजनीतिक दुकान बंद कर सकते हैं। 2024 ने सत्ता के आत्मविश्वास में पहली बड़ी दरार दिखाई। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भाजपा 33 पर रह गई, जबकि सपा 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई और कांग्रेस को छह सीटें मिलीं। यह परिणाम सत्ता के लिए सिर्फ सीटों की कमी नहीं था। यह चेतावनी थी कि जिसे स्थायी वोट बैंक समझ लिया गया है, वह उतना स्थायी नहीं है। मतदाता को हमेशा एक ही खाने में रखकर राजनीति करने का भरोसा 2024 में टूट चुका है।

अब सत्ता की रणनीति को समझिए। चुनावी राजनीति में जब विकास की भाषा कमजोर पड़ती है तो जातीय प्रतिनिधित्व की भाषा तेज हो जाती है। मंत्री कौन बना, संगठन में किस जाति को कितनी जगह मिली, किस समाज का सम्मेलन हुआ, किस नेता ने किस महापुरुष की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया ये सब अचानक राजनीतिक उपलब्धियां बन जाते हैं। जनता से पूछा जाना चाहिए कि पांच साल में उसके जीवन में क्या बदला, लेकिन चुनावी मौसम में उससे पूछा जा रहा है कि वह किस जाति के साथ खड़ा है।यही वह जगह है जहां विपक्ष सत्ता को घेर सकता है, लेकिन विपक्ष खुद भी उसी जाल में फंसा हुआ है। समाजवादी पार्टी अब 'पीडीए' में पंडितों के लिए जगह तलाश रही है। यानी जो राजनीति कभी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की एकजुटता का दावा कर रही थी, अब उसे ब्राह्मणों तक विस्तार देना पड़ रहा है। यह विस्तार अगर सामाजिक न्याय की वास्तविक राजनीति है तो स्वागत योग्य है, लेकिन अगर यह केवल चुनावी गणित है तो जनता को यह फर्क समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि ब्राह्मण को सम्मान का पोस्टर दिखाना आसान है, लेकिन उसे सत्ता में वास्तविक हिस्सेदारी देना कठिन। पासी को सम्मेलन में बुलाना आसान है, लेकिन उसके गांव में रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा पहुंचाना कठिन। दलित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाना आसान है, लेकिन दलित परिवार को यह भरोसा देना कठिन है कि सरकारी व्यवस्था उसके खिलाफ खड़ी नहीं होगी। राजनीति में नारे सस्ते होते हैं, शासन महंगा। बसपा इस खेल की सबसे पुरानी खिलाड़ी है। कांशीराम ने जिस भाषा में राजनीतिक बहुजन को संगठित किया, मायावती ने समय के साथ उसी भाषा को सोशल इंजीनियरिंग में बदला। कभी 'तिलक, तराजू और तलवार' सत्ता-विरोधी आक्रोश की

पहचान बना, तो बाद में 'ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा' उसी पार्टी के सामाजिक विस्तार का प्रतीक बन गया। 2007 में बसपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। लेकिन 2022 में वही पार्टी सिर्फ एक सीट पर पहुंची।

इतिहास का यह व्यंग्य बहुत साफ है जातीय नारा सरकार बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन सरकार बचाने के लिए सिर्फ नारा काफी नहीं होता और अब इस पुराने खेल में चिराग पासवान की लोजपा-रामविलास भी उतर रही है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को ध्यान में रखकर संगठन विस्तार की तैयारी शुरू की है। अरुण भारती का 'पंडित-पासी-पासवान' नारा इस रणनीति को और स्पष्ट करता है। बिहार की राजनीतिक पहचान रखने वाली पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने लिए जमीन खोज रही है और उसकी शुरुआत जातीय सामाजिक गठजोड़ की भाषा से हो रही है। इसमें भाजपा के लिए भी एक असहज सवाल छिपा है। लोजपा-रामविलास एनडीए का सहयोगी है। ऐसे में अगर वह उत्तर प्रदेश की हर सीट पर अपना संगठन खड़ा करने और चुनाव लड़ने की बात करती है तो इसे केवल विस्तार की सामान्य कवायद मानना भोलेपन जैसा होगा। सहयोगी दल चुनाव में जितने बड़े होते हैं, सीट बंटवारे की मेज पर उनकी आवाज उतनी तेज होती है और अगर वे अलग-अलग सामाजिक समूहों में अपना प्रभाव बढ़ाते हैं तो मुख्य दल के सामने सवाल सिर्फ सीटों का नहीं, वोटों के हस्तांतरण का भी होता है। भाजपा की समस्या यह है कि 2024 के बाद उसे यह साबित करना होगा कि उसका सामाजिक गठबंधन अभी भी उतना ही मजबूत है। सपा की समस्या यह है कि उसे साबित करना होगा कि उसका पीडीए केवल चुनावी संक्षिप्त नाम नहीं है। बसपा की समस्या यह है कि उसे अपने पुराने वोट आधार को फिर से राजनीतिक शक्ति में बदलना होगा। कांग्रेस की समस्या यह है कि उसे गठबंधन की सीटों से आगे अपना स्वतंत्र संगठन खड़ा करना होगा। और छोटे दलों की समस्या यह है कि पोस्टर लगाने और वोट दिलाने के बीच जमीन-आसमान का फर्क होता है। उत्तर प्रदेश का मतदाता अब सिर्फ जाति नहीं देखता। वह जाति के साथ उम्मीदवार भी देखता है, उम्मीदवार के साथ स्थानीय काम भी देखता है और स्थानीय काम के साथ सरकार की विश्वसनीयता भी। आज का युवा जाति की पहचान के साथ नौकरी का सवाल भी लेकर चलता है। किसान जातीय पहचान के साथ फसल और लागत का हिसाब भी पूछता है। शहर का मतदाता धार्मिक पहचान के साथ महंगाई और रोजगार पर भी सोचता है। यानी राजनीति जितनी पुरानी है, मतदाता उतना पुराना नहीं रहा।

यही सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर सरकार चुनाव को सिर्फ जातीय सम्मेलन, नारों और प्रतिनिधित्व के आंकड़ों में बदल देती है तो वह असली सवालों से बच तो सकती है, उन्हें खत्म नहीं कर सकती। पांच साल बाद जनता को फिर से यह बताना पड़ेगा कि किस जाति का मंत्री कितना है, तब सवाल उठेगा कि उस जाति के बेरोजगार युवक को मिला क्या? विपक्ष के लिए भी रास्ता आसान नहीं है। सत्ता की आलोचना करना सबसे आसान राजनीतिक काम है। कठिन यह बताना है कि सत्ता में आने के बाद वह क्या अलग करेगा। अगर विपक्ष भी वही जातीय कैलकुलेटर लेकर बैठ गया, केवल जातियों के नाम बदल दिए और नारों की भाषा बदल दी, तो जनता के सामने दो विकल्प नहीं होंगे दो संस्करण होंगे उसी राजनीति के। 2027 का उत्तर प्रदेश इसलिए असली परीक्षा नारों की नहीं, नीयत की करेगा। 'पंडित-पासी-पासवान' हो या पीडीए, हिंदुत्व हो या सामाजिक न्याय हर नारा अंततः वोट की मशीन में जाकर आंकड़ा बनेगा और आंकड़ा ही बताएगा कि किसने जाति को सम्मान दिया और किसने जाति को सिर्फ चुनावी टिकट समझा। सत्ता को यह भ्रम छोड़ना होगा कि हर चुनाव पिछले चुनाव की कॉपी है। विपक्ष को यह भ्रम छोड़ना होगा कि सत्ता-विरोध अपने आप सत्ता में बदल जाता है। 2024 ने भाजपा को चेताया है, लेकिन विपक्ष को भी कोई खाली चेक नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में अब जातियों की गिनती से ज्यादा आकांक्षाओं की गिनती होगी। जिस दिन मतदाता ने चुनावी मंच से उतरकर अपने घर की चौखट पर सवाल पूछ लिया नारा बहुत सुन लिया, अब हिसाब बताओ उस दिन जातीय राजनीति के सबसे बड़े उस्तादों की भी परीक्षा शुरू हो जाएगी। और शायद 2027 की असली लड़ाई यही होगी: कौन जनता को फिर जाति में बांटता है और कौन उसे नागरिक मानकर वोट मांगता है।●

● संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार)

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ सत्ता की लड़ाई अब धीरे-धीरे अपने असली रूप में सामने आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार की उपलब्धियों को चुनावी वोट में बदलने की है, जबकि समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले अप्रत्याशित बढ़त को विधानसभा की सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन मॉडल और अखिलेश यादव का पीडीए गठजोड़ आमने-सामने है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि कौन आगे है, बल्कि यह है कि 2024 में बदला सामाजिक समीकरण 2027 में कितना टिकाऊ साबित होता है। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 2022 का जनादेश भाजपा के पक्ष में बेहद स्पष्ट था। भाजपा ने 255 सीटें जीतीं और समाजवादी पार्टी 111 सीटों तक पहुंची। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने इस तस्वीर को पूरी तरह झकझोर दिया। भाजपा 33 लोकसभा सीटों पर सिमट गई, जबकि सपा ने 37 सीटें जीतकर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया। भाजपा का मत प्रतिशत करीब 41 प्रतिशत था और सपा का लगभग 34 प्रतिशत। अंतर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सीटों में उसका प्रभाव असाधारण रहा। यही वजह है कि भाजपा 2027 को 2024 की भरपाई का चुनाव मानकर चल रही है। भाजपा की रणनीति का पहला हथियार शासन का रिपोर्ट कार्ड है। पार्टी 2012 से 2017 के सपा शासन और 2017 के बाद योगी सरकार के बीच सीधी तुलना करने की तैयारी में है। कानून व्यवस्था, माफिया पर कार्रवाई, महिला सुरक्षा, बिजली, गरीब कल्याण और बुनियादी ढांचा इस तुलना के प्रमुख आधार होंगे। भाजपा का तर्क होगा कि 2017 के बाद प्रदेश में अपराधियों पर कार्रवाई की नीति बदली और शासन में प्रशासनिक कठोरता आई। सरकार के आंकड़े भी इस दावे को राजनीतिक ताकत देते हैं। 2017 के बाद हजारों अपराधियों की गिरफ्तारी, गैंगस्टर कानून के तहत कार्रवाई और अरबों रुपये की संपत्तियों की जब्ती को भाजपा चुनावी प्रचार में प्रमुखता से इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन यहीं विपक्ष का सवाल भी खड़ा होगा। क्या कठोर कार्रवाई का मतलब अपराध पूरी तरह खत्म हो जाना है? क्या थाने से लेकर अदालत तक आम आदमी को समान सुरक्षा और न्याय मिल रहा है? 2027 में भाजपा को आंकड़ों के साथ इन सवालों का जवाब भी देना होगा। विकास भाजपा का दूसरा बड़ा स्तंभ होगा। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का विस्तार, नए हवाई अड्डे, औद्योगिक परियोजनाएं, बिजली व्यवस्था, एक जनपद एक उत्पाद और निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियां सरकार की उपलब्धियों में गिनी जाएंगी। 2026 के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान भी विकास की प्राथमिकता को दर्शाता है। सरकार निवेश प्रस्तावों और संभावित रोजगार के बड़े आंकड़े पेश कर सकती है।

लेकिन चुनावी राजनीति में प्रस्ताव और परिणाम के बीच का अंतर बहुत मायने रखता है। निवेश के हजारों प्रस्ताव होना अलग बात है और उन प्रस्तावों से जमीन पर कारखाने और रोजगार पैदा होना अलग। युवा पूछेगा कि नौकरी कहां है, किसान पूछेगा कि आमदनी कितनी बढ़ी, व्यापारी पूछेगा कि कारोबार कितना सुधरा और परिवार पूछेगा कि महंगाई के बीच उसकी बचत कितनी बची। इसलिए भाजपा के लिए विकास का असली रिपोर्ट कार्ड सरकारी विज्ञप्ति नहीं, मतदाता का अनुभव होगा। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत 2024 का सामाजिक संदेश है। सपा ने पीडीए के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच देने की कोशिश की और लोकसभा चुनाव में उसे महत्वपूर्ण सफलता मिली। अब पार्टी दलित समाज के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने और सामाजिक न्याय के सवाल को चुनावी अभियान का केंद्रीय मुद्दा बनाने की तैयारी में है। संविधान, आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवालों को भाजपा के खिलाफ व्यापक सामाजिक गोलबंदी में बदलने की कोशिश होगी। लेकिन पीडीए की राह भी आसान नहीं है। यादव और मुस्लिम मतदाताओं का पारंपरिक आधार सपा के साथ रहा है, लेकिन गैर यादव पिछड़ों और दलितों को स्थायी रूप से जोड़ना अलग चुनौती है। 2024 में किसी मुद्दे या राजनीतिक परिस्थिति के कारण बना गठबंधन 2027 में अपने आप कायम रहेगा, यह मान लेना सपा के लिए जोखिम भरा होगा। उसे टिकट वितरण से लेकर संगठन तक वास्तविक भागीदारी दिखानी होगी। भाजपा इसी कमजोर कड़ी पर चोट करेगी। गैर यादव पिछड़े, गैर जाटव दलित, सवर्ण,

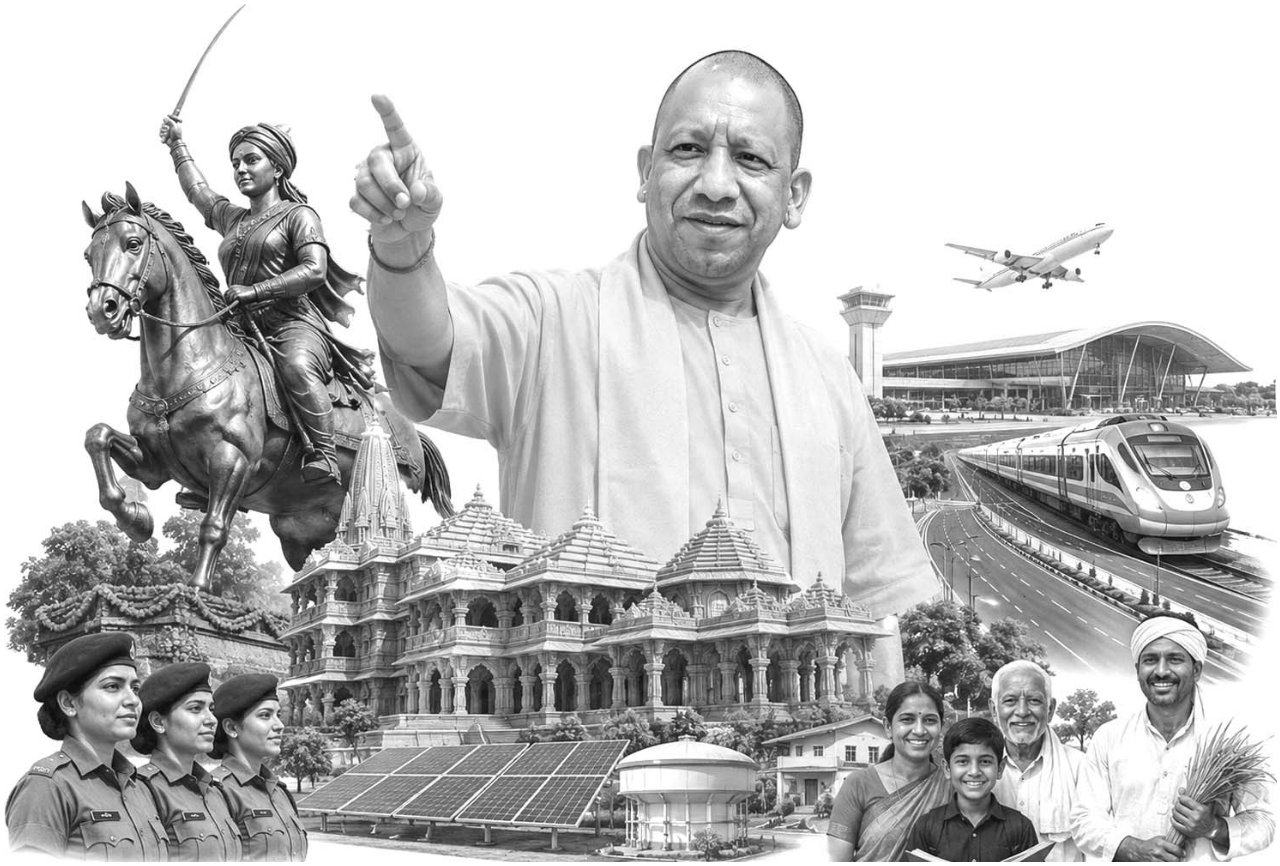

महिलाएं और छोटे सामाजिक समूह उसके सामाजिक समीकरण के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पार्टी का संदेश होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जाति देखकर नहीं बल्कि जरूरत के आधार पर दिया गया। मुफ्त राशन, आवास, बिजली, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक बनाए जा सकते हैं। बूथ स्तर पर लाभार्थियों से संपर्क इसी रणनीति का हिस्सा है। 2024 के झटके के बाद भाजपा के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसके सामाजिक आधार में दरार कहां और क्यों आई। यदि वह केवल हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के सहारे आगे बढ़ती है और रोजगार, महंगाई तथा सामाजिक प्रतिनिधित्व के सवालों को पीछे छोड़ देती है, तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिलेगा।

भाजपा के लिए हिंदुत्व उसका वैचारिक आधार है, लेकिन सत्ता में वापसी के लिए उसे शासन के प्रदर्शन की विश्वसनीयता भी साबित करनी होगी।अखिलेश के सामने भी उतनी ही कठिन परीक्षा है। पीडीए को सत्ता विरोधी भावना से जोड़ना आसान है, लेकिन 403 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करना और अलग-अलग सामाजिक समूहों को साथ रखना कठिन। सपा को यह बताना होगा कि सरकार बदलने के बाद रोजगार, कानून व्यवस्था, निवेश, किसान और गरीबों के लिए उसकी ठोस नीति क्या होगी।केवल भाजपा विरोधी राजनीति से सत्ता की सीढ़ी पूरी नहीं होगी। यही कारण है कि 2027 की लड़ाई में असली

मुकाबला दो नारों का नहीं, दो राजनीतिक मॉडलों का होगा। भाजपा शासन, सुरक्षा, विकास और हिंदुत्व को जोड़कर जनता के सामने जाएगी। सपा सामाजिक न्याय, पीडीए और प्रतिनिधित्व को अपना आधार बनाएगी। 2022 का जनादेश भाजपा की ताकत दिखाता है और 2024 का परिणाम उसकी कमजोर कड़ियां। आखिरकार उत्तर प्रदेश का मतदाता दोनों से एक ही सवाल पूछेगा काम क्या किया और आगे क्या करेंगे। भाजपा के पास नौ साल का शासन रिकॉर्ड है, सपा के पास सत्ता में लौटने की राजनीतिक बेचैनी और 2024 का आत्मविश्वास। अगर भाजपा 2024 की चोट से सबक लेकर अपने सामाजिक समीकरण को फिर मजबूत कर लेती है, तो योगी की राह आसान होगी। अगर अखिलेश पीडीए को जातीय गठजोड़ से आगे बढ़ाकर व्यापक सामाजिक गठबंधन बना लेते हैं, तो मुकाबला बेहद कठिन होगा। 2027 में फैसला इसी बात से होगा कि कौन दल आंकड़ों, संगठन और सामाजिक भरोसे को एक साथ चुनावी ताकत में बदल पाता है।●

गोमूत्र से कमाई मॉडल या चुनावी चमक

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार)

उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर से गोमूत्र खरीद का जो पायलट मॉडल सामने आया है, उसे केवल गाय, गांव और संस्कृति की कहानी मानना आसान है, लेकिन असली सवाल इससे कहीं बड़ा है। सवाल यह है कि क्या सरकार गोमूत्र को सचमुच ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया उत्पाद बनाना चाहती है, या फिर ऐसी घोषणा कर रही है जिसकी चमक कुछ समय बाद सरकारी कागजों तक सिमट जाएगी। 15 गांवों से रोज करीब 500 लीटर गोमूत्र एकत्र करने का लक्ष्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसी आंकड़े में योजना की ताकत और कमजोरी दोनों छिपी हैं। 500 लीटर प्रतिदिन का मतलब साल भर में करीब 1.82 लाख लीटर है। दस रुपये लीटर की दर से केवल खरीद पर सालाना लगभग 18.25 लाख रुपये खर्च होंगे। दर बीस रुपये हुई तो यही खर्च 36.5 लाख रुपये पहुंच जाएगा। अब सवाल यह है कि इस कच्चे माल से तैयार उत्पादों की बिक्री कितनी होगी और सरकारी खरीद के मुकाबले बाजार से कितनी आमदनी आएगी। बुलंदशहर में यह प्रयोग बिल्कुल शून्य से शुरू नहीं हुआ है। नरसेना क्षेत्र में पिछले वर्षों से महिला समूह गोमूत्र संग्रह कर रहे हैं। 2023 में वहां किसानों से 10 से 15 रुपये लीटर तक खरीद और जैविक खाद तथा कीटनाशक तैयार करने का दावा सामने आया था। उस समय एक साल में 10 हजार लीटर खरीद के बाद अगले चरण में 50 हजार लीटर का लक्ष्य बताया गया था। 2024 की रिपोर्टों में दर्जन से अधिक गांवों में महिला समूहों के संग्रह केंद्र और 20 हजार लीटर से अधिक संचयन का उल्लेख मिला। इसका मतलब साफ है कि सरकार के सामने कोई काल्पनिक प्रयोग नहीं, बल्कि पहले से चल रही स्थानीय गतिविधि को बड़े ढांचे में बदलने का अवसर है। यही कारण है कि नई योजना की असली परीक्षा घोषणा नहीं, पुराने अनुभव से सीख लेने में होगी।

छत्तीसगढ़ का उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण है। जुलाई 2022 में वहां गोधन न्याय योजना के विस्तार के रूप में चार रुपये लीटर की दर से गोमूत्र खरीद शुरू हुई। उद्देश्य था उससे ब्रह्मास्त्र जैसे जैविक कीटनाशक और जीवामृत जैसे कृषि इनपुट बनाना। उस समय राज्य में आठ हजार से अधिक गौठानों का ढांचा भी बताया गया था। फिर भी किसी योजना की सफलता केवल खरीद केंद्रों की संख्या से नहीं मापी जा सकती। यदि संग्रहित सामग्री का नियमित प्रसंस्करण, पैकेजिंग, प्रमाणन और बिक्री नहीं होती, तो खरीद अपने आप में टिकाऊ कारोबार नहीं बनती। यही वह बिंदु है जहां उत्तर प्रदेश को उत्साह से ज्यादा व्यवस्था दिखानी होगी। गुजरात का हालिया मॉडल इस बहस को एक और दिशा देता है। बनास डेयरी ने 2025 में देशी कांकरेज गाय पालने वाले करीब 150 पशुपालकों से पांच रुपये लीटर की दर पर गोमूत्र खरीदने का पायलट शुरू किया। राधनपुर के संयंत्र में इसे मृदा कंडीशनर और पौध वृद्धि से जुड़े उत्पादों में बदलने की व्यवस्था की गई। यहां महत्वपूर्ण बात खरीद की कीमत नहीं, बल्कि खरीद से पहले प्रसंस्करण और बिक्री का ढांचा है। डेयरी के पास संग्रह, परिवहन, संयंत्र, ब्रांड और बाजार की क्षमता है। उत्तर प्रदेश को भी इसी सवाल का जवाब देना होगा कि बुलंदशहर से निकलने वाला 500 लीटर प्रतिदिन आखिर किस संयंत्र में जाएगा, कितने घंटे में पहुंचेगा, किस तापमान और किस गुणवत्ता मानक पर रखा जाएगा और तैयार उत्पाद कौन खरीदेगा।

गोमूत्र के कृषि उपयोग को पूरी तरह खारिज करना भी उतना ही गलत होगा जितना उसे हर बीमारी की दवा मान लेना। वैज्ञानिक साहित्य में गोबर और गोमूत्र आधारित जीवामृत जैसे मिश्रणों पर खेत परीक्षण हुए हैं और कुछ परिस्थितियों में इनके पोषक तथा सूक्ष्मजीवी प्रभाव दर्ज किए गए हैं। लेकिन खेत में किसी जैविक घोल का उपयोग और मानव औषधि के रूप में उसका सेवन दो अलग बातें हैं। इसलिए सरकार यदि गोमूत्र से दवाएं बनाने की बात करती है तो उसे आयुर्वेदिक औषधि नियमों, परीक्षण, बैच गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा के मानकों से गुजरना होगा। परंपरा बाजार की शुरुआत कर सकती है, प्रमाणन ही उसे विश्वसनीय बाजार बनाता है।सबसे बड़ी चुनौती संग्रहण है। ताजा गोमूत्र कोई दूध नहीं है जिसे सामान्य दुग्ध शृंखला की तरह तुरंत उठाकर हर जगह पहुंचा दिया जाए। गांव में स्वच्छ संग्रह पात्र, ढक्कनयुक्त टैंक, फिल्ट्रेशन, बैच पहचान, परिवहन और प्रसंस्करण की समयसीमा तय करनी होगी। गाय की नस्ल, पशु का स्वास्थ्य, आहार, पानी, दवाओं का इस्तेमाल और मिलावट जैसी बातें गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। यदि एक गांव का माल दूसरे गांव के माल से अलग है तो तैयार उत्पाद की गुणवत्ता भी बदल सकती है। इसलिए खरीद के साथ गुणवत्ता ग्रेडिंग जरूरी है। केवल दस या बीस रुपये की कीमत तय कर देना गुणवत्ता नियंत्रण नहीं है।

300 महिलाओं को शेयरहोल्डर बनाना योजना का सबसे आकर्षक हिस्सा है, लेकिन यहीं सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। यदि 500 लीटर रोज पर दो रुपये प्रति लीटर कमीशन का प्रावधान है, तो कुल कमीशन एक हजार रुपये प्रतिदिन और करीब 3.65 लाख रुपये सालाना होगा। 300 महिलाओं में बराबर बांटें तो औसतन लगभग 1,217 रुपये सालाना, यानी करीब 101 रुपये महीना बैठता है। इसलिए इसे महिला आर्थिक सशक्तीकरण का बड़ा मॉडल बताने से पहले यह स्पष्ट करना होगा कि महिलाओं की वास्तविक आय कितनी होगी, शेयर का स्वामित्व कैसे तय होगा, लाभांश मिलेगा या नहीं और संग्रह, प्रसंस्करण तथा बिक्री में उनका हिस्सा कितना रहेगा। सिर्फ कमीशन से आत्मनिर्भरता का दावा कमजोर पड़ जाएगा।सरकार के लिए सबसे जरूरी काम खरीद दर बढ़ाना नहीं, मांग पैदा करना होना चाहिए। यदि आज दस रुपये और कल बीस रुपये देने का वादा है, तो उसके साथ यह भी बताया जाना चाहिए कि उत्पाद कितने रुपये में बिकेगा और बाजार कितना बड़ा है। कृषि विभाग, आयुर्वेद संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, सहकारी समितियां और निजी कंपनियां मिलकर परीक्षण करें। किसानों के खेतों पर नियंत्रित प्रदर्शन हों। उत्पादों की लागत, फसल पर असर, रासायनिक विकल्पों के मुकाबले लाभ और बाजार में दोबारा खरीद की दर सार्वजनिक की जाए। तभी पता चलेगा कि यह सब्सिडी है या कारोबार।

योजना को चुनावी चश्मे से देखना भी आसान है, खासकर जब उत्तर प्रदेश 2027 की विधानसभा चुनावी तैयारी में प्रवेश कर चुका है। लेकिन केवल इसी आधार पर इसे खारिज करना जल्दबाजी होगी। गायों से जुड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समस्या वास्तविक है। अनुपयोगी पशु किसान के लिए खर्च हैं और गोसंरक्षण तभी टिकेगा जब पशुपालन आर्थिक रूप से व्यवहार्य बने। गोबर, गोमूत्र, दूध, जैविक खाद और प्राकृतिक कृषि इनपुट को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में बदलना इसलिए उपयोगी विचार हो सकता है। मगर अच्छी योजना वही है जो नारे के बाद भी चलती रहे। बुलंदशहर के 500 लीटर प्रतिदिन को 5,000 या 50,000 लीटर तक ले जाना आसान घोषणा है; उसके लिए दस गुना संग्रह केंद्र, परिवहन, परीक्षण, प्रसंस्करण और बाजार चाहिए। सरकार को हर छह महीने खरीद, भुगतान, प्रसंस्करण, बिक्री और किसानों की आय के आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। योजना का असली पैमाना होगा कि सरकारी पैसा बाजार बनाए, बाजार सरकार नहीं। अगर उत्पाद बाजार में बिकता है, किसानों को समय पर पैसा मिलता है, महिलाओं की आय बढ़ती है और पशुपालन का खर्च घटता है, तो इसे पूरे प्रदेश में फैलाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर सरकारी पैसा कच्चा माल खरीदता रहे और बाजार तैयार न हो, तो यह भी उन योजनाओं की सूची में जुड़ जाएगा जिनमें शुरुआत बहुत बड़ी और परिणाम बहुत छोटे थे।●

बिहार एमएलसी चुनाव

आठ सीटों पर दलीय घमासान

कोई अपने ही दल का बन बैठा बागी, तो किसी को है उच्च सदन में खाता खुलने की चाह

● **अमित कुमार**

बिहार विधान परिषद की आठ शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों पर होने वाले बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। इन आठ सीटों का कार्यकाल 16 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है, जिसके कारण जल्द ही चुनाव प्रक्रिया पूरी होनी है। इसे लेकर बांकीपुर उपचुनाव के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने इन सभी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे जेडीयू और अन्य दलों के पारंपरिक समीकरण हिल गए हैं। वही पटना स्नातक सीट को लेकर जेडीयू में सुगबुगाहट तेज है। पार्टी एक बार फिर मौजूदा विधान पार्षद नीरज कुमार को मैदान में उतारने की तैयारी में है, लेकिन बाहुबली अनंत सिंह ने नीरज कुमार का समर्थन करने से इंकार करते हुए डॉ. अनुज सिंह का समर्थन करने का ऐलान किया है। पार्टी की समझाइश के बावजूद अनंत सिंह लगातार अनुज सिंह के साथ मंच साझा कर रहे हैं। बता दें कि नीरज कुमार, नवल किशोर यादव और संजय सिंह जैसे दिग्गजों का कार्यकाल पूरा होने के कारण इस चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद की आठ सीटों का चुनाव कार्यक्रम अगले चार सप्ताह में घोषित होने की उम्मीद है। इन आठ सीटों में चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और चार सीटें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की हैं। इन सभी सीटों के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर 2026 को खत्म हो जाएगा। इनमें निर्दलीय तीन, भाजपा के दो, कांग्रेस, भाकपा और जदयू के एक-एक निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होगा।

जिन आठ सीटों पर चुनाव होने हैं उनके निर्वाचन क्षेत्र और सदस्य हैं :-

- पटना-शिक्षक, प्रो. नवल किशोर यादव भाजपा
- दरभंगा-शिक्षक, डॉ. मदनमोहन झा कांग्रेस
- सारण- शिक्षक, आफाक अहमद निर्दलीय
- तिरहुत-शिक्षक, संजय कुमार सिंह भाकपा
- पटना-स्नातक, नीरज कुमार, जदयू
- दरभंगा-स्नातक, सर्वेश कुमार, निर्दलीय
- कोसी-स्नातक, एनके यादव, भाजपा
- तिरहुत-स्नातक, बंशीधर ब्रजवासी, निर्दलीय

सूत्रों की माने तो सितंबर के आखिरी सप्ताह में चुनाव का ऐलान होने की संभावना है। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एनडीए और महागठबंधन के साथ जन सुराज के मैदान में उतरने की चर्चा ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। इन चुनावों को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें आम विधानसभा चुनाव की तरह सभी मतदाता वोट नहीं करते। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में स्नातक मतदाता और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षक मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ऐसे में इन सीटों के नतीजों को पढ़े-लिखे तबके के राजनीतिक रुझान के संकेत के तौर पर भी देखा जाता है। ज्ञात हो कि चुनाव में अभी उम्मीदवारों और सीटों को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है, लेकिन महागठबंधन के घटक दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार के खिलाफ माहौल का फायदा उन्हें इन चुनावों में मिलेगा। विपक्षी दल एनडीए पर भी निशाना साध रहे हैं और सभी आठ सीटों पर बेहतर प्रदर्शन का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए भी चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। हालांकि गठबंधन ने खबर लिखे जाने तक सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित नहीं किया

नीरज कुमार

डॉ० अनुज सिंह

अनंत कुमार सिंह

है। एनडीए नेताओं का कहना है कि घटक दल आपस में बातचीत कर सीटों का फैसला करेंगे। यहां सीटों का बंटवारा एनडीए के लिए अहम चुनौती माना जा रहा है। कौन सी पार्टी किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी, इस पर सहमति बनने के बाद ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने की उम्मीद है। एनडीए नेता गठबंधन में किसी तरह के मतभेद से इनकार करते हुए एकजुट होकर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं।

बहरहाल, एनडीए के घटक दल जदयू में एक सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। बता दें कि पटना स्नातक सीट पर जदयू के वर्तमान एमएलसी नीरज कुमार को हार का भय समाने लगा है, क्योंकि इस सीट पर नीरज कुमार को समर्थन ना देने का बागी तेवर बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह ने फैसला किया है। उनका समर्थन इस सीट पर उनके चहेते अनुज सिंह के साथ है। पटना स्नातक सीट को लेकर अनंत सिंह के रुख पर पहले भी सियासी चर्चा हो चुकी है। अनुज सिंह के समर्थन के बाद जेडीयू की बैठक में मामला पहुंचा था। बैठक के बाद अनंत सिंह ने सब कुछ ठीक होने की बात कही थी। इसके बाद यह संकेत माना जा रहा था कि वह पार्टी के मौजूदा दावेदार नीरज कुमार के साथ खड़े होंगे लेकिन, अब बिहटा की तस्वीरों ने फिर से सस्पेंस बढ़ा दिया है। वे अपने चहेते अनुज सिंह के साथ बिहटा में एक मंच पर एक साथ नजर आए हैं जिसके बाद जेडीयू की एकजुटता के दावे पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे पार्टी की बात नहीं सुन रहे? अनंत सिंह का वीडियो जो बिहटा का है उसमें अनुज सिंह यह साफ कह रहे हैं कि दादा (अनंत सिंह) मेरे साथ हैं। उनका आशीर्वाद मिला है। अब जनता के समर्थन की जरूरत है। मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा।

बता दें कि अनंत सिंह ने बीते दिनों ऐलान किया था कि वह एमएलसी चुनाव में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार का समर्थन नहीं करेंगे। वे अनुज सिंह का समर्थन करेंगे। इसके बाद पार्टी ऑफिस में बैठक बुलाई गई जिसमें अनंत सिंह और नीरज कुमार भी थे। अनंत सिंह को मनाने की कोशिश की गई थी। अब जिस तरह से बैठक के बाद भी अनंत सिंह का वीडियो अनुज सिंह के साथ आया है इससे तो यही सवाल उठ रहा है कि क्या अनंत सिंह सुलह के मूड में नहीं हैं? सामने आई तस्वीरों में अनंत सिंह के साथ डॉ. अनुज सिंह और जेडीयू से जुड़े नेता छोटू सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। सनद् रहे कि कुछ दिनों पहले ही छोटू सिंह को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने छः साल के लिए पार्टी विरोधी कार्यों के लिए निष्काषित कर दिया था, उसके बाद से ही छोटू सिंह नाराज चल रहे हैं। कहा ये भी जा रहा है कि छोटू सिंह मंत्री अशोक चौधरी के करीबी होने के कारण उनको ये दंड मिला। छोटू सिंह ने नीरज कुमार के उस बयान पर अधिक क्रोधित दिखे, जिसमें उन्हें नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने वाले पत्रकार के सवाल पर सीधे-सीधे कह दिया था कि नीतीश कुमार का कोई करीबी नहीं है। अब अनंत सिंह के साथ ही छोटू सिंह भी खुलकर नीरज कुमार के विरोध में हैं और उन्हें चुनाव हराने तक की चुनौती दे डाली है। बहरहाल, बैठक के बाद पार्टी ने दावा किया था कि पटना स्नातक सीट पर अनंत सिंह जेडीयू के नीरज कुमार का समर्थन करेंगे। पार्टी के दावे के बावजूद अनंत सिंह बिहटा में अनुज सिंह के साथ मंच पर साथ दिखे तो इससे तो यही कहा जा सकता है कि वे पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं। क्या बैठक के बाद भी पटना स्नातक सीट को लेकर जेडीयू के भीतर सब कुछ ठीक है? या फिर पर्दे के पीछे कोई नया राजनीतिक समीकरण आकार ले रहा है?

विदित हो कि डॉ. अनुज सिंह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। वे स्कूल चलाते हैं। अभी किसी पार्टी में नहीं हैं। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे यह अभी स्पष्ट नहीं। डॉ. अनुज सिंह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स/मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के निदेशक हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नवादा सीट से जनसुराज समर्थित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। उनकी शैक्षणिक योग्यता भी खास है। वह संसाधन भूगोल में पीएचडी कर चुके हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक अनुज सिंह ने अपनी

बिहटा कार्यक्रम में एक मंच पर अनंत सिंह के साथ डॉ० अनुज सिंह और छोटू सिंह

जदयू कार्यालय में चल रहा मंथन

कमाई, संपत्ति और अन्य आर्थिक जानकारियां घोषित की थीं। उनके खिलाफ नवादा के महिला थाने में एक मामला दर्ज होने की जानकारी भी हलफनामे में दी गई थी। खास बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने के बावजूद उनके पास लाइसेंसी राइफल भी है। दिगर बात है कि नीरज और अनंत सिंह के रिश्ते पहले से ही ठीक नहीं रहे हैं, हालांकि नीरज तीन बार से चुनाव जीत रहे हैं। इस बार भी वही पटना स्नातक सीट से प्रत्याशी होंगे, लेकिन औपचारिक ऐलान बाकी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार को समर्थन देने से इनकार करते हुए अनंत सिंह ने कहा कि उनके साथ रहने वाले सभी लोग अनुज सिंह का साथ देंगे। दावा है कि 26 विधानसभा क्षेत्रों में उनका समर्थन रहेगा। अब असली सवाल यही है कि अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता नीरज कुमार के बजाय अनुज सिंह का साथ क्यों चुना? दोनों के बीच पुरानी राजनीतिक अदावत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अनुज सिंह को मिला अनंत सिंह का समर्थन इस एमएलसी चुनाव को और दिलचस्प बना सकता है।

खैर, बिहार में आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जन सुराज पार्टी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने की घोषणा कर दी है। पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में आयोजित एक अहम संगठनात्मक बैठक के दौरान कहा कि जन सुराज एमएलसी की आठ सीटों पर पूरी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तिरहुत शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सही प्रत्याशियों का चयन करना और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना था। प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद राज्य की स्थानीय राजनीति में सरगर्मी काफी बढ़ गई है। जन सुराज की एंट्री से मुकाबला सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच नहीं रहने की संभावना है। स्नातक और शिक्षक मतदाताओं के बीच जन सुराज अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा। हालांकि पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नामों को लेकर अभी पत्ते पूरी तरह नहीं खोले गए हैं। जन सुराज का मुख्य फोकस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और मतदाताओं से सीधा संवाद कायम करने पर है। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी सभी आठ सीटों पर जीत हासिल करने के उद्देश्य से मैदान में उतर रही है। उन्होंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी अभियान में पूरी सक्रियता से जुटने का कड़ा संदेश दिया है। प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से अनौपचारिक रूप से कहा है कि अगले वर्ष हम पंचायत और जिला परिषद चुनाव में भी उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता और समर्थक चाहते हैं कि पार्टी पूरी ताकत के साथ यह चुनाव लड़े। संगठन में चुनाव को लेकर उत्साह है। सभी लोग बांकीपुर की जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मजबूती से मैदान में उतरना चाहते हैं। विदित हो कि बांकीपुर से जीत हासिल कर भाजपा के किले को पीके ने अभी हाल ही में ध्वस्त किया था और इसके बाद से ही सक्रिय भूमिका में एक विधायक के तौरपर किंतु मुख्यमंत्री के समानांतर कार्य करते देखे गये, जो आज से पहले किसी विधायक ने को करते नहीं देखा गया है। बता दें कि पीके के लगातार दौरों और मुलाकातों के बाद ये चर्चा भी जोरों पर है कि पीके अब बिहार के पावर सेंटर में भी पैठ बनाने में जुट गए हैं। हाल के दिनों में पहले डीजीपी विनय कुमार, फिर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मुलाकात के जरिए प्रशांत किशोर ने इतना जता दिया है कि जनप्रतिनिधि यानी बांकीपुर विधायक बन जाने के बाद उनके लिए किसी भी पावर सेंटर में जाना कितना आसान हो गया है। यही नहीं प्रशांत किशोर विधायक बनने के बाद पहले से ज्यादा खुद को आम लोगों से भी कनेक्ट कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि प्रशांत किशोर पहले बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अलग-अलग समस्याओं को लेकर डीजीपी विनय कुमार से मिलते हैं। उनसे समस्याओं पर चर्चा करते हैं। फिर बाहर निकल कर इसकी पूरी जानकारी देते हैं। बांकीपुर की खराब ट्रैफिक व्यवस्था का हवाला भी देते हैं। इस तरह से प्रशांत किशोर बांकीपुर की जनता को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो आईपीएस में सबसे बड़े अफसर तक जा सकते हैं और समस्याओं को सामने रख सकते हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मुलाकात की। उन्होंने यहां भी बांकीपुर से जुड़े मुद्दों को सामने रखा। प्रशांत किशोर ने बाहर निकल कर यहां भी मीडिया को बताया कि बांकीपुर की किन समस्याओं पर उनकी बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से बात हुई। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने बिहार के आईएएस के बॉस यानी चीफ सेक्रेटरी से मिलकर अपनी बातें रखीं। यहां भी उन्होंने बांकीपुर की जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उनकी दिक्कतों के लिए वो सरकार के उच्च स्तर पर जा सकते हैं। बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन शायद ही कभी किसी ने किसी विधायक को अपने क्षेत्र की दिक्कतों के लिए डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी के पास जाते देखा होगा। लेकिन प्रशांत किशोर

एमएलसी चुनाव की तैयारी में जुटे प्रशांत किशोर

इससे इतर राजनीति कर रहे हैं। यूं समझिए कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक सीट के लिए उनको इतना ख्याल है तो जन सुराज की सरकार बनने पर वो कितना ख्याल रखेंगे। अब चूकि एमएलसी की आठ सीटों पर चुनाव होने हैं, इसे लेकर पीके की जनसुराज विकल्प बनती दिख रही है। ज्ञात हो कि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जन सुराज की धमक काफी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद भरोसे का विस्तार पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बढ़ गया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जिस शिक्षा और नौकरी के नाम पर जीता गया है, जनसुराज उसी प्लानिंग के साथ जिसमें शिक्षकों को मिलने वाले लाभ, बेहतर माहौल और सम्मान जनक माहौल जैसे मुद्दे को जनसुराज आधार बनाने जा रही है।

बहरहाल, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने देर से ही सही लेकिन धमाकेदार एंट्री दर्ज की। लेकिन उनका मकसद सिर्फ बांकीपुर सीट नहीं है। अब प्रशांत किशोर एमएलसी चुनाव में भी अपने पत्ते खोल चुके हैं। उन्होंने बिहार एमलएसी चुनाव 2026 में स्नातक स्तर की 4 और शिक्षक स्तर की 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों का करीब-करीब चयन भी कर लिया है। प्रशांत किशोर को बस एक और यानी अपनी पार्टी के खाते में एक एमएलसी की जरूरत है। इसके जरिए वो राजनीति में बहुत कुछ साध सकते हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवारों के नाम करीब-करीब तय भी कर लिए हैं। लेकिन खबर लिखे जाने तक इसको लेकर अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि अंतिम वक्त में प्रशांत किशोर अपने दांव को सामने रख देंगे। अब चुंकि प्रशांत किशोर खुद बिहार विधानसभा के सदस्य यानी विधायक हैं तो वो काफी सोच समझ कर अपनी हर रणनीति को अमलीजामा पहना रहे हैं। ये तो तय मान लीजिए कि प्रशांत किशोर इस बिहार एमएलसी चुनाव 2026 में सभी 8 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं। इसके लिए वो वैसे नेताओं को तरजीह देंगे जो वोटों के साथ व्यक्तिगत तौर पर हर तरह से मजबूत हों, चाहे वो धन-बल की ही बात क्यों न हो। लेकिन इससे भी बड़ा मकसद कुछ और है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को ये पता चल गया कि जनता अब गैर एनडीए और गैर महागठबंधन विकल्प की तलाश में है। ऐसे में उनके लिए ये नया विपक्ष बनने का अच्छा मौका है। ये अलग बात है कि ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला। वही 'बूंद-बूंद से तालाब बनते हैं' वाली कहावत तो सब जानते हैं। कभी जनसंघ से बीजेपी बनी पार्टी के साथ भी यही स्थिति थी, लेकिन आज बीजेपी ने केंद्र से लेकर कई राज्यों में परचम लहरा रखा है। प्रशांत किशोर भी इसी

प्रशांत किशोर

तरह से पहले विपक्ष की पहली धुरी बनने की कोशिश में लग गए हैं। जो खुद रणनीतिकार रह कर दूसरी पार्टियों के लिए प्लान बना चुका हो, उसे ये कैसे मालूम नहीं होगा कि सत्ता का रास्ता विपक्ष की सीटों से होकर ही गुजरता है। ऐसे में उच्च सदन यानि बिहार विधान परिषद में अगर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को भागीदारी मिल जाती है तो वो अपने मिशन में एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे।

गौरतलब है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद अब सबकी नजर बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव पर टिकी है। प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट जीतने के बाद अब सभी आठ सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके हैं। उनके इस बड़े फैसले ने राज्य की पारंपरिक दलीय राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। प्रशांत किशोर के इस कदम के बाद जदयू के अंदर भारी घमासान मचा हुआ है और महागठबंधन में भी एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। लगातार चुनाव जीत रहे नीरज कुमार, नवल यादव और संजय सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की नींद उड़ी हुई है। वही जदयू के भीतर मचे घमासान को शांत करने और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। विधायक दल के नेता श्रवण कुमार को अनंत सिंह को मनाने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है। पहली बैठक में अनंत सिंह पार्टी कार्यालय आए तो जरूर थे, लेकिन उनके बयानों से साफ जाहिर है कि उनकी नाराजगी अभी तक पूरी तरह दूर नहीं हो सकी है। इधर प्रशांत किशोर की टीम का उत्साह चरम पर है, लेकिन मुख्य सवाल यही है कि क्या शिक्षक और स्नातक मतदाता प्रशांत किशोर को सीधे विकल्प के रूप में स्वीकार करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनाव में मतदाता काफी सीमित होते हैं। इसलिए जो जमीन पर वोटर्स को बेहतर ढंग से मैनेज करेगा, राजनीतिक रूप से बाजी अंततः उसी के हाथ लगेगी। अब चुंकि आगामी 16 नवंबर को इन सभी आठ विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इसमें से चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। एनडीए की तरफ से अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है, लेकिन बागी प्रत्याशियों ने उनकी नींद उड़ाकर पूरे चुनावी माहौल को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया है। वही महागठबंधन की ओर से अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, जबकि प्रशांत किशोर ने जल्द ही नाम तय करने की बात कही है। बहरहाल, चुनावी प्रचार में सभी दल कूद पड़े हैं। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कहना है कि वे सभी नेताओं से फीडबैक लेने के बाद ही इस विषय पर कुछ स्पष्ट बोलेंगे। बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव का दायरा काफी बड़ा है। पटना शिक्षक और स्नातक सीट के अंतर्गत पटना, नवादा और नालंदा जिले आते हैं। इसके अलावा, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का भौगोलिक विस्तार पांच जिलों छपरा, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण (बगहा) तक फैला हुआ है। तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मुख्य रूप से चार बड़े जिले मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली शामिल हैं। इसी तरह दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तहत भी चार प्रमुख जिले आते हैं। इन जिलों में दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी और बेगूसराय के नाम शामिल हैं, जहां आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। वही कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का दायरा सबसे बड़ा है, जिसके अंतर्गत कुल 14 जिलों के मतदाता वोट करते हैं। इसमें पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई एवं खगड़िया शामिल हैं।

बहरहाल वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को आधार मानें तो राज्य में एनडीए का भारी दबदबा दिखाई देता है। कुल 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए ने 202 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, हालांकि बांकीपुर उपचुनाव में मिली अप्रत्याशित हार के कारण अब एनडीए का यह आंकड़ा घटकर 201 सीटों पर आ चुका है। वही एनडीए के इस भारी बहुमत के कारण महागठबंधन और प्रशांत किशोर के लिए यह लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन वर्तमान में यूजीसी के फैसलों को लेकर अगड़ी जातियों के मतदाताओं में बीजेपी के खिलाफ जो भारी नाराजगी देखी जा रही है, उसका सीधा सियासी लाभ जन सुराज और प्रशांत किशोर को मिलने की पूरी संभावना है।●

● **शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला**

बिहार जैसे राज्य में, जहां प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है और राज्य सरकार अपने संसाधनों के लिए काफी हद तक केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भर है, सार्वजनिक स्वास्थ्य खरीद में हुई कथित अनियमितता का महत्व केवल एक 'घोटाले' की सुर्खियों तक सीमित नहीं रह जाता, यह सीधे उस सीमित राजकोषीय स्थान (fiscal space) पर आघात है, जिससे स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सामाजिक कल्याण योजनाएं चलनी थीं। इसी संदर्भ में Microwave Based Medical Waste Sterilization System, Master Trolley और उनसे जुड़े मेडिकल डस्टबिन की खरीद में सामने आई अनियमितताओं को समझना जरूरी है।

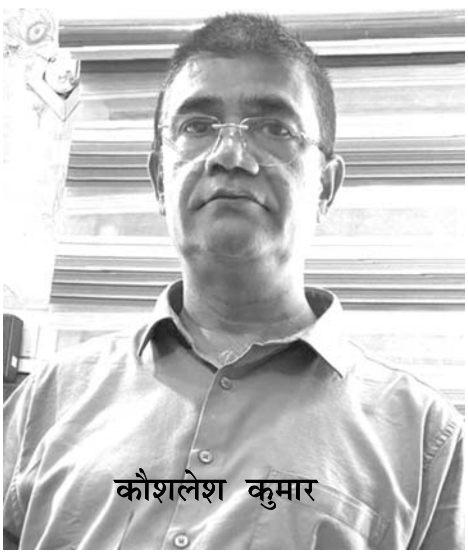

कौशलेश कुमार

यह मामला बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMSICL) द्वारा संचालित खरीद प्रक्रिया, टेंडर संख्या- BMSICL/2023-24/ME-317, और उससे जुड़े दर-अनुबंध (Rate Contract) से जुड़ा है, जिसमें फर्म M/s S.S. Medical System (I) Pvt. Ltd. को आपूर्तिकर्ता नियुक्त किया गया था। इस पूरे प्रकरण को उजागर करने का श्रेय बेगूसराय जिले के वार्ड नं.-41, मोहन एघू निवासी कौशलेश कुमार को जाता है, जिन्होंने स्वयं कई जिलों के अस्पतालों का दौरा कर भौतिक सत्यापन किया।

किसी भी सार्वजनिक खरीद घोटाले का सही आकलन तभी संभव है जब उसे राज्य की समग्र राजकोषीय पृष्ठभूमि में रखकर देखा जाए। बिहार सरकार के वित्त वर्ष 2026-27 के बजट दस्तावेजों के अनुसार :-

❖ **कुल बजट आकार** :- 3,47,589.76 करोड़ रूपये, जो बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है और पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 30,694 करोड़ रूपये अधिक।

❖ **राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)** :- 2,84,133.92 करोड़ रूपये, जिसमें वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान जैसे प्रतिबद्ध खर्च शामिल हैं।

❖ **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (Establishment & Committed Expenditure)** :- 2,25,434 करोड़ रूपये यानी राज्य के कुल बजट का बड़ा हिस्सा पहले से 'बंधा हुआ' है, जिसमें नई योजनाओं के लिए सीमित गुंजाइश बचती है।

❖ **पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)** :- 63,455.84 करोड़ रूपये, जो कुल बजट का महज लगभग 18.26% है।

❖ **राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)** :- अनुमानित 39,111.80 करोड़ रूपये, यानी GSDP का लगभग 2.99% जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 3% की सीमा के भीतर तो है, पर मार्जिन बेहद संकरा है।

❖ **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)** :- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित 13,09,155 करोड़ रूपये।

❖**कुल बकाया देनदारी (Outstanding Liabilities)** :- वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक यह GSDP के लगभग 34% तक पहुंचने

का अनुमान है।

❖ **कर्ज पर निर्भरता की चिंता, स्वयं 16वें वित्त आयोग की टिप्पणी** :- यह उल्लेखनीय है कि 16वें वित्त आयोग ने स्वयं यह टिप्पणी की है कि बड़े राज्यों में बिहार का ऋण-GSDP अनुपात (debt-to-GDP ratio) तुलनात्मक रूप से अधिक है और चूंकि राज्य केंद्रीय हस्तांतरण पर भारी निर्भर है तथा स्वयं के राजस्व स्रोत जुटाने की उसकी क्षमता सीमित है, इसलिए बिहार का ऋण स्तर 'चिंता का विषय' है। इसके अलावा, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा GSDP के 11.8% तक जा पहुंचा था, जो अनुमत सीमा (3.5%, केंद्रीय पूंजीगत ऋण को छोड़कर) से कहीं अधिक था, हालांकि इसमें केंद्र से मिलने वाले 50 वर्षीय ब्याज मुक्त पूंजीगत ऋण का भी बड़ा योगदान माना जाता है।

❖ **स्वास्थ्य विभाग को आवंटन बनाम कथित घोटाले का आकार** :-बिहार के 2026-27 बजट में विभागवार आवंटन इस प्रकार है :-

विभाग		**आवंटन**
शिक्षा	-	60,204 करोड़ रूपये (सर्वाधिक)।
स्वास्थ्य	-	21,270 करोड़ रूपये।
गृह विभाग	-	20,132 करोड़ रूपये।
ऊर्जा	-	18,737 करोड़ रूपये।

यहां एक तुलनात्मक तथ्य गौर करने लायक है :- विपक्ष व मीडिया रिपोर्टों में जिस 'डस्टबिन घोटाले' का अनुमानित आकार 300 करोड़ रूपये से 700 करोड़ रूपये के बीच बताया जा रहा है (नीचे विस्तार से देखें), वह राज्य के पूरे वार्षिक स्वास्थ्य बजट (21,270 करोड़ रूपये) का लगभग ''1.4% से 3.3%'' के बराबर बैठता है। दूसरे शब्दों में, यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो जितनी राशि कुछ महीनों की खरीद प्रक्रिया में कथित रूप से डकार ली गई, वह किसी छोटे जिले के वार्षिक स्वास्थ्य बजट के बराबर या उससे अधिक हो सकती है, ऐसे राज्य में जहां स्वास्थ्य ढांचा पहले से ही संसाधनों की कमी झेलता है।

❖ **सीमित राजकोषीय गुंजाइश में भ्रष्टाचार की 'अवसर लागत' (Opportunity Cost)** :- चूंकि राज्य का पूंजीगत व्यय कुल बजट का महज लगभग 18% है और अधिकांश बजट पहले से प्रतिबद्ध व्यय में बंधा है, ऐसे में सार्वजनिक खरीद में हर करोड़ रुपये का दुरुपयोग सीधे उस सीमित 'स्वविवेकाधीन' (discretionary) राशि पर आघात करता है, जो नई अस्पताल इमारतों, उपकरणों, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन या दवाओं की खरीद पर खर्च हो सकती थी। एक ऐसे राज्य में जहां ऋण-GSDP अनुपात पहले से 34% के आसपास है और वित्त आयोग स्वयं चेतावनी दे चुका है, हर अनावश्यक खर्च राज्य की भावी उधार क्षमता और राजकोषीय स्वायत्तता को और सीमित करता है।

❖ **मेडिकल उपकरण खरीद में कीमतों की विसंगतियां** :-

☞ **Master Trolley-5 हजार का सामान 58 हजार से अधिक में** :- डिलीवरी चालान (दिनांक-12.08.2026) के अनुसार S.S. Medical Systems ने BMSICL को 3 यूनिट मास्टर ट्रॉली की आपूर्ति 49,750 रूपये प्रति यूनिट (कुल 1,49,250 रूपये)' दर्शाई, जिस

SSMED

85

DELIVERY CHALLAN

S. S Medical Systems India Private Limited
Ground Floor Thapar house Park Road, Hazratganj, Lucknow 226001
GSTIN: 09AAHCS4759A1Z9

Dated: 12.08.2026

Dispatch From:
S. S Medical Systems India Private Limited
Ground Floor Thapar house Park Road,
Hazratganj, Lucknow 226001

Delivery To:
Bihar Medical Services and
Infrastructure Corporation Limited

The following Medical Equipment is going for sale.

S. No.	Description	HSN code	Rate	GST Rate	Qty.	Total
01	Maser Trolley MAKE: S. S Medical Systems India Pvt. Ltd.	94029090	49,750.00	18%	03	1,49,250.00
						1,49,250.00
Goods Dispatch from Ground Floor Thapar house Park Road, Hazratganj, Lucknow 226001				SGST- CGST- IGST- Round off- Total-		0.00/- 0.00/- 26,865.00 /- 0.00/- 1,76,115.00 /-
Delivery to Bihar Medical Services and Infrastructure Corporation Limited				Method of Dispatch 06AALCA0748D1ZY		By:
Signature:				Goods received in good condition		Sig/Seal/Date

For S. S Medical Systems India Private Limited

Authorised Signatory

S.S Medical Systems (India) Private limited

Rated India's Top 100 MSME | Class 1 Local Supplier, Assessed by Govt of India

TOLL FREE: 1800-890-1516

www.ssmedworld.com

बायो-मेडिकल वेस्ट बिन प्रकरण की जांच के लिए बनी समिति

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना : स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव त्यागराजन एसएम के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय टीम बायो-मेडिकल वेस्ट (बीडब्ल्यूडब्ल्यू) बिन प्रकरण की जांच करेगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत के निर्देश पर गठित जांच टीम में अतिरिक्त सचिव वैभव चौधरी भी सम्मिलित हैं। बेगूसराय जिला के रहने वाले कौशलेंद्र ने दस्तावेज के साथ निशांत को पत्र लिखकर बीडब्ल्यूडब्ल्यू बिन और बैग आदि की खरीद में 276.38 करोड़ के गड़बड़झाले का आरोप लगाया था। आरोप यह कि बीडब्लयूडब्ल्यू बिन और बायो-डिग्रेडेबल बैग को बाजार दर से 10-12 गुना अधिक मूल्य पर खरीदा गया। आग्रह यह कि इस जांच से बिहार चिकित्सा सेवा व आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (बीएमएसआइसीएल) के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्ति श्रृंखला) को अलग रखा जाए।

इंटरनेट मीडिया पर रोहिणी आचार्य के पोस्ट के बाद यह प्रकरण चर्चा में आया। हाई कोर्ट में लोकहित याचिका भी दायर हो चुकी है। याचिका के जरिये सीबीआइ या मुख्य सतर्कता आयुक्त से जांच कराने, फारेंसिक आडिट व खरीद पर व्यय हुई अधिक राशि की वसूली का आग्रह है। निविदा में गड़बड़ी हुई। कई शर्तें शिथिल कर दी गईं, जैसे कि मानक अवधि। इस कारण प्रतिस्पर्द्धा सीमित हो गई और उसी आड़ में गड़बड़झाला हुआ।

276.38 करोड़ के गड़बड़झाले का आरोप है खरीदारी से संबंधित इस प्रकरण में

स्वास्थ्य मंत्री निशांत के निर्देश पर तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन, त्यागराजन एसएम करेंगे नेतृत्व

मुख्य आरोप

अप्रैल 2024 से 2026 के बीच 17 आर्डर के जरिए इन चीजों की खरीद हुई। शिकायत यह कि खरीद में चीजों की दर अधिक रही। इससे सरकारी खजाने को जीएसटी सहित कुल 276.38 करोड़ की चपत लगी।

पर 18% IGST जोड़कर कुल बिल 1,76,115 रूपये बना, यानी ''लगभग 58,705 रूपये प्रति ट्रॉली (GST सहित)। शिकायतकर्ता के अनुसार बाजार में उपलब्ध समकक्ष स्टील ट्रॉली की कीमत सामान्यत: 4-5 हजार रुपये के आसपास बैठती है, यानी करीब 10 से 12 गुना अधिक भुगतान।

☞ **Microwave Based Medical Waste Sterilization System** :- BMSICL की अपनी फाइल-नोटिंग (पृष्ठ 8) के अनुसार L-1 बिडर S.S. Medical System ने प्रति यूनिट 15,63,254.23 रूपये का भाव कोट किया था, जिसे 'प्राइस जस्टिफिकेशन' की प्रक्रिया के बाद मात्र 542 रूपये प्रति यूनिट घटाकर 15,62,711.86 रूपये कर दिया गया। GST सहित यह कीमत लगभग 18.44 लाख रूपये प्रति यूनिट तक पहुंच जाती है, यह आंकड़ा स्वयं स्वास्थ्य विभाग के 13.05.2024 के पत्र में दर्ज है।

❖ **डस्टबिन घोटाला : वह मुद्दा जिसने पूरे बिहार में राजनीतिक भूचाल ला दिया** :- अगस्त 2026 में जब RTI के जरिए यह मामला सार्वजनिक हुआ, तो इसने पूरे राज्य में एक बड़े राजनीतिक तूफान का रूप ले लिया। इस पर विस्तार से चर्चा आवश्यक है :-

☞ **आरोपों का सार** :- विपक्षी दल राजद (RJD) ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने बाजार में मात्र 500-1,500 रूपये में उपलब्ध डस्टबिन को 15,490 रूपये प्रति यूनिट में खरीदा और इसे 617 करोड़ रूपये का घोटाला करार दिया। राजद ने सोशल मीडिया पोस्ट में तंज कसते हुए कहा, 'बिहार की भ्रष्ट सरकार ने 500 का डस्टबिन 15,490 में खरीदकर 617 करोड़ रूपये का घोटाला कर डाला... BJP का भ्रष्टाचार सात्विक किस्म का होता है क्योंकि भ्रष्ट और लाभार्थियों के पास इतनी सामाजिक पूंजी है कि कोई उन्हें 'कूड़ेदान खाने वाला' नहीं कहता।' राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य ने भी 11 अगस्त को इस मुद्दे पर सरकार को घेरा था।

☞ **विस्तृत कीमत तुलना** :- एक विस्तृत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के अनुसार, तय टेंडर BMSICL/2023-24/ME-317 के तहत अप्रैल 2024 से अप्रैल 2026 के बीच 57 आपूर्ति आदेश जारी किए गए, जिनके एवज में टैक्स सहित लगभग 305.53 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ, जबकि इसी सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 29.05 करोड़ रूपये आंका गया, यानी लगभग 276.48 करोड़ रूपये का अंतर। इसी रिपोर्ट के अनुसार 45 लीटर के माइक्रोवेव-आधारित वेस्ट बिन की सरकारी खरीद कीमत 11,474 रूपये थी, जबकि इसका बाजार मूल्य लगभग 1,162.50 रूपये आंका गया। 75 लीटर वाले बिन के लिए यह आंकड़े क्रमश: 15,490 रूपये और 1,550 रूपये थे। बायोडिग्रेडेबल बैग की कीमतों में भी कई गुना अंतर के आरोप लगाए गए।

कुछ अंतरराष्ट्रीय व स्वतंत्र मीडिया रिपोर्टों में इस घोटाले का अनुमानित आकार 300 करोड़ रूपये से लेकर 700 करोड़ रूपये तक बताया गया, हालांकि इन बड़े आंकड़ों की प्रामाणिकता को लेकर पत्रकारिता जगत में भी मतभेद रहे हैं।

☞ **राजनीतिक प्रतिक्रिया** :- राजद के आरोपों के अलावा, जन सुराज के प्रशांत किशोर ने भी इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव की भूमिका की जांच की मांग की, यह कहते हुए कि विपक्ष को भी इस दौरान अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मुद्दा शुद्ध रूप से सत्ता-पक्ष बनाम विपक्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें कई राजनीतिक धड़े शामिल रहे। पिछले विधानसभा में सिवान से पूर्व मंत्री मंगल पांडेय के विरूद्ध चुनावी अखाड़े में उतरे प्रत्याशी श्री ठाकुर बंटी सिंह ने कहा

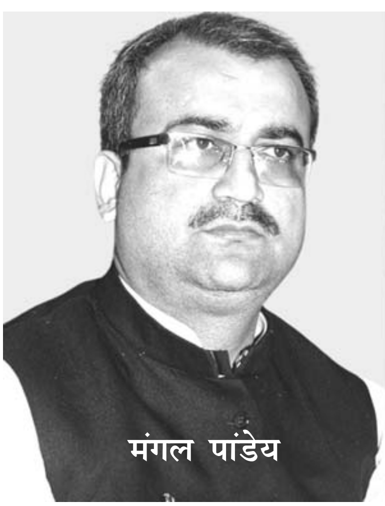

मंगल पांडेय

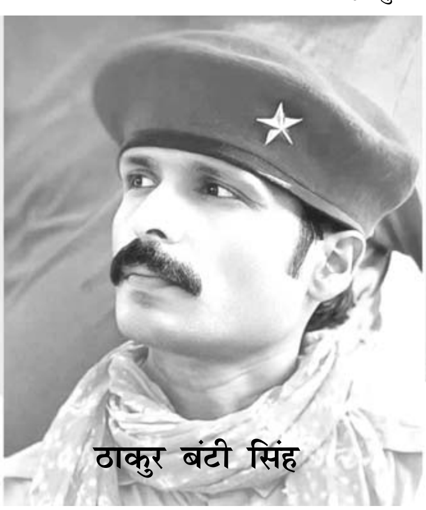

ठाकुर बंटी सिंह

प्रशांत किशोर

निशांत कुमार

एस.एम. त्यागराजन

की पूर्व मंत्री इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं, उनके DNA में ही भ्रष्टाचार है, इन्होने कृषि, कानून, खेल और स्वास्थ्य मंत्रालय सहित भाजपा के चुनावी फंड में भी जमकर लूट मचाया। उन्होंने एक बड़ी बात कही की यह मोहमाया पांडेय के चक्कर में कई कार्यकर्ताओं का बलि चढ़ा दिया।

☞ **सरकार व BMSICL का पक्ष :-** BMSICL के प्रबंध निदेशक सुब्रत सेन ने स्पष्ट किया कि जिस उत्पाद पर चर्चा हो रही है, वह उनके पूर्ववर्ती के कार्यकाल में खरीदा गया था और यह कोई सामान्य घरेलू डस्टबिन नहीं, बल्कि अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले माइक्रोवेव-आधारित उच्च-तापमान संक्रामक अपशिष्ट उपचार प्रणाली का हिस्सा है। उनके अनुसार यह कंटेनर उच्च ताप एवं ऊष्मा-प्रतिरोधी विशेष प्लास्टिक से बना है और इसके साथ मेडिकल-ग्रेड डिस्पोजेबल लाइनर इस्तेमाल होते हैं, जिनकी तुलना सामान्य बाजारू डस्टबिन से नहीं की जा सकती। एक BMSICL कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर इन आरोपों को 'बकवास' (rubbish) करार दिया।

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने इस पूरे प्रकरण- डस्टबिन, दवाओं व मेडिकल उपकरणों की खरीद में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए, जिसके लिए विशेष सचिव एस.एम. त्यागराजन की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई, जिसे यथाशीघ्र रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया।

❖ **मंजूर 23 यूनिट बनाम आपूर्ति 136 यूनिट, सैंक्शन से छह गुना ज्यादा खरीद :-** स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के आदेश (संचिका सं. 7/बजट-46-29/2021-29(7), दिनांक 13.05.2024) के अनुसार केवल

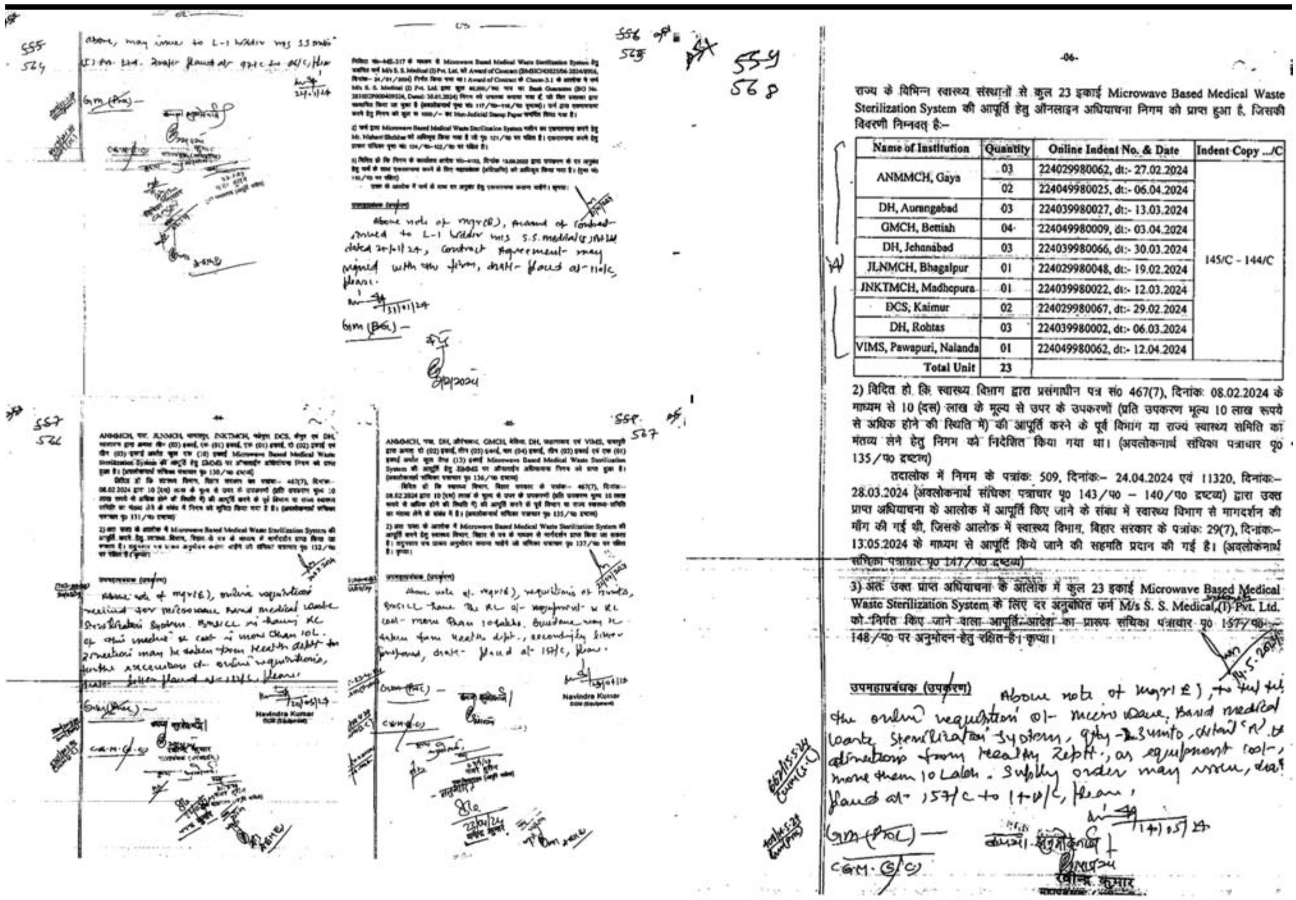

-06-

राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से कुल 23 इकाई Microwave Based Medical Waste Sterilization System की आपूर्ति हेतु ऑनलाइन अधियाचना निगम को प्राप्त हुआ है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

Name of Institution	Quantity	Online Indent No. & Date	Indent Copy .../C
ANMMCH, Gaya	03	224029980062, dt:- 27.02.2024	145/C - 144/C
	02	224049980025, dt:- 06.04.2024	
DH, Aurangabad	03	224039980027, dt:- 13.03.2024	
GMCH, Bettiah	04	224049980009, dt:- 03.04.2024	
DH, Jehanabad	03	224039980066, dt:- 30.03.2024	
JLNMCH, Bhagalpur	01	224029980048, dt:- 19.02.2024	
JNKTMCH, Madhepura	01	224039980022, dt:- 12.03.2024	
DCS, Kaimur	02	224029980067, dt:- 29.02.2024	
DH, Rohtas	03	224039980002, dt:- 06.03.2024	
VIMS, Pawapuri, Nalanda	01	224049980062, dt:- 12.04.2024	
Total Unit	23		

2) विदित हो कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रसंगाधीन पत्र सं० 467(7), दिनांक 08.02.2024 के माध्यम से 10 (दस) लाख के मूल्य से उपर के उपकरणों (प्रति उपकरण मूल्य 10 लाख रूपये से अधिक होने की स्थिति में) की आपूर्ति करने के पूर्व विभाग या राज्य स्वास्थ्य समिति का मंतव्य लेने हेतु निगम को निदेशित किया गया था। (अवलोकनार्थ संचिका पत्राचार पृ० 135/प० द्रष्टव्य)

तदालोक में निगम के पत्रांक: 509, दिनांक- 24.04.2024 एवं 11320, दिनांक- 28.03.2024 (अवलोकनार्थ संचिका पत्राचार पृ० 143/प० - 140/प० द्रष्टव्य) द्वारा उक्त प्राप्त अधियाचना के आलोक में आपूर्ति किए जाने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग से मार्गदर्शन की माँग की गई थी, जिसके आलोक में स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक: 29(7), दिनांक- 13.05.2024 के माध्यम से आपूर्ति किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। (अवलोकनार्थ संचिका पत्राचार पृ० 147/प० द्रष्टव्य)

3) अतः उक्त प्राप्त अधियाचना के आलोक में कुल 23 इकाई Microwave Based Medical Waste Sterilization System के लिए दर अनुबंधित फर्म M/s S. S. Medical (I) Pvt. Ltd. को निर्गत किए जाने वाला आपूर्ति आदेश का प्रारूप संचिका पत्राचार पृ० 157/प० - 148/प० पर अनुमोदन हेतु रक्षित है। कृप्या।

उपमहाप्रबंधक (उपकरण)

रवीन्द्र कुमार

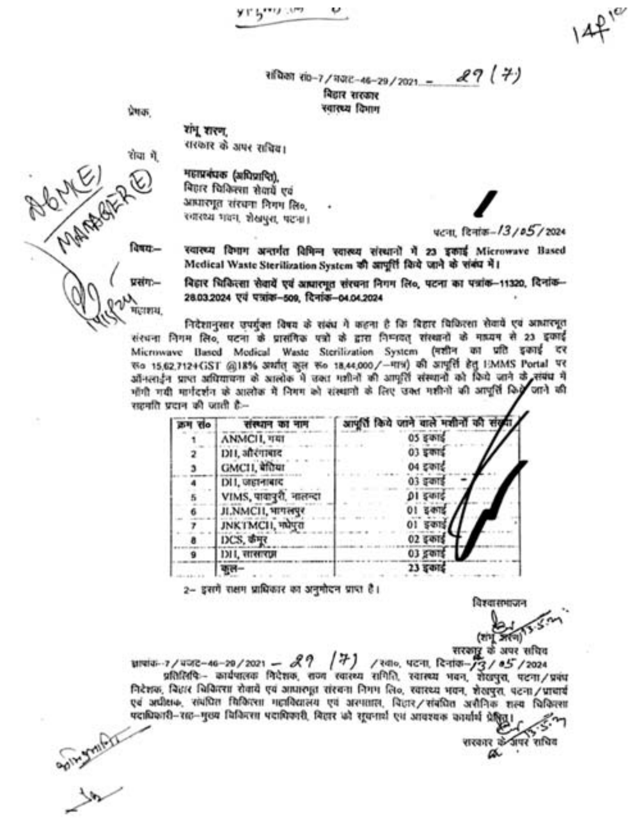

संचिका सं०-7/बजट-46-29/2021 - 27 (7)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,
शंभू शरण,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,
महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति),
बिहार चिकित्सा सेवायें एवं
आधारभूत संरचना निगम लि०,
स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना।

पटना, दिनांक-13/05/2024

विषय:- स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 23 इकाई Microwave Based Medical Waste Sterilization System की आपूर्ति किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना का पत्रांक-11320, दिनांक-28.03.2024 एवं पत्रांक-509, दिनांक-04.04.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के प्रासंगिक पत्रों के द्वारा निम्नवत् संस्थानों के माध्यम से 23 इकाई Microwave Based Medical Waste Sterilization System (मशीन का प्रति इकाई दर रु० 15,62,712+GST @18% अर्थात् कुल रु० 18,44,000/-मात्र) की आपूर्ति हेतु EMMS Portal पर ऑनलाईन प्राप्त अधियाचना के आलोक में उक्त मशीनों की आपूर्ति संस्थानों को किये जाने के संबंध में मांगी गयी मार्गदर्शन के आलोक में निगम को संस्थानों के लिए उक्त मशीनों की आपूर्ति किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है-

क्रम सं०	संस्थान का नाम	आपूर्ति किये जाने वाले मशीनों की संख्या
1	ANMCH, गया	05 इकाई
2	DH, औरंगाबाद	03 इकाई
3	GMCH, बेतिया	04 इकाई
4	DH, जहानाबाद	03 इकाई
5	VIMS, पावापुरी, नालन्दा	01 इकाई
6	JLNMCH, भागलपुर	01 इकाई
7	JNKTMCH, मधेपुरा	01 इकाई
8	DCS, कैमूर	02 इकाई
9	DH, सासाराम	03 इकाई
	कुल-	23 इकाई

2- इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
(शंभू शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-7/बजट-46-29/2021 - 27 (7) /स्वा०, पटना, दिनांक-13/05/2024
प्रतिलिपि- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्राचार्य एवं अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

23 यूनिट माइक्रोवेव सिस्टम की आपूर्ति के लिए स्वीकृति दी गई थी। 9 चिन्हित संस्थानों (ANMCH गया, DH औरंगाबाद, GMCH बेतिया, DH जहानाबाद, VIMS पावापुरी नालंदा, JLNMCH भागलपुर, JNKTMCH मधेपुरा, DCS कैमूर, DH सासाराम) के लिए। लेकिन BMSICL के आंतरिक नोटिंग सीट्स दिखाते हैं कि इसके बाद क्रमिक रूप से 10, 13, 31, 30, 29, 23 और 2 यूनिट के अलग-अलग 'ऑनलाइन अधियाचना' (indent) बैचों में आपूर्ति आदेश जारी होते चले गए और साथ ही मास्टर ट्रॉली की भी 42, 100, 316, 246 और 165 यूनिट की अलग-अलग खेप मंगाई गईं। कुल मिलाकर माइक्रोवेव सिस्टम की आपूर्ति का आंकड़ा 136 यूनिट तक जा पहुंचा, यानी मूल स्वीकृति से लगभग छह गुना अधिक।

❖ **भाग 4 - जमीनी सत्यापन, जहां मशीन दिखनी चाहिए थी वहां कुछ नहीं मिला :-**

शिकायतकर्ता कौशलेश कुमार ने स्वयं निम्नलिखित संस्थानों का दौरा कर भौतिक सत्यापन किया :-

संस्थान	BMSICL दर्शाई गई यूनिट	रिकॉर्ड में मौके पर पाई गई स्थिति
सदर अस्पताल, जहानाबाद	3 यूनिट	एक भी मशीन इंस्टॉल नहीं मिली
ANMCH, गया	5 यूनिट	एक भी मशीन इंस्टॉल नहीं मिली
CHC फुलवारी शरीफ, पटना	एक भी मशीन इंस्टॉल नहीं मिली	खुले में मेडिकल वेस्ट
NMCH, पटना	5 यूनिट (रिकॉर्ड्स में)	कोई मशीन कार्यरत नहीं मिली

इन दौरों के दौरान कई जगह मेडिकल कचरा खुले में पड़ा हुआ पाया गया, जिसे आवारा कुत्ते नोच रहे थे।

❖ **फाइल नोटिंग में दर्ज खामियां, शिकायतकर्ता के अनुसार :-** अपने 14.09.2026 के पत्र में शिकायतकर्ता ने BMSICL की अपनी ही आंतरिक फाइल-नोटिंग के आधार पर कई बिंदुओं की ओर इशारा किया है :-

☞ **यांत्रिक, एक-पंक्ति की मंजूरी :-** फाइलों पर बार-बार दिखता है कि बिना पूर्व खेप के इंस्टॉलेशन-सत्यापन के ही अगली खेप की मंजूरी दे दी गई।

☞ **10 लाख रूपये से अधिक मूल्य वाले उपकरणों के लिए जरूरी स्वास्थ्य विभाग की सहमति :-** स्वास्थ्य विभाग के पत्र (सं.-467(7), दिनांक-08.02.2024) में यह अनिवार्य किया गया था, पर आरोप है कि इसे औपचारिकता तक सीमित रखा गया।

☞ **तकनीकी विशिष्टता में बदलाव :-** पूर्व-बोली बैठक (Pre-bid meeting) के बाद बिडरों के ही सुझाव पर संशोधन (Corrigendum) किया गया, जिससे शर्तें किसी विशेष विक्रेता के अनुकूल बनाए जाने की आशंका जताई गई है।

☞ **दीर्घकालिक दर-अनुबंध :-** नाममात्र बैंक गारंटी पर पांच वर्षों के

निलेश रामचंद्र देवरे

कुमारी सीमा

लिए एक ही फर्म के साथ अनुबंध, जबकि उसकी पहले से आपूर्ति की गई सामग्री का सत्यापन तक लंबित था।

❖ शिकायतकर्ता के विभिन्न पत्रों (28.06.2026, 30.08.2026 व 14.09.2026) में निम्न नाम बार-बार आते हैं, जिनके विरुद्ध जांच व कार्रवाई की मांग की गई है :-

☞ **कुमारी सीमा, मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्ति श्रृंखला), BMSICL** :- शिकायतकर्ता का आरोप है कि इंडेंट फर्जी करने की कथित साजिश में इनकी भूमिका केंद्रीय रही है और जांच के दौरान साक्ष्य नष्ट कराने व अस्पतालों से डस्टबिन हटवाने का भी आरोप है। BMSICL के

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के साथ मनीष रंजन

दस्तावेजों में इनके हस्ताक्षर कई नोटिंग शीट्स पर मौजूद हैं।

☞ **निलेश रामचंद्र देवरे, पूर्व प्रबंध निदेशक (MD), BMSICL** :- इनके कार्यकाल के दौरान संबंधित टेंडर व अनुबंध प्रक्रिया संपन्न हुई थी।

☞ **मनीष रंजन, सहायक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति** :- इन पर DVDMS पोर्टल पर इंडेंट प्रक्रिया में भूमिका को लेकर आरोप है।

☞ **M/s S.S. Medical System (I) Pvt. Ltd.** :- दर अनुबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म, जिसने L-1 बिडर के रूप में अनुबंध प्राप्त किया।

❖ **सरकार व न्यायपालिका का रुख** :- शिकायतकर्ता के 28.06.2026 के पत्र पर स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लेते हुए एक विभागीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया (21.08.2026 के आदेश के अनुसार)।

शिकायतकर्ता का कहना है कि यह विभागीय समिति निष्पक्ष जांच के लिए अपर्याप्त है, इसलिए उन्होंने CBI या किसी विशेष स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग बार-बार दोहराई है।

यह मामला पटना हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। एक समाचार

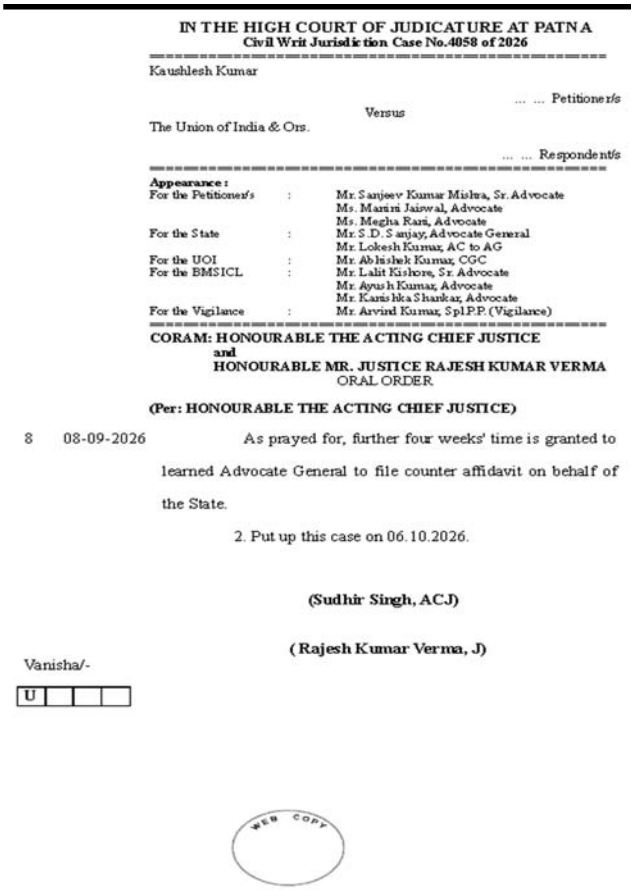
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.4058 of 2026

Kaushlesh Kumar

... ... Petitioner/s

Versus

The Union of India & Ors.

... ... Respondent/s

Appearance :

For the Petitioner/s	:	Mr. Sanjeev Kumar Mishra, Sr. Advocate Ms. Manini Jaiswal, Advocate Ms. Megha Rani, Advocate
For the State	:	Mr. S.D. Sanjay, Advocate General Mr. Lokesh Kumar, AC to AG
For the UOI	:	Mr. Abhishek Kumar, CGC
For the BMSICL	:	Mr. Lalit Kishore, Sr. Advocate Mr. Ayush Kumar, Advocate Mr. Kanishka Shankar, Advocate
For the Vigilance	:	Mr. Arvind Kumar, Spl.P.P. (Vigilance)

CORAM: HONOURABLE THE ACTING CHIEF JUSTICE
and
HONOURABLE MR. JUSTICE RAJESH KUMAR VERMA
ORAL ORDER

(Per: HONOURABLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)

8 08-09-2026 As prayed for, further four weeks' time is granted to learned Advocate General to file counter affidavit on behalf of the State.

2. Put up this case on 06.10.2026.

(Sudhir Singh, ACJ)

(Rajesh Kumar Verma, J)

Vanisha/-

U

WEB COPY

BIHAR GETS FOUR WEEKS TO REPLY IN BMSICL CASE

Ruchir Kumar

ruchirkumar@hindustantimes.com

PATNA: The Patna high court on Tuesday gave the Bihar government four weeks to file its counter affidavit in a case alleging irregularities in the procurement of microwave-based biomedical waste sterilisation systems and associated items for government health facilities.

A division bench of acting chief justice Sudhir Singh and justice Rajesh Kumar Verma granted the additional time and posted the matter for further hearing on October 6.

The court had given the state and the Bihar Medical Services Infrastructure Corporation Limited (BMSICL), which handles procurement s, four weeks to file their replies on July 13. The matter was subsequently listed for August 10.

At the next hearing, the court granted another four weeks after BMSICL sought additional time.

Appearing for petitioner Kaushlesh Kumar, senior advocate Sanjeev Kumar Mishra told the court that despite two orders, the state had not filed its counter affidavit. He also submitted that BMSICL's affidavit did not address paragraph 12 of the petition, which alleged a stark difference between the market price and the rate at which biomedical dustbins were procured.

Kumar has sought directions for stoppage of payments, registration of FIR and a vigilance or CBI probe. He alleged a tender floated in 2023 was manipulated to favour a particular firm.

Following a plaint by Kumar, on August 21, health minister Nishant directed action into allegations of financial irregularities, tender manipulation and corruption in the procurement of microwave-compatible dustbins and customised biodegradable bags by BMSICL between 2024 and 2026.

		<u>उपकरण–</u> BMSICL में Medical उपकरणों की खरीद के लिए EMMS Portal के माध्यम से Online Intent के आधार पर प्राप्त अधियाचना के आलोक में क्रयादेश किया जाता है। तदनुसार उपकरण प्रशाखा के प्रबंधक द्वारा संचिका उप महाप्रबंधक (उपकरण), महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति), मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्त्ति श्रृंखला) एवं प्रबंध निदेशक को संचिका उपस्थापित की जाती है।	
10.	उक्त मामलों में संबंधित प्रस्तावों की फाइल BMSICL में किन–किन स्तरों (Section/ Technical Wing/Tender Committee/ Finance Wing आदि) से होकर सक्षम प्राधिकारी तक प्रस्तुत की जाती है, इसका विवरण भी उपलब्ध कराया जाए।	औषधि DVDMS Portal पर विभिन्न जिलों, MCH एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के द्वारा Quarterly Indent प्राप्त होने के पश्चात निगम में पदास्थापित Piramal Team के सहयोग से Indent Compilation एवं क्रयादेश की मात्रा प्रदर्शित की जाती है। Indenting राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा संकलित की जाती है, इसमें BMSICL की कोई भूमिका नही होती है। तदनुसार औषधि प्रशाखा के प्रबंधक द्वारा संचिका उप महाप्रबंधक (औषधि), महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति), मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्त्ति श्रृंखला) एवं प्रबंध निदेशक को संचिका उपस्थापित की जाती है। BMSICL में Medical उपकरणों की खरीद के लिए EMMS Portal के माध्यम से Online Intent के आधार पर प्राप्त अधियाचना के आलोक में क्रयादेश किया जाता है। तदनुसार उपकरण प्रशाखा के प्रबंधक द्वारा संचिका उप महाप्रबंधक (उपकरण), महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति), मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्त्ति श्रृंखला) एवं प्रबंध निदेशक को संचिका उपस्थापित की जाती है।	
11.	Apple Formulations Pvt. Ltd. के विभिन्न बैचों की जाँच के संबंध में यह	M/s Apple Formulation Pvt. Ltd. के विभिन्न बैचों की जाँच के सम्बन्ध में जानकारी निम्नलिखित है:–	

रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने राज्य सरकार और BMSICL को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर के लिए तय की। याचिकाकर्ता कौशलेश कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने अदालत को बताया कि दो आदेशों के बावजूद राज्य ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया और यह भी बताया कि BMSICL के हलफनामे में याचिका के पैराग्राफ 12 पर जवाब नहीं दिया गया, जिसमें बाजार मूल्य और बायोमेडिकल डस्टबिन की खरीद दर में भारी अंतर का आरोप लगाया गया था।

❖ **सामाजिक-कानूनी पहलू, यह मामला क्यों गंभीर है? :-**

☞ **सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा जोखिम :-** बायोमेडिकल वेस्ट का सही निष्पादन न होना संक्रामक रोगों के फैलाव, अस्पताल-जनित संक्रमण (HAI) और पर्यावरणीय प्रदूषण का सीधा कारण बन सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 (संशोधित) के तहत यह हर स्वास्थ्य संस्थान का वैधानिक दायित्व है।

☞ **लोक धन का दुरुपयोग व राजकोषीय अवसर लागत :-** जैसा ऊपर भाग-1 में विस्तार से दिखाया गया कि बिहार जैसे उच्च-ऋण, सीमित-राजस्व वाले राज्य में कथित घोटाले की राशि (300-700 करोड़ रूपये के अनुमान) राज्य के वार्षिक स्वास्थ्य बजट के एक बड़े हिस्से के बराबर बैठती है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act, 1988, यथासंशोधित 2018) की धाराओं के तहत आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आ सकता है, विशेषकर धारा 7 (लोक सेवक द्वारा रिश्वत), धारा 13 (आपराधिक कदाचार) के अंतर्गत।

☞ **साक्ष्य नष्ट करने का आरोप :-** यदि जांच के दौरान अधिकारियों द्वारा साक्ष्य नष्ट कराने या हटवाने के आरोप सही साबित होते हैं, तो यह भारतीय न्याय संहिता (पूर्व IPC) की साक्ष्य नष्ट करने व लोक सेवा में बाधा डालने संबंधी धाराओं के तहत अलग से अपराध बनता है।

☞ **निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता :-** सार्वजनिक खरीद में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया, तकनीकी विशिष्टता में बदलाव और L-1 दर निर्धारण की प्रक्रिया, ये सभी सामान्य वित्तीय नियम (GFR) और राज्य के खरीद दिशा-निर्देशों के दायरे में आते हैं, जिनके उल्लंघन की जांच सामान्यत: लेखा परीक्षा (CAG ऑडिट) या विजिलेंस जांच के जरिए होती है। ध्यान देने योग्य है कि CAG की ऑडिट रिपोर्ट्स में लंबे समय से राज्यों में केंद्रीय व राज्य वित्त पोषित स्वास्थ्य योजनाओं में उपकरण खरीद संबंधी अनियमितताएं दर्ज होती रही हैं, जिससे यह इक्का-दुक्का घटना नहीं बल्कि व्यवस्थागत समस्या का संकेत हो सकता है।

☞ **न्यायिक निगरानी :-** चूंकि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, अंतिम तथ्यात्मक निष्कर्ष अदालत की कार्यवाही और/या किसी सक्षम जांच एजेंसी की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।

बिहार के सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदे गए मेडिकल वेस्ट स्टरलाइजेशन सिस्टम, मास्टर ट्रॉली और डस्टबिन से जुड़ा यह पूरा प्रकरण जब राज्य की वित्तीय स्थिति के साथ रखकर देखा जाता है, केवल एक प्रशासनिक अनियमितता नहीं, बल्कि एक ऐसे राज्य के सीमित संसाधनों के दुरुपयोग का मामला प्रतीत होता है जो पहले से 34% GSDP के करीब ऋण-बोझ तले दबा है और जिसकी अपने दम पर राजस्व जुटाने की क्षमता सीमित है। एक ओर सरकारी दस्तावेजों में दर्ज कीमतों और मात्राओं की विसंगतियां हैं, दूसरी ओर जमीनी स्तर पर उपकरणों की अनुपस्थिति की शिकायतें और तीसरी ओर पूरे राज्य में गूंजा राजनीतिक विवाद, यह सब मिलकर इस मामले को स्थानीय शिकायत से आगे बढ़ाकर राज्य-स्तरीय सार्वजनिक हित के मुद्दे में बदल चुके हैं। ●

कम उम्र में बढ़ते हुए आंखों की समस्या

राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर अजीत कुमार द्विवेदी से ऑखों से जुड़ी आम समस्याओं के बारे में विकाश कुमार एवं संतोष कुमार मिश्रा ने कई प्रश्न पूछे, प्रस्तुत है उसके अंश :-

❖ ऑखो से जुड़ी आम समस्या कौन-कौन से है?

यहॉ ऑख से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर लोग आते है, जिसमें सबसे अधिक संख्या चश्में की समस्या वाले लोगों की होती है। उसमें लगभग 70 प्रतिशत लोगों में चश्में से संबंधित समस्याएँ पाई जाती है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ उसमें ग्लूकोमा, मोतियाबिंद तथा रेटिना से जुड़ी समस्याएँ पाई जाती है तथा ऑखों में संक्रमण जैसी परेशानियों को लेकर भी लोग अस्पताल आते हैं। ये समस्याएँ आज कल काफी आम हो गई हैं। जब खेती का समय होता है, तब आँखों के पर्दे से संबंधित समस्याओं के साथ-साथ आँखों में संक्रमण की खतरा भी बढ़ जाता है। यहाँ लोग आँखों के पर्दे की समस्या और इंफेक्सन को लेकर भी आते हैं और यह समस्या बहुत ही आम है। कम्प्यूटर और गैजेट्स का अधिक उपयोग करने के कारण अब आँखों से संबंधित समस्याएँ बच्चों में भी तेजी से बढ़ रही हैं। पहले इन समस्याओं को अधिकतर उम्रदराज लोगों में देखा जाता था, लेकिन अब बच्चों में भी आँखों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब यह समस्या बच्चों में ज्यादा होने लगा है।

❖ कम उम्र में चश्मा लगने का मुख्य कारण क्या है?

हम लोगों ने शोध में पाया है कि बच्चो मे चश्मा लगने के और यह एक महामारी के तौरपर फैल रहा है। इसका मुख्य कारण है बच्चों का खेल-कूद से दूर होना। पहले बच्चे बाहर जाकर खेलते थे, लेकिन अब वे अधिकतर समय मोबाइल और अन्य गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे आउटडोर स्पोंटर्स में भाग नहीं ले रहे है, पहले के समय में सारे बच्चे बाहर जाकर खेलते थे, अभी सारे बच्चे मोबाईल में ही खेलते हैं। मोबाइल देखते समय हमारी आँखें लगातार पास की वस्तु पर केंद्रित रहती हैं। इससे आँखों की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। गैजेट्स का उपयोग करते समय हम कम पलकें झपकाते हैं, जिससे ऑखों में सूखापन हो सकता है। रात में मोबाइल देखने से नींद पर भी असर पड़ता है। इन कारणों से बच्चों में मायोपिया यानी दूर की चीजें धुंधली दिखाई देने की समस्या बढ़ रही है। यह समस्या केवल हमारे क्षेत्र में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में देखी जा रही है। इसके लिए हम अपील भी करेंगें की बच्चो को पार्क में तथा स्पोर्ट में जरूर भेजें।

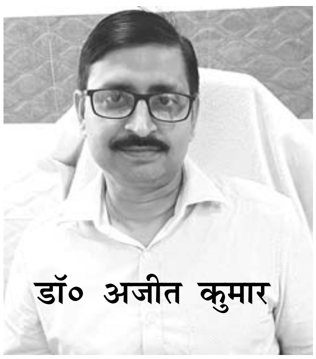

डॉ० अजीत कुमार

❖ मोबाईल और कम्प्यूटर का आँखो पर कितना असर पड़ता है?

कंप्यूटर और गैजेट्स का अधिक उपयोग करने के कारण अब आँखों से संबंधित समस्याएं बच्चों में भी तेजी से बढ़ रही हैं। पहले इन समस्याओं को अधिकतर उम्रदराज लोंगों में देखा जाता था, लेकिन अब बच्चों में भी आँखों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आजकल बच्चे मोबाइल और अन्य गैजेट्स का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। बच्चों में चश्मा लगने का मुख्य कारण भी यही हो सकता है। बच्चों को कम उम्र से ही मोबाईल, कम्प्यूटर और अन्य गैजेट्स का अधिक इस्तेमाल करने की आदत पड़ रही है, जिसका उनकी आँखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मोबाइल की स्क्रीन पर लगातार गतिविधियाँ होती रहती है, जिसके कारण हमारी आँखों की मांसपेशियाँ और पुतलियाँ लगातार फैलती और सिकुड़ती रहती है, साथ ही मोबाइल और अन्य गैजेट्स का उपयोग करते समय पलके झपकने की दर बहुत कम हो जाती है। इसके कारण आँखों में सूखापन, अनिद्रा और तनाव जैसी समस्याएँ बढ़ जाती हैं। इसका बचाव यह है कि हम रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक मोबाइल का इस्तेमाल करने से बचें। वयस्कों को दिन में मोबाइल और गैजेट्स के बिना काम करना संभव नही है, लेकिन बच्चों को मोबाइल से दूर रखना अत्यंत आवश्यक है। बहुत से देशों में इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं। मुझे लगता है कि यदि ये कानून प्रभावी होंगे तो लोगों में यह समस्या कम होगी।

❖ आँखो को स्वस्थ रखने के लिए रोजमर्रा में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए?

मुझे लगता है कि सबसे जरूरी है स्वस्थ्य जीवन सैली, सही समय पर निंद्रा ले। नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करें, स्वयं को फिट रखें और ताजी सब्जियाँ, ताजा फल और संतुलित आहार ले। स्वस्थ जीवनशैली, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और आँखों की उचित देखभाल आँखों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर स्वयं दवा लेने के बजाय विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए।

❖ ग्लूकोमा जिसे काला मोतिया भी कहते हैं वह क्या है और इसका समय पर पहचान होना क्यो जरूरी है?

ग्लूकोमा को हम दृष्टी का चोर भी कहते है यह दृष्टी को इस तरह से नुकसान पहुँचाता है कि यदी समय पर इसकी जाँच न कराई जाए, तो गई हुई रोशनी को इलाज के बाद भी वापस नही लाया जा सकता। विश्व भर में अंध ापन का दूसरा सबसे बड़ा कारण ग्लूकोमा ही है। हमारे यहाँ आने वाले अधिकांश मरीज में ग्लूकोमा की शिकायत होती है, जिससे आँखों का दबाव बढ़ जाता है। आँख को दिमाग से जोड़ने वाली नस को जो नुकसान पहुँचता है, वो हमेंशा के लिए हो जाता है, उसे ईलाज के बाद भी ठीक नही किया जा सकता। इसलिए इसका जॉच करवाना, इसका बारे में जानकरी रखना, इसका समुचीत इलाज कराना बेहद जरूरी है। ताकी हम लोग सतरक हो सके। हमारा विज्ञान ने बताया है कि परिवार में किसी को ग्लूकोमा या अंधेपन का इतिहास रहा हो, तो अन्य सदस्यों को भी यह बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे लोगों को नियमित जाँच करानी चाहिए। दूसरा 40 वर्ष से ज्यादा उम्र हो गये हैं और आप चश्मा लेने जा रहे हैं तो केवल चश्मे का नंबर न लें। ऑखो के दबाव के भी जाँच कराते हुऐ और ऑखो के नस कि स्थिति की जानकारी लेते हुए, तभी चश्मा ले। इससे समय रहते अंधेपन से बचा जा सकता है उससे भी हम अंधापन को बचा सकते है।

❖ राजेन्द्र नगर नेत्र अस्पताल में सुविधा क्या क्या हैं?

यह एक विशेष नेत्र केंद्र है, यहाँ ग्लूकोमा का इलाज उपलब्ध है। यहाँ सामान्य ओपीडी सेवाएँ चलती हैं और 24 घंटे, सातों दिन आपातकालीन सेवा उपलब्धा हैं। ऑखो में चोट या अन्य आपात स्थिति का इलाज किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ रेटिना और मेडिकल रेटिना जैसी विशेषज्ञ सेवाएँ भी उपलब्धा हैं। सर्जिकल रेटिना सेवा जल्द शुरू होने वाली है। मेडिकल रेटिना सेवा पहले से उपलब्ध है। ग्लूकोमा का व्यापक इलाज यहाँ किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर डे-केयर सर्जरी भी की जाती है। पिछले वर्ष बिहार के सरकारी अस्पताल में यहाँ ग्लूकोमा से संबंधित सर्जरी और उपचार का अच्छा परिणाम रहा हैं।●